वार्षिक रिपोर्ट

2021-2022

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

okf"kZd fjiksVZ
2021&2022

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku
lsDVj&24] uks,Mk & 201 301 ¼m-iz-½

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा – 201 301, उ.प्र.

यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in से
डाउनलोड की जा सकती है।

मुद्रण स्थान : चन्दू प्रेस, डी–97, शकरपुर
दिल्ली – 110 092

विषय-सूची

- çEk[k miyfC/k;k 1
- lLFkku dk fotu vkj fe'ku 13
- lLFkku dk vf/kn'k 14
- lLFkku dh Lkjpuk 15
- vu lèkku 19
  - श्रम बाजार अध्ययन केंद्र 20
  - कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र 27
  - लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र 32
  - राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र 41
  - रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र 48
  - एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम 53
  - पूर्वोत्तर केंद्र 55
  - श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र 57
  - जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र 62
  - अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र 64
- çf'k{k.k vkj f'k{kk 67
- ,u- vkj- M Je lpuk lk/ku dn 85
- jktHkk"kk uhfr dk dk;kUo;u 87
- çdk'ku 89
- i{k leFku vkj çlkj 93
- lLFkku d b&xou l ,o fMftVy vo ljpuk dk mUu;u 96
- depkfj;k dh l[;k 97
- QdYVh ,o vf/kdkfj;k dh lph 98
- y[kk ijh{kk fjikV vkj y[kkijhf{kr okf"kd y[kk 2021&2022 101

çEkq[k miyfC/k;k¡
¼2021&22½

- ❖ Okh- oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] Je ,oa lacaf/kr eqn~nksa ij vuqla/kku] çf'k{k.k] f'k{kk] çdk'ku ,oa ijke'kZ dk;Z djus okyk ,d vxz.kh laLFkku gSA 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का पुनःनामकरण 1995 में, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता श्री वी. वी. गिरि के नाम पर किया गया। संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा है।

- ❖ lkekftd Hkkxhnkjksa dks ifjorZu dh pqukSfr;ksa dk lkeuk djus ds fy, rS;kj djuk% भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रहीं हैं। संस्थान ने 164 ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें देश भर से श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों और सामाजिक साझेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5309 प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्‌देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भाग लिया। संस्थान ने एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सहित 17 वेबिनार/कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जिनमें 1242 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- ❖ Ukhfr&fuekZ.k ds fy, Kku dk vk/kkj% संस्थान ने श्रम के विभिन्न पहलुओं पर 23 अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन (18 अनुसंधान परियोजनाएं एवं 05 मामला अध्ययन) पूरे किए जिन्होंने विभिन्न हितधारकों और सामाजिक साझेदारों को आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।

- ❖ fo'ks"kK lgk;rk lsok,¡% संस्थान समय–समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/संगठनों जैसे कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आदि को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मार्फत आवश्यक इनपुट प्रदान करता रहा है जो नीति–निर्माण में प्रासंगिक होते हैं। ये इनपुट गहन शोध, विभिन्न हितधारकों यथा शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियन अधिकारियों, सिविल सोसायटी के सदस्यों, नियोक्ता एवं कर्मचारी संगठनों आदि के साथ विचार–विमर्श के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

- **vlaxfBr dkexkjksa dk l'kDr cukuk%** संस्थान ने असंगठित क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर 75 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 2082 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्‌देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह प्रदर्शित करना था कि कैसे सशक्तिकरण सामाजिक व आर्थिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।

- **iwokZÙkj {ks= dh fpUrkvksa dks lek/kku djus ds fy, fo'ks"khd`r çf'k{k.k%** संस्थान ने 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक साझेदारों के लिए किया। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 203 कार्मिकों ने भाग लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सराहा है।

- **Je ds eqn~nksa ij vUrjkZ"Vªh; çf'k{k.k dk;Øe vk;ksftr djus dk gc ¼dsUæ½%** संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय तकनीकी आर्थिक और सहयोग (आईटीईसी) के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। वर्ष 2021–22 के दौरान आईटीईसी के तहत दो ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 10 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **Je eqn~nksa ls lacf/kr lwpuk ,oa fo'ys"k.k dk çlkj %** संस्थान सात आंतरिक प्रकाशन, *लेबर एंड डेवलपमेंट* (छमाही पत्रिका), *अवार्ड्स डाइजेस्ट* (तिमाही पत्रिका), *श्रम विधान* (तिमाही हिंदी पत्रिका), *वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष* (द्विमासिक पत्रिका), *चाइल्ड होप* (तिमाही पत्रिका) तथा *श्रम संगम* (छमाही हिंदी पत्रिका) प्रकाशित करता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यतः एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इनके अलावा, संस्थान समय–समय पर अन्य प्रकाशन जैसे 'वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज' जिसमें सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों और श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभाव पर फोकस किया जाता है और 'वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला' जिसमें कुछ मामला अध्ययनों/हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाशित कर रहा है। संस्थान ने वर्ष 2020–21 के दौरान 42 प्रकाशन प्रकाशित किये।

- संस्थान ने वर्ष 2021–22 के दौरान दो *आवधिक प्रकाशन* प्रकाशित किए:

  - इंटरिम रिपोर्ट – इम्पैक्ट एसेसमेंट स्टडी ऑफ दि लेबर रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाइ दि स्टेट्स
  - रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट

- वीवीजीएनएलआई की महापरिषद की बैठक श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा अध्यक्ष, महापरिषद की अध्यक्षता में 10 दिसम्बर 2021 को संपन्न हुई। श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा उपाध्यक्ष, महापरिषद; सुश्री शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री पी. के. गुप्ता, कुलाधिपति, शारदा विश्वविद्यालय; श्री सुकुमार दामले, एआईटीयूसी; श्री वीरेंद्र कुमार, बीएमएस; और श्री बी. सुरेंद्रन (ऑनलाईन मोड के माध्यम से) ने डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई एवं सदस्य सचिव, महापरिषद, वीवीजीएनएलआई द्वारा समन्वित इस बैठक में भाग लिया।

श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री;
श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव (श्रम एवं रोजगार); और डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई
10.12.2021 को आयोजित महापरिषद की बैठक के दौरान प्रकाशनों का लोकार्पण करते हुए

❖ वीवीजीएनएलआई की कार्यपरिषद की बैठक श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव (श्रम एवं रोजगार) तथा अध्यक्ष, कार्यपरिषद की अध्यक्षता में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 02 अगस्त 2021 को संपन्न हुई। श्रीमती शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्रीमती कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; और डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई एवं सदस्य सचिव ने बैठक में भाग लिया। श्री अरुण चावला, फिक्की; श्री बी. सुरेंद्रन, बीएमएस; और श्री वीरेंद्र कुमार, बीएमएस ने बैठक में ऑनलाइन मोड के माध्यम से भाग लिया।

श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव (श्रम एवं रोजगार); श्रीमती शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय;
श्रीमती कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई
02.08.2021 को आयोजित कार्यपरिषद की बैठक के दौरान प्रकाशन का लोकार्पण करते हुए

❖ 0;kolkf;d Hkkxhnkjh djuk ,o mls lqn< cukuk आज का युग नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यावसायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा।

☞ संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवम्बर 2018 को ट्यूरिन, इटली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के उन्नयन के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

⇨ वर्ष 2021–22 के दौरान, आईएलओ–आईटीसी, ट्यूरिन और आईएलओ, जिनेवा के संकाय संदस्य संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान सत्र लेने में शामिल रहे। इसी तरह वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों ने भी आईटीसी–आईएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और सत्र लिये।

☞ वीवीजीएनएलआई को भारत सरकार द्वारा fcDl देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।

⇨ इस नेटवर्क की व्यावसायिक गतिविधियों के एक भाग के रूप में, संस्थान ने श्रम अनुसंधान संस्थानों के fcDl नेटवर्क, 2021 के तहत *dkfoM&19 ldV] 2021 d lnHk e jktxkj vkj vk; dk leFku* पर एक अनुसंधान अध्ययन किया।

⇨ वर्ष 2021–22 के दौरान ब्रिक्स श्रम मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। चूंकि ब्रिक्स श्रम अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व वीवीजीएनएलआई करता है, संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा और डीसेंट वर्क टेक्नीकल टीम सपोर्ट (डीडब्ल्युटी) फॉर साउथ एशिया के साथ परामर्श में निम्नलिखित विषयों पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ये इश्यू पेपर 11–12 मई 2021 के दौरान आयोजित ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक में प्रस्तुत किए गए।

(i) ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना;

(ii) श्रम बाजारों का औपचारिकरण;

(iii) श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और

(iv) गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकः श्रम बाजार में भूमिका।

❖ Ukhfrxr ennks ij xgu cgl djus ,o çe[k igyw ds çlkj grq ep% समसामयिक मुद्दों एवं नीति–निर्माण के संबंध में संस्थान द्वारा आयोजित कुछ कार्यशालाएं निम्न प्रकार हैं:

➪ वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा और केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम ने संयुक्त रूप से 23–24 जून 2021 के दौरान ^Hkkjr esa jkstxkj pqukSfr;ka vkSj dk;Zuhfr;k% dksfoM&19 ds ckn dk ifj–';^ पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार में उभरती प्रवृत्तियों के कोविड–19 के बाद के परिदृश्य का एक पर्यावलोकन प्रदान करना; (ii) भारत में कोविड–19 के बाद श्रम बाजार की गतिशीलता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना; (iii) रोजगार, विशेष रूप से महिला रोजगार के पैटर्न और जटिल परिघटना को समझना; और (iv) रोजगार सृजन में श्रम बाजार सर्वेक्षण और रणनीतियां शुरू करने के लिए क्षमता निर्माण। इस कार्यशाला में श्रम बाजार अध्ययन में विशेषज्ञता वाले संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं सहित 57 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ धन्या एम. बी, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ अनीता वी., प्रोफेसर और प्रमुख, केरल विश्वविद्यालय ने कार्यशाला का समन्वय किया।

➪ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ग्रेटर नौएडा के पीजीडीएम छात्रों के लिए ^Je lafgrk,% ,d Ik;kZoyksdu^ पर एक कार्यशाला 31 अगस्त 2021 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया और स्वागत भाषण डॉ. अरुण कुमार सिंह, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ग्रेटर नौएडा द्वारा दिया गया था। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य श्रम संहिताओं के बारे में जागरूकता प्रदान करना था। कार्यशाला में 28 छात्रों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

➪ वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने राज्य श्रम संस्थान (एसएलआई), ओडिशा के सहयोग से 03 सितंबर 2021 को 'dk;ZLFky ij efgykvksa ds mRihM+u dk lek/kku djuk% dkuwu vkSj uhfr^ पर एक ऑनलाइन एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित वैचारिक मुद्दों को समझना और पीओएसएच अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करना; (ii) कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अच्छी प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों (सी190) को समझना; (iii) कानून के कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों और सामाजिक भागीदारों की भूमिका को समझना; (iv) जांच प्रक्रियाओं, आंतरिक शिकायत समिति, स्थानीय शिकायत समिति, आदि की भूमिका पर चर्चा करना; (v) हर स्तर पर कानूनी प्रावधानों के प्रवर्तन और संबंधित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करना और आगे की राह पर चर्चा करना। कार्यशाला में ओडिशा राज्य के सरकारी अधिकारियों, श्रमिकों, नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सौ आठ (108) प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समान्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया।

⇨ vktknh dk ver egkRlo के एक भाग के रूप में वेलपुर मंडल, जिला निजामाबाद में ^cky Je dk mUewyu dk fy, lQy gLr{ksik dk 20 o"kZ eukuk^ और श्रम संहिताओं पर जागरूकता का सृजन करने पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन 08 अक्टूबर 2021 को प्रगति हॉल, कलेक्टर कार्यालय, निजामाबाद में किया गया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने बाल श्रम के मुद्दे का समाधान करने और संबंधित कानून के प्रभावी प्रवर्तन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यशाला का संदर्भ निर्धारित किया। डॉ. एच. श्रीनिवास ने आगे उल्लेख किया कि वीवीजीएनएलआई बाल श्रम के मुद्दे पर विभिन्न लक्षित समूहों की क्षमताओं को विकसित करने और संसद द्वारा पारित सभी चार श्रम संहिताओं के विभिन्न प्रावधानों पर जागरूकता सृजन करने की दिशा में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

⇨ राज्य श्रम संस्थान (एसएलआई), ओडिशा के सहयोग से 20–21 अक्टूबर 2021 के दौरान ^Jfed ennu] Je lafgrk,¡ vkSj efgyk Jfedksa ls lacaf/kr dkuwu^ पर दो–दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) लिंग और श्रम बाजार का अवलोकन प्रदान करना, (ii) मजदूरी, कार्यदशाओं, रोजगार सुरक्षा आदि के संबंध में मौजूदा असमानताओं और कोविड–19 महामारी के कारण महिलाओं के लिए उभरती चुनौतियों का विश्लेषण करना, (iii) कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा कानूनी दस्तावेजों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना, (iv) भारत में श्रम कानून के समग्र ढांचे और श्रम कानून सुधार के संदर्भ पर चर्चा करना, और (v) भारत में नई श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं और महिला श्रमिकों के लिए प्रावधानों पर चर्चा करना। इस कार्यशाला में ओडिशा राज्य के सरकारी अधिकारियों, श्रमिकों, नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस वेबिनार का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने किया।

➪ संस्थान ने 20–22 अक्तूबर 2021 के दौरान गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के साथ ^Hkkjr e lhekr xkeh.k Je dh pukfr;k% lekos'k dh vko';drk^ पर एक सहयोगात्मक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) भारत में ग्रामीण श्रमिकों के सामाजिक समावेश पर चर्चा करना; (ii) भारत में श्रम बाजार में लैंगिक मुद्दों को समझना; (iii) ग्रामीण श्रमिकों की गतिशीलता और उनके मुद्दों का विश्लेषण करना; (iv) भारत में श्रम अनुसंधान के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों को जानना; (v) ग्रामीण श्रमिकों पर प्रवासन के प्रभाव का पता लगाना, ग्रामीण भारतीय संदर्भ में संगठित और असंगठित क्षेत्र को विस्तार से समझाना; (vi) श्रम बाजार में सामाजिक सुरक्षा की समझ विकसित करना; और (vii) श्रम की वित्तीय समावेशन नीतियों का आकलन करना। इस कार्यशाला में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. शशि बाला, फेलो, वीवीजीएनएलआई/डॉ. ए. मणि और डॉ. अंजुली चंद्रा, सहायक प्रोफेसर–सह–सहायक निदेशक, जीआरआई ने इस कार्यशाला का समन्वय किया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई प्रतिभागियों के साथ संवाद करते हुए

➪ वीवीजीएनएलआई और सामाजिक कार्य विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल द्वारा 24–26 नवंबर 2021 के दौरान ^vkfnoklh vkj xkeh.k ;okvk d fy, dk'ky fodkl% pukfr;k vkj volj^ पर एक सहयोगात्मक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित पर चर्चा करना थाः आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास चुनौतियां और अवसर; आदिवासी और ग्रामीण युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास; आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास से संबंधित समावेशन नीतियां; कौशल विकास के माध्यम से आदिवासी और ग्रामीण युवाओं की बेहतरी और समावेशन की दिशा में सरकार, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र की भूमिका। कार्यशाला में 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. सी. देवेंद्रन, प्रोफेसर, मिजोरम विश्वविद्यालय ने किया।

➪ vktknh dk ver egkRlo के एक भाग के रूप में, ^Lor=rk lxke d nkjku VM ;fu;u urkvk dh Hkfedk^ पर एक कार्यशाला का आयोजन 16 दिसंबर 2021 को किया गया। इस कार्यशाला में 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें शिक्षाविदों और सिविल सोसायटी के सदस्यों के अलावा त्रिपक्षीय घटकों – ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे।

इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ट्रेड यूनियनों की भूमिका पर चर्चा करना और इससे ऐसे सबक लेना था जो समकालीन संदर्भ में प्रासंगिक हो सकते हैं। कार्यशाला का समन्वय डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो और डॉ. आर. आर. पटेल, एसोसिएट फेलो द्वारा किया गया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) के सहयोग से 28 दिसंबर 2021 को 'b&xoul' पर एक अर्ध–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम को श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने संबोधित किया। कार्यक्रम में ईपीएफओ, ईएसआईसी, सीएलसी, डीजीएलडब्ल्यु, डीजीएफएएसएलआई, डीजीएमएस, डीटीएनबीडब्लुईडी, एनआईसीएस, वीवीजीएनएलआई सहित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. धन्या एम बी, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया।

- संस्थान द्वारा 24–25 जनवरी 2022 के दौरान स्वर्गीय नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुंबई के साथ संयुक्त रूप से 'Ukb Je lfgrk,' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) श्रम सुधारों की पृष्ठभूमि को समझना; (ii) प्रमुख परिवर्तनों; विभिन्न श्रम संहिताओं – मजदूरी संहिता, 2019; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020; के प्रमुख उद्देश्यों और विशेषताओं को समझना; (iii) प्रावधानों और दंडों को प्रशासित करने के लिए विभिन्न संगठनों / निकायों की भूमिका पर चर्चा करना; और (iv) इस बात पर चर्चा करना कि सुधार कैसे श्रमिकों के मुद्दों का समाधान करेंगे और नियोक्ताओं एवं उनके व्यवसायों को प्रभावित करेंगे। इस कार्यशाला में महाराष्ट्र राज्य के राज्य श्रम विभागों के अधिकारियों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ रूमा घोष, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. पी. एम. पाडुकर, लेक्चरर, एलएनएमएल एमआईएलएस ने संयुक्त रूप से किया।

- संस्थान द्वारा श्रम के क्षेत्र में काम करने वाले शोधार्थियों और शिक्षाविदों के लिए 25 फरवरी 2022 को हाइब्रिड मोड में 'Hkkjr esa Je ij uhfr vuqlaèkku' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस के प्रोफेसर और संस्थापक निदेशक प्रो. बिश्वजीत दास ने उद्घाटन भाषण दिया और संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने इस अवसर पर समापन भाषण दिया। प्रो. प्रभु महापात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष सत्र लिया गया। इस कार्यशाला में कुल 76 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समापन वीवीजीएनएलआई के

महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास द्वारा प्रमाण पत्र सौंपने के साथ हुआ। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. रूमा घोष, फेलो ने किया।

- ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के एक भाग के रूप में, ^Jfed fodkl% iapk;rh jkt laLFkkvksa dh Hkwfedk^ पर एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला 09 मार्च 2022 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे: पंचायती राज संस्थाओं के विकास, आर्थिक विकास को मजबूत करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, उन 29 विषयों, जिन्हें संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1993 की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, सहित केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के कार्यान्वयन, श्रमिक विकास के लिए प्रभावी तंत्र के रूप में पीआरआई की संभावनाओं पर चर्चा करना। प्रतिभागियों में विशेषज्ञ, पंचायती राज संस्थाओं और जनजातीय परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधि, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, व्यावसायिक और अन्य लोग, जो पीआरआई और श्रम संबंधी मुद्दों पर काम कर रहे हैं, शामिल थे।
- 09 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र–आईएलओ, ट्यूरिन के सहयोग से ^fcDl vkj Xykcy lkmFk esa fex vkj IysVQ,e dk;Zpkyu ds lnHkZ esa jkstxkj ds u, :Ik^ पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्देश्य रोजगार के नए रूपों से संबंधित दो विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा करना था: (अ) गिग और प्लेटफॉर्म कार्यचालन के अवसर और चुनौतियां, और (बी) रोजगार के नए रूपों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत माहौल। इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्रॉस–कंट्री परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए वेबिनार की परिकल्पना की गई थी। इस वेबिनार का उद्घाटन श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।

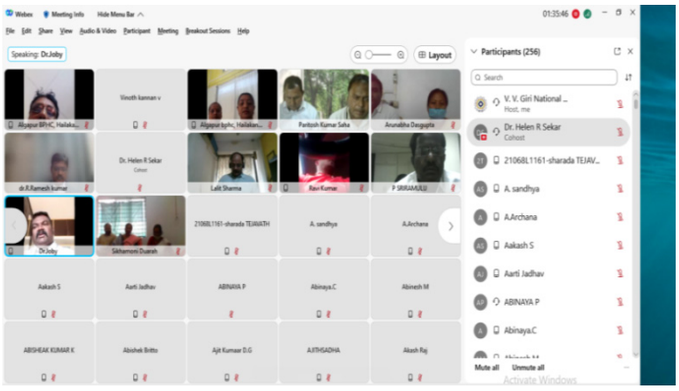

श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,वेबिनार का उद्धाटन करते हुए

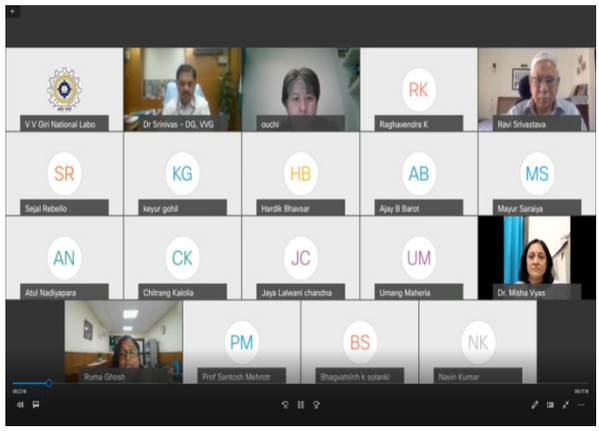

➩ संस्थान ने 11 मार्च 2022 को 'स्वतंत्रता आंदोलन और श्रमिक आंदोलन' पर राष्ट्रीय स्तर की एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 56 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 100 प्रश्न तैयार किए गए थे और प्रतिभागियों को डेढ़ घंटे का समय दिया गया था। मूल्यांकन स्वचालित था और दो प्रतिभागियों ने पहला, तीन प्रतिभागियों ने दूसरा और दो प्रतिभागियों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

➩ सप्ताह भर चलने वाले महिला दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 11 मार्च 2022 को दक्षिण पश्चिमी दिल्ली महिला संघ (एसडब्ल्यूडीडब्ल्यूए), नई दिल्ली के साथ ^vlaxfBr dkexkjksa dh efgyk dkexkjksa dk l'kfDrdj.k^ पर एक सहयोगात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में घरेलू कामगारों और निर्माण श्रमिकों सहित कुल 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

➩ 30 मार्च 2022 को पूर्वोत्तर भारत केंद्र, वीवीजीएनएलआई द्वारा ^iwoksZÙkj Hkkjr esa Je vkSj jkstxkj ds eqn~nksa dk ekufp=.k^ पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में कार्य की दुनिया में समकालीन मुद्दों को प्रासंगिक बनाना था। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे: पूर्वोत्तर में कार्य की दुनिया में समकालीन मुद्दों को उजागर करना और प्रासंगिक बनाना; प्रतिभागियों को श्रम पर वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों से परिचित कराना; हाल के श्रम सुधारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना; और प्रतिभागियों को उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक कार्यों में योगदान करने में सक्षम बनाना। इस कार्यशाला में पूर्वोत्तर के संस्थानों और विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे सामाजिक विज्ञान के छात्रों और रिसर्च स्कॉलर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और उद्घाटन भाषण दिया। प्रोफेसर एल. एल. सिंह, कुलपति, बोडोलैंड विश्वविद्यालय, कोकराझार, असम ने मुख्य भाषण दिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो ने किया।

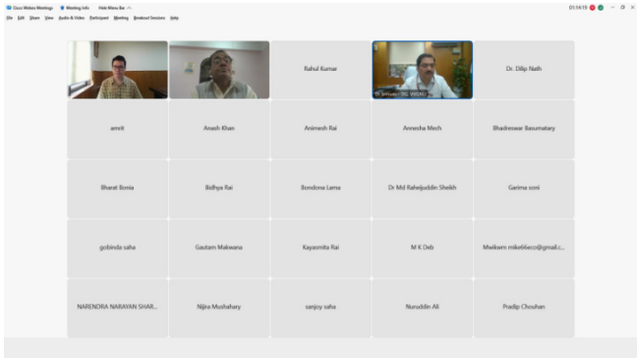

➩ वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने महात्मा गांधी श्रम संस्थान, गुजरात के सहयोग से 31 मार्च 2022 को ^dk;Z ds Hkfo"; vkSj dk;Z ds u, :iksa ds lanHkZ esa lkekftd lqj{kk dk le>uk^ पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का व्यापक उद्देश्य श्रम बाजार में परिवर्तन एवं श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में इसके निहितार्थ को समझना और अभिनव नीति अनुक्रियाओं का पता लगाना था। इस वेबिनार में तीस प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसका

समन्वय डॉ. रूमा घोष, फेलो, वीवीजीएनएलआई एवं डॉ. मिशा व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमजीएलआई ने किया।

❖ iLrdky; ,o lpuk ç.kkyh% संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे संपन्न पुस्तकालयों में से एक है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,641 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 111 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। संस्थान ने नई वेब–आधारित पुस्तकालय सेवाओं को शुरु करने के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का एक नवीनीकृत संस्करण ‘^,yvkbZch, lokbZ, l 10 bZ t cht^^ खरीदा है।

❖ vk/kfud Hkkjr dk vkdkj nus esa Je dh Hkfedk ij çdk'k Mkyuk% संस्थान ने श्रम से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों के शीर्ष भंडार के तौर पर काम करने हेतु श्रम पर एक डिजिटल आर्काइव स्थापित किया है। श्रम अभिलेखागार (लेबर आर्काइव) की वेबसाइट (www.indialabourarchives.org) esa Je bfrgkl d egRoiw.kZ nLrkost k d yxHkx 190000 i`"B fMftVy :Ik esa viyksM fd;s x, gSA

❖ jktHkk"kk dk c<+kok nsuk & वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गयाः

⇨ वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के jktHkk"kk dhfrZ iqjLdkj की बोर्ड/स्वायत्त निकाय/न्यास/सोसायटी श्रेणी के तहत ^d {ks=^ में f}rh; iqjLdkj से सम्मानित किया गया।

ये पुरस्कार 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर वितरित किए गए क्योंकि देश में कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण वर्ष 2020 में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका था।

श्री अजय कुमार मिश्रा, माननीय गृह राज्य मंत्री और श्री निशिथ प्रामाणिक, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार से पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई

^jkt Hkk"kk lxk"Bh^

➪ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने बुधवार, 24 नवंबर 2021 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों/प्रभारियों के लिए एक 'राजभाषा संगोष्ठी' का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में नराकास, नौएडा के 20 सदस्य कार्यालयों के 32 राजभाषा अधिकारियों/प्रभारियों ने भाग लिया।

संस्थान का विज़न और मिशन

fo t ;u

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रतिकृत संकल्प हो।

fe’ku

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

lLFkku dk vf/kn'k

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केंद्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

mn~n'; vkj vf/kn'k

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

- क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
- ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है
- ग. परामर्श और
- घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

lLFkku dh lajpuk

संस्थान एक महापरिषद द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है। इसमें केंद्र सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि, माननीय सांसद और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद के अध्यक्ष हैं। महापरिषद संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद के सदस्यों से नामित कार्यपरिषद, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के संकाय सदस्य; प्रशासनिक अधिकारी, जो कार्यालय प्रमुख भी हैं; लेखा अधिकारी, अन्य अधिकारी एवं स्टाफ सदस्य महानिदेशक की सहायता करते हैं।

egkifj"kn dk xBu

1. श्री भूपेंद्र यादव — अध्यक्ष
   माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

2. श्री रामेश्वर तेली — उपाध्यक्ष
   माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

dsUnzljdkj dh çfrfuf/k

3. श्री सुनील बड़थ्वाल, आईएएस — उपाध्यक्ष
   सचिव (श्रम एवं रोजगार)
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

4. श्रीमती अनुराधा प्रसाद, आईडीएएस — सदस्य
अपर सचिव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली–110001

5. श्रीमती शिवानी स्वाइं, आईईएस
अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार — सदस्य
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली–110001

6. सुश्री कल्पना राजसिंहोत, आईपीओएस
संयुक्त सचिव — सदस्य
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली–110001

7. श्री के. संजय मूर्ति, आईएएस — सदस्य
सचिव
माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

8. श्री के. राजेश्वर राव, आईएएस — सदस्य
विशेष सचिव
(कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार)
नीति आयोग
नई दिल्ली–110001

nk lln lnL;
(ykd lHkk vkj jkT; lHkk l ,d&,d)

9. डॉ. वीरेंद्र कुमार — सदस्य
माननीय सांसद (लोक सभा)
22, महादेव रोड़
नई दिल्ली–110001

10. श्री कामाख्या प्रसाद तासा — सदस्य
माननीय सांसद (राज्य सभा)
157, साउथ एवेन्यु
नई दिल्ली–110001

deZdkjksa ds nks çfrfuf/k

11. श्री बी. सुरेंद्रन — सदस्य
अखिल भारतीय उप–आयोजन सचिव,
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस),
केशावर कुदिल,
5 रंगासायी स्ट्रीट, पेराम्बूर
चेन्नई, तमिलनाडु – 600011

12. श्री सुकुमार दामले — सदस्य
राष्ट्रीय सचिव
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)
एआईटीयूसी भवन,
35–36, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
राउज एवेन्यू, नई दिल्ली – 110002

fu;ksDrkvksa ds nks çfrfuf/k

13. श्री रोहित भाटिया — सदस्य
निदेशक
एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम)
5, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्य पुरी
नई दिल्ली – 110021

14. श्री अरुण चावला — सदस्य
उप महासचिव
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की)
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग
नई दिल्ली – 110001

pkj çfrf"Br 0;fDr ftUgkus Je d {k= e vFkok ml l l cf/kr {k=k e mYy[kuh; ;kxnku fn;k g

15. श्री पी. के. गुप्ता — सदस्य
    कुलाधिपति
    शारदा विश्वविद्यालय
    ग्रेटर नौएडा, उत्तर प्रदेश – 201306

16. श्री राजा एम. षणमुगम — सदस्य
    अध्यक्ष
    तिरुपुर निर्यातक संघ
    62, अप्पाची नगर मेन रोड़
    कोंगू नगर
    तिरुपुर, तमिलनाडु – 641607

17. श्री सतीश रोहतगी — सदस्य
    डॉ. बद्री प्रसाद क्लीनिक के सामने
    बड़ा बाजार
    बरेली, उत्तर प्रदेश – 243003

18. श्री वीरेंद्र कुमार — सदस्य
    भारतीय मजदूर संघ
    कार्यालय – राम नरेश भवन
    तिलक गली, चूना मंडी
    पहाड़गंज, नई दिल्ली – 110055

vuql/kku laLFkkuk d çfrfuf/k

19. सुश्री अंजू शर्मा, आईएएस . — सदस्य
    प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)/
    महानिदेशक
    महात्मा गांधी श्रम संस्थान
    ड्राइव–इन रोड़, मानव मंदिर के पास, मेम नगर
    अहमदाबाद, गुजरात – 380054

oh- oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] uks,Mk d çfrfuf/k

20. डॉ. एच. श्रीनिवास, आईआरपीएस — सदस्य–सचिव
    महानिदेशक
    वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
    सैक्टर–24, नौएडा–201301
    जिला-गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

vuqla/kku

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है और इनका फोकस श्रम बल के हाशिए पर स्थित, वंचित एवं कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों से निपटने पर है।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है;

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धांतिक समझ को उन्नत बनाना;
- समुचित नीतिगत अनुक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक और आनुभविक आधार बनाना; और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित एवं संगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। संस्थान की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का एक सहजीवी संबंध है। नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं संस्थानों के लिए एक प्रमुख तरीके से योगदान देने के अलावा अनुसंधान के आउटपुट संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन एवं कार्यप्रणाली को आकार देने में इनपुट के तौर पर लिए जाते हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं से प्राप्त फीडबैक अनुसंधान गतिविधियों के लिए इनपुट के रूप में कार्य करता है। संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा श्रम, श्रम बाजार और कार्य की दुनिया को प्रभावित करने वाले इन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान कार्यनीतियां, एजेंडा और अनुसंधान अध्ययन विकसित किए जा रहे हैं। निम्नलिखित नौ केंद्र श्रम एवं रोजगार में अनुसंधान से संबंधित प्रमुख विषयों पर अध्ययन करते हैं:

1. श्रम बाजार अध्ययन केंद्र
2. रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र
3. कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र
4. राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
5. एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम
6. श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र
7. लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र
8. पूर्वोत्तर भारत केंद्र
9. जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र

Je cktkj v/;;u dsUnz

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न केंद्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं केंद्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केंद्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम और रोजगार के मुद्दों पर साक्ष्य–आधारित नीतियां तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसंधान गतिविधियां की जाती हैं। केंद्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केंद्रित हैं।

- रोजगार और बेराजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्कृष्ट श्रम
- मजदूरी
- कार्य का भविष्य

iwjh dj yh xbZ vuqla/kku ifj;kstuk,a

1- dkfoM&19 ladV ds lanHkZ esa jkstxkj vkSj vk; dk leFkZu ¼Je vuqlaèkku laLFkkuksa ds fczDl usVodZ] 2021 ds rRokoèkku esa fd;k x;k 'kksèk vè;;u½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ब्रिक्स श्रम अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क, जिसे 2017 में स्थापित किया गया था, में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस नेटवर्क के अन्य सदस्य संस्थान हैं: नेशनल लेबर मार्केट ऑब्जर्वेटरी ऑफ दि मिनिस्ट्री ऑफ ब्राजील, ब्राजील; ऑल रशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर लेबर एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ रशियन फेडरेशन; चाइनीज एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, चीन; और फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य।

इस नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य श्रम से संबंधित समकालीन सरोकारों पर शोध अध्ययन करना और मजबूत, टिकाऊ एवं समावेशी विकास हासिल करने के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान करना है। तदनुसार, श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क ने कोविड–19 संकट के संदर्भ में रोजगार और आय का समर्थन से संबंधित एक शोध अध्ययन किया था।

mís';

भारत के संदर्भ में यह शोध अध्ययन निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के साथ किया गया था: (i) वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर कोविड–19 के प्रसार को समझना; (ii) भारत की अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव का विश्लेषण करना; (iii) श्रम एवं रोजगार पर महामारी के प्रभाव की जांच करना; (iv) संकट से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख नीतिगत उपायों को चित्रित करना; और (v) महामारी से प्राप्त

प्रमुख नीतिगत सबक को उजागर करना और श्रम–केंद्रित पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा की पहचान करना।

Ikfj.kke

यह अध्ययन भारत के संदर्भ में किया गया था और इसने कुछ प्रमुख संकेतकों जैसे पुष्टि किए गए मामलों, मृत्यु के मामलों और महामारी की स्थिति के प्रसार को रोकने के लिए किए गए स्वास्थ्य उपायों के आधार पर महामारी का अवलोकन प्रदान किया। इस अध्ययन ने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल मूल्य वर्धित और क्षेत्रीय शेयरों में वृद्धि का विश्लेषण करके मैक्रो के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर वैश्विक और भारत के विकास पर महामारी के प्रभाव का विश्लेषण किया। अध्ययन में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से की गई त्वरित नीतिगत अनुक्रियाओं, जिनमें आय का समर्थन, वेतन सब्सिडी और सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त नौकरियों के सृजन से लेकर व्यापार को वित्तीय प्रोत्साहन और बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताओं तक शामिल हैं, ने निश्चित रूप से आजीविका पर महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को बड़े पैमाने पर कम किया है। इसने हाल के नीतिगत हस्तक्षेपों – श्रम संहिताओं का अधिनियमन, न्यूनतम मजदूरी की कवरेज का सार्वभौमिकरण, रोजगार के नए रूपों जैसे गिग और प्लेटफॉर्म कार्यचालन के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन का विस्तार; और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन को प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला और पाया कि ये हस्तक्षेप श्रमिकों को बढ़ी हुई नौकरी और आय सुरक्षा की सुविधा प्रदान करेंगे और इस प्रकार एक अधिक लचीला, समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

v/;;u dk 'kq# ,o i;jk dju dh frfFk

अध्ययन को अप्रैल 2021 में शुरु, एवं फरवरी 2022 में पूरा किया गया।

(ifj;kstuk funs'kd: Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] lhfu;j Qyks)

2- jkT;ksa }kjk fd, x, Je lq/kkjksa dk çHkko vkdyu v/;;u & vrfje fjiksVZ ¼oh- oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] uks,Mk vkSj Hkkjrh; ykd ç'kklu laLFkku] ubZ fnYyh }kjk½

यह अध्ययन मुख्य रूप से राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया गया ताकि राज्यों द्वारा इससे हासिल किए गए लाभों को प्रदर्शित किया जा सके और कमियों, यदि कोई हो जिसमें और सुधार किया जा सकता है, की पहचान की जा सके।

mnn’;

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित चुनिंदा आर्थिक और श्रम बाजार परिणामों और परिणामों के संकेतकों पर श्रम सुधारों के प्रभाव की जांच करना था: (i) आर्थिक विकास; (ii) औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन; (iii) नई इकाइयों की स्थापना में तेजी; (iv) प्रतिष्ठानों के आकार में वृद्धि; (v) कपड़ा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को लाभ, जिन्हें श्रम संबंधी नुकसान का सामना करना पड़ा; (vi) अनुपालन बोझ में कमी; और (vii) संवर्धित सामाजिक सुरक्षा लाभ।

Ikfj.kke

यह देखने की जरूरत है कि श्रम सुधार आर्थिक विकास को निर्धारित करने और नौकरियों को उत्कृष्ट बनाने के लिए समग्र नीति मिश्रण में सिर्फ एक तत्व है। दिए गए सीमित समय में किए गए अध्ययन की इस अंतरिम रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि चार प्रमुख विधायी सुधारों और चार प्रमुख प्रशासनिक सुधारों के प्रभाव का व्यापार करने में आसानी; रोजगार सृजन, विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में; नए उद्यमों/स्टार्ट–अप्स को आकर्षित करना; निवेश आकर्षित करना; प्रतिष्ठानों के आकार में वृद्धि; कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना; कपड़ा, परिधान और चमड़ा जैसे कुछ श्रम प्रधान क्षेत्रों का विकास के संदर्भ में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र और अंत में समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

v/;;u dk 'k# ,o iijk dju dh frfFk

अध्ययन को मई 2021 में शुरु, एवं अगस्त 2021 में पूरा किया गया।

(ifj;ktuk fun'kd: Mk- vuii lriFkh] Qyk)

3- fxx vkj IyVQ,el Jfedk ij “kk/k vè;;u ¼oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku vkj uhfr vk;kx }kjk l;Dr vè;;u½

यह शोध पत्र भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए एक बड़े शोध अध्ययन के एक भाग के रूप में तैयार किया गया था। यह पेपर भारत में गिग और प्लेटफॉर्म कार्यबल के परिमाण का अनुमान लगाने और प्रोजेक्ट करने का प्रयास करता है।

mnn’;

यह शोध अध्ययन निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के साथ किया गया था: (i) भारत के लिए गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता का आकलन करना; (ii) गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के आकार

का अनुमान लगाना (वीवीजीएनएलआई का योगदान); (iii) वैश्विक स्तर पर प्लेटफॉर्म श्रम और इससे संबंधित नियमों की विशेषताओं का निर्धारण; (iv) नौकरियों को खोलने, आजीविका की रक्षा के लिए गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश करना; और (v) भारत में सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना।

lkfj.kke

इस रिपोर्ट में भारत में गिग श्रमिकों के आकार का अनुमान लगाया गया और 2019 के अंत में भारत के 12 शहरों में 3,300 प्लेटफॉर्म श्रमिकों और 1,700 नॉन–प्लेटफॉर्म श्रमिकों को शामिल करते हुए सर्वेक्षण किया गया था। अंतर्दृष्टि को फिर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, और भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र एवं अन्य के द्वारा प्रकट किए गए व्यापक और सूक्ष्म आर्थिक रुझानों के विश्लेषण के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार, भारत में एकत्र किए गए साक्ष्य की तुलना उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ की जाती है ताकि प्लेटफॉर्मीकरण की समानता और अंतर को समझा जा सके क्योंकि यह दुनिया भर में सामने आ रहा है। यह अध्ययन भारत के लिए लाखों नौकरियां खोलने के लिए नीतिगत सिफारिशों के साथ संपन्न होता है, जिसमें प्रवेश बाधाओं को पहचानने और हटाने, यदि कोई हो, और देश में नौकरियों तक पहुंच को सही मायने में लोकतांत्रिक बनाने पर जोर दिया गया है। यह रिपोर्ट प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी सामूहिक समझ को गहरा करने के लिए अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों की पहचान करती है, और बड़े पैमाने पर आजीविका एवं जीवन की रक्षा करते हुए लाखों नौकरियां खोलने की सिफारिश करती है।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जून 2021 में शुरु, एवं फरवरी 2022 में पूरा किया गया।

(ifj;kstuk funs'kd: Mk- ,l- d- 'kf'kdqekj] lhfu;j Qsyks)

4- fxx vkSj IysVQ,eZ Jfed% Je cktkj esa Hkwfedk ij b';w isij ¼Hkkjr dh v/;{krk esa 2021 esa vk;ksftr fczDl Je vkSj jkstxkj ef=;ksa dh cSBd ds fy, rS;kj fd;k x;k½

भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तदनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2021 के दौरान रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में विचार–विमर्श के लिए चार विषयों की पहचान की गई, जो इस प्रकार हैं: ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिकरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकः श्रम बाजार में भूमिका। वीवीजीएनएलआई को इन विषयों पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकः श्रम बाजार में भूमिका पर इश्यू पेपर ब्रिक्स देशों में प्लेटफॉर्म के काम का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। यह ब्रिक्स देशों में प्लेटफॉर्मों की संख्या, इन प्लेटफॉर्मों में वित्त पोषण या

निवेश और पिछले एक दशक में उनके द्वारा सृजित राजस्व के कुछ अनुमान प्रस्तुत करता है। यह डेटा से संबंधित कुछ अस्पष्टताओं और प्लेटफ़ॉर्म कार्य से संबंधित निश्चित पहलुओं को प्रस्तुत करता है तथा सहायक साहित्य के आधार पर ब्रिक्स देशों में प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों से संबंधित कुछ अवसरों और चुनौतियों का पता लगाता है। यह इश्यू पेपर प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू किए गए विनियामक उपायों की भी जांच करता है। अंतिम खंड चर्चा के लिए कुछ प्रमुख मुद्दों को प्रस्तुत करता है।

v/;;u dk 'k# ,o iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2021 में शुरु, एवं अप्रैल 2021 में पूरा किया गया।

(ifj;kstuk funs'kd: Mk- ,l- d- 'kf'kdqekj] lhfu;j Qsyks)

Ekkeyk v/;;u

- युवा रोजगार पैदा करने के लिए 'युवाश्री' का मामला – *डॉ धन्या एम.बी., एसोसिएट फेलो*

çeq[k dk;Z'kkyk,¡@osfcukj

- **fcDl vkSj Xykscy lkmFk esa fxx vkSj IysVQkWeZ dk;ZpkyU ds lanHkZ esa jkstxkj ds u, :i** ij vUrjkZ"Vªh; osfcukj

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), ब्रिक्स श्रम अनुसंधान संस्थान नेटवर्क और आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) के सहयोग से 'ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ में गिग और प्लेटफॉर्म कार्यचालन के संदर्भ में रोजगार के नए रूप' पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 09 मार्च 2022 को किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्देश्य रोजगार के नए रूपों से संबंधित दो विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा करना था – (अ) गिग और प्लेटफॉर्म कार्यचालन के अवसर और चुनौतियां, और (ब) रोजगार के नए रूपों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत माहौल। वेबिनार में इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्रॉस–कंट्री परिप्रेक्ष्य को समझने की परिकल्पना की गई थी। वेबिनार का उद्घाटन श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री बड़थ्वाल ने उल्लेख किया कि गिग और प्लेटफॉर्म जैसे काम करने के नए रूपों ने रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सक्षम किया है, लेकिन साथ ही साथ सेवा शर्तों, सामाजिक सुरक्षा लाभों की समग्रता, विवादों के समाधान के लिए उपयुक्त मंच, आदि के संबंध

में नई चुनौतियों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि देशों द्वारा इन उभरते मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि सभी हितधारकों के लिए यह जीत की स्थिति हो।

अपने विशेष संबोधन में सुश्री डगमर वाल्टर, निदेशक, आईएलओ डीडब्ल्यूटी फॉर साउथ एशिया ने उल्लेख किया कि गिग और प्लेटफॉर्म के कार्यचालन के संबंध में कर्मचारियों और स्व–नियोजित व्यक्तियों के बीच सीमाएं और देशों के बीच की सीमाएं धुंधली हैं, जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। 'रोजगार के नए रूपों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत माहौल' पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता करते हुए डॉ शशांक गोयल, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि बाजार की ताकतें रोजगार के इन नए रूपों, जिनमें गिग और प्लेटफॉर्म कार्यचालन शामिल है, को आकार दे रही हैं और सभी देशों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है। डॉ, उमा रानी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, आईएलओ ने 'गिग और प्लेटफॉर्म कार्यचालन की चुनौतियाँ और अवसर' पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता की और काम करने के इन नए रूपों की रूपरेखा और चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा की।

डॉ एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अपने स्वागत भाषण में वेबिनार के लिए संदर्भ निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के 'प्रतिष्ठित सप्ताह' के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने ब्रिक्स देशों सहित दुनिया भर में काम कर रहे गिग और प्लेटफॉर्म कार्यचालन का अवलोकन प्रदान किया। डॉ. अनूप सतपथी, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और कार्यक्रम का समन्वय किया।

- 28 fnlacj 2021 dks u'kuy baLVhV~;wV v,Q LekVZ xouZsal jk"Vªh; LekVZ xouZsal laLFkku ¼,uvkbZ,lth½ ds lg;ksx ls bZ&xouZsal ij dk;Z'kkyk

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) के सहयोग से 28 दिसंबर 2021 को ई–गवर्नेंस पर एक अर्ध–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की शुरुआत डॉ. एच श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए और संदर्भ स्थापित करने के साथ की। इस कार्यक्रम को श्री सुनील बड़थ्वाल सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने संबोधित किया। उन्होंने ई–श्रम पोर्टल सहित ई–गवर्नेंस सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और उन्होंने वेतन पत्रक (पे–रोल) डेटा के महत्व एवं डेटा विश्लेषण के मुद्दों और चुनौतियों का भी उल्लेख किया। श्री जे. रामकृष्ण राव, महानिदेशक एवं सीईओ, एनआईएसजी ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। प्रो. एस. शिवेंदु, प्रोफेसर, साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, लॉस एंजिलस ने सत्र लिया। इस कार्यशाला की योजना निदेशक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के साथ–साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय के विभागों और संगठनों के प्रमुखों के लिए बनाई गई थी। इस कार्यक्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न संगठनों – ईपीएफओ, ईएसआईसी, सीएलसी, डीजीएलडब्ल्यु,

डॉ एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए

डीजीएफएएसएलआई, डीजीएमएस, डीटीएनबीडब्लुईडी, एनआईसीएस, वीवीजीएनएलआई के 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. धन्या एम बी, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया।

- **Hkkjr esa jkstxkj pqukSfr;ka vkSj j.kuhfr;ka% dksfoM&19 ds ckn dk ifj–'; ij dk;Z'kkyk**

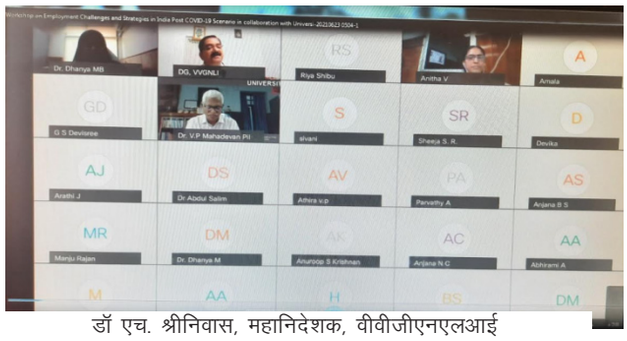

डॉ एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

'भारत में रोजगार चुनौतियां और रणनीतियां: कोविड–19 के बाद का परिदृश्य' पर एक ऑनलाइन कार्यशाला वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा और केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम ने संयुक्त रूप से 23–24 जून 2021 के दौरान आयोजित की। इस कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार में उभरती प्रवृत्तियों के कोविड–19 के बाद के परिदृश्य का एक पर्यावलोकन प्रदान करना; (ii) भारत में कोविड–19 के बाद श्रम बाजार की गतिशीलता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना; (iii) रोजगार, विशेष रूप से महिला रोजगार के पैटर्न और जटिल परिघटना को समझना; और (iv) रोजगार सृजन में श्रम बाजार सर्वेक्षण और रणनीतियां शुरू करने के लिए क्षमता निर्माण।

डॉ एच. श्रीनिवास, आईआरपीएस, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने अध्यक्षीय भाषण दिया जिसके बाद श्री वी. पी. महादेवन पिल्लई, कुलपति, केरल विश्वविद्यालय ने उद्घाटन भाषण दिया। श्रम बाजार और कोविड–19 के परिदृश्य पर विभिन्न विषयों पर सत्र डॉ. एस. के. शशिकुमार, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई; डॉ हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो, डॉ मंजू एस. नायर, प्रोफेसर, और डीन, केरल विश्वविद्यालय; डॉ अनुजा श्रीधरन, एसोसिएट प्रोफेसर, रमैया कॉलेज ऑफ लॉ; डॉ धन्या एम.बी., एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई; डॉ. दीपा सिन्हा, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने लिए। इस कार्यशाला में श्रम बाजार अध्ययन में विशेषज्ञता वाले संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं सहित 57 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ धन्या एम. बी, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ अनीता वी., प्रोफेसर और प्रमुख, केरल विश्वविद्यालय ने कार्यशाला का समन्वय किया।

—f"k lacU/k] xzkeh.k vkSj O;ogkj v/;;u dsanz

पूरे विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के स्तर को आकार देने में श्रम बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अकेले कृषि क्षेत्र को सभी ग्रामीण श्रम शक्ति को पर्याप्त रूप से समा लेने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, फिर भी रोजगार पैदा करने में इसका सहयोग और अर्थव्यवस्था की विविधता के लिए योगदान महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण आबादी के लिए श्रम बाजारों तक पहुंच मुख्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि यह उनकी आजीविका को बनाए रखने का एकमात्र संसाधन हो सकता है। अक्सर, इन श्रमिकों के पास एकमात्र प्रतिभा उनका श्रम है। इसलिए, ग्रामीण श्रम बाजारों के कामकाज को मजबूत करना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा और व्यवसाय की दक्षता को मानवीय बनाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। रोजगार सृजन और श्रम बाजारों के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाना एक महत्वपूर्ण सरोकार है। इसके लिए विस्तृत शोध करनकी आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत सीमित साक्ष्य उपलब्ध हैं।

कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजारों में बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया कि एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से इन जटिलताओं का अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण श्रमिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

O;ogkj v/;;u dk egRo

आज हम एक ऐसी तकनीकी क्रांति की ओर देख रहे हैं जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से संबंधित होने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकती है। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनके पैमाने और दायरे की कल्पना मानव जाति ने नहीं की होगी।

विशेष रूप से कार्यस्थल पर सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल कठिन कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है बल्कि सॉफ्ट कौशल को भी कार्य संस्कृति के अनुरूप समान महत्व दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले सॉफ्ट कौशलों, व्यवहारिक और व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों से व्यक्तियों और उस संगठन, जहां वे कार्य करते हैं, की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और कार्यस्थल में संस्कृति में सुधार करने में भी में मदद मिलेगी। सॉफ्ट स्किल्स में लोगों के कौशल, सामाजिक कौशल, विशेषता और व्यक्तिगत खासियतें, दृष्टिकोण, करिअर विशेषताएँ, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिलब्धि शामिल हैं, जो लोगों को दिन–प्रतिदिन के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है।

केंद्र का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों और सामाजिक भागीदारों यानी ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों; नियोक्ता संगठनों के सदस्यों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों और कर्मचारियों; केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों; शोधकर्ताओं; प्रशिक्षकों; सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों; पंचायती राज संस्थानों; ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के जमीनी स्तर के संगठनों के सदस्यों आदि के व्यवहार और व्यवहार संबंधी कौशल आवश्यकताओं को संबोधित करना है। केंद्र विभिन्न संगठनों

जैसे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नाल्को, एनटीपीसी, भेल, आदि के प्रबंधकों और कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि कर रहा है। ।

इस संस्थान द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में विभिन्न प्रकार के साधन और तकनीक यथा मामला अध्ययन, रोल प्ले, प्रबंधन खेल, अभ्यास, अनुभवात्मक साझाकरण आदि शामिल हैं।

ijh dj yh xbl vuq1/kku ifj;ktuk,@ekeyk v/;;u

1- 'kgjh —f"k e mRiknu ,o jktxkj d ;kxnku vkj mHkjrh pukfr;k dh tkp

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में वर्तमान कृषि संकट के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करना था। इस अध्ययन में अंतर्निहित कारणों को समझने पर जोर दिया गया ताकि एक डिजाइन रणनीति की अवधारणा की जा सके जो देश में कृषि के गतिशील विकास और सतत विकास का समर्थन करे। अध्ययन का उद्देश्य विशेष रूप से मौजूदा उत्पादन प्रक्रिया, रोजगार और उत्पादकता के पैटर्न, कृषि में उभरती चुनौतियों की जांच करना था। अधिकांश उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने शिक्षा सरकारी संस्थानों से पाई, उत्तरदाताओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आस–पास के शहरों और राज्यों में पलायन करना पड़ा, शहरों में सरकारी कल्याणकारी नीतियों का भरपूर लाभ उठाया गया क्योंकि शहरों के उत्तरदाताओं को ऐसी नीतियों एवं योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी थी और गांवों के उत्तरदाताओं की तुलना में उनके लिए इन सुविधाओं तक आसानी से पहुंचना आसान था। इस अध्ययन में सामने आई उभरती चुनौतियों में बेरोजगारी और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा थे। शहरों में बैंकिंग सेवाएं बहुत लोकप्रिय थीं लेकिन ऋण सुविधाओं को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी।

v/;;u dk 'kq: ,o iwjk djus dh frfFk

इस अध्ययन को नवंबर 2021 में शुरू, एवं मार्च 2022 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% M‚- 'kf'k ckyk] Qsyk½

2- Je lfgrkvk d ekè;e l xkeh.k vFk0;oLFkk e efgykvk dk l'kDr cukuk

यह ई–ग्रामीण शिविर कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था: प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाना और श्रम संहिताओं पर जागरूकता प्रदान करना, ग्रामीण समाज और आर्थिक संबंधों की समझ विकसित करना, सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा करना, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकसित करना और महिला श्रमिकों के बारे में श्रम संहिताएं, 2020 एवं श्रम कानूनों से परिचित होना।

v/;;u dk 'k: ,o iijk dju dh frfFk

इस अध्ययन को अगस्त 2021 में शुरू, एवं सितम्बर 2021 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% M,- 'kf'k ckyk] Qyks½

3- Je lfgrkvk ij efgyk Je d ijkdkjk d urRo dk'ky dk l–<+ cukuk

यह ई–ग्रामीण शिविर निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था: ग्रामीण नेताओं और उनकी आबादी को उनके कौशल को विकसित करने और श्रम संहिताओं पर जागरूकता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना, महिला श्रमिकों को कृषि के बारे में ज्ञान और जानकारी प्रदान करना, उत्तरदाताओं के बीच पारस्परिक संचार को बढ़ाना, विभिन्न श्रम कानूनों/श्रम संहिताओं 2020 में कानूनी सुरक्षा पर चर्चा करना और महिला श्रमिकों के लिए कल्याण निधि के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना।

v/;;u dk 'k: ,o iijk dju dh frfFk

इस अध्ययन को अगस्त 2021 में शुरू, एवं सितम्बर 2021 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% M,- 'kf'k ckyk] Qyks½

Tkkjh vuqla/kku ifj;kstuk

1- —f"k ldV dk le>uk% xkeh.k —f"k e mRiknu] jkstxkj vkj mHkjrh pqukfr;k dk ,d vè;;u

यह अध्ययन कृषि में मौजूदा उत्पादन प्रक्रिया, इसके रोजगार पैटर्न और मूल्य एवं बाजार तंत्र के प्रभाव का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सरकारी नीतियों पर भी प्रकाश डालता है और स्थायी कृषि विकास के लिए विभिन्न रणनीतिक अनुशंसाओं को सामने लाता है। यह पाया गया कि बेरोजगारी और काम के लिए पलायन के मुद्दे को कम करने से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। अंत में, गांवों और कस्बों में उच्च शिक्षा के लिए नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने से पलायन को कम करने और साक्षरता दर में वृद्धि करने में मदद मिल सकती है।

v/;;u dk 'kq: ,o iijk dju dh frfFk

परियोजना को नवंबर 2021 में शुरु किया गया, एवं जून 2022 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd% M,- 'kf'k cyk] Qsyk½

Ekkeyk v/;;u

- समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में आजीविका और सामाजिक संरक्षण का प्रबंधनः क्षेत्रीय दौरों के दो मामलों से अंतर्दृष्टि – श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो

çeq[k dk;Z'kkyk,a

- *Hkkjr esa lhekar xzkeh.k Je dh pqukSfr;k% lekos'k dh vko';drk* ij lg;ksxkRed dk;Z'kkyk

संस्थान ने 20–22 अक्तूबर 2021 के दौरान गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (जीआरआई) के साथ 'भारत में सीमांत ग्रामीण श्रम की चुनौतियांः समावेश की आवश्यकता' पर एक ऑनलाइन सहयोगात्मक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्‌देश्य इस प्रकार थेः भारत में ग्रामीण श्रमिकों के सामाजिक समावेश पर चर्चा करना; भारत में श्रम बाजार में लैंगिक मुद्‌दों को समझना; ग्रामीण श्रमिकों की गतिशीलता और उनके मुद्‌दों का विश्लेषण करना; भारत में श्रम अनुसंधान के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों को जानना; ग्रामीण श्रमिको पर प्रवासन के प्रभाव का पता लगाना, ग्रामीण भारतीय संदर्भ में संगठित और असंगठित क्षेत्र को विस्तार से समझाना; श्रम बाजार में सामाजिक सुरक्षा की समझ विकसित करना; और श्रम की वित्तीय समावेशन नीतियों का आकलन करना। इस कार्यशाला में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. शशि बाला, फेलो, वीवीजीएनएलआई/डॉ. ए. मणि और डॉ. अंजुली चंद्रा, सहायक प्रोफेसर –सह–सहायक निदेशक, जीआरआई ने इस कार्यशाला का समन्वय किया।

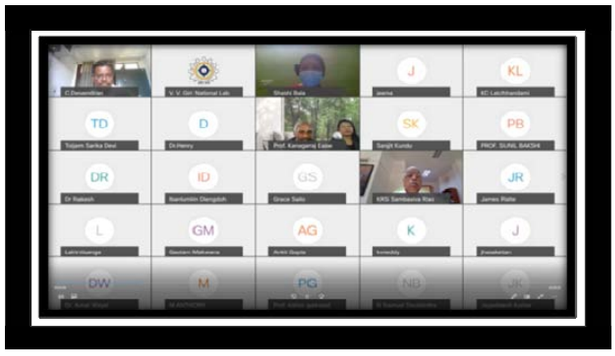

- ^vkfnoklh vkj xkeh.k ;okvk d fy, dk'ky fodkl% pukfr;k vkj volj^ ij lg;kxkRed dk;'kkyk

वीवीजीएनएलआई ने सामाजिक कार्य विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के सहयोग से 24–26 नवंबर 2021 के दौरान ^vkfnoklh vkj xkeh.k ;okvk d fy, dk'ky fodkl% pukfr;k vkj volj^ पर एक सहयोगात्मक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित पर चर्चा करना था: आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास चुनौतियां और अवसर; आदिवासी और ग्रामीण युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास; आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास से संबंधित समावेशन नीतियां; कौशल विकास के माध्यम से आदिवासी और ग्रामीण युवाओं की बेहतरी एवं समावेशन की दिशा में सरकार, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र की भूमिका। कार्यशाला में 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. सी. देवेंद्रन, प्रोफेसर, मिजोरम विश्वविद्यालय ने किया।

प्रो. के.आर.एस. संबाशिव राव, कुलपति, मिजोरम विश्वविद्यालय प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

Çyx ,o Je v/;;u dn

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। पूरे विश्व में अनेक देशों की विकासात्मक नीतियों के केंद्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण रहे हैं और यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक श्रम बाजारों में श्रम बल सहभागिता दरों एवं बेरोजगारी दरों में लैंगिक आधार पर अंतर लगातार बने हुए हैं। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक एवं नीतिगत, दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

श्रम बाजार लैंगिक अंतराल विकासशील देशों में अधिक हैं, तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्नों के द्वारा अक्सर ये और बढ़ जाते हैं क्योंकि महिलाओं के अधिकतर काम सैक्टरों के सीमित दायरे में केंद्रित होते हैं तथा ये कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं। ये कामगार अधिकांशतः अनौपचारिक रोजगार यथा घरेलू कामगार, स्व–नियोजित, अनियत कामगार, उजरती दर कामगार, गृह–आधारित कामगार, तथा कम कौशल वाले प्रवासी कामगार होते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम आय एवं कम उत्पादकता होती है। इसके अलावा, लैंगिक आधार पर वेतन एवं मजदूरी में अंतर एक गंभीर मुद्दा है जिसके लिए सभी हितधारकों के द्वारा निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ पेश किया जाता है। पारंपरिक श्रम आँकड़े वास्तविकता की आंशिक धारणा प्रदान करते हैं क्योंकि वे महिलाओं के काम को पर्याप्त रूप से चित्रित करने में असमर्थ हैं। श्रम बाजार में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और श्रम बाजारों की लैंगिक प्रकृति को देखते हुए, विशिष्ट तंत्र की आवश्यकता है ताकि नीति निर्माताओं द्वारा निर्माण और कार्यान्वयन, दोनों स्तरों पर लिंग संबंधी चिंताओं को मुख्यधारा में लाया जा सके। सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को चिह्नित करने हेतु पूर्ण उत्पादक रोजगार, स्थिरता और सामाजिक समावेश के नये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं पर्याप्त समानता प्राप्त करने के लिए नीतियों के बारे में जागरूकता, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तिकरण लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र के द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियाँ होंगी। इस ढांचे के भीतर कार्य की दुनिया में लिंग से संबंधित विभिन्न आयामों पर नीति उन्मुख अनुसंधान करने, प्रशिक्षण प्रदान करने, कार्यशालाओं/सेमिनारों को आयोजित करने, परामर्शी कार्य, प्रकाशन का कार्य आदि करने के लिए लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य लिंग और श्रम अध्ययन के उभरते क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति को सूचित करने के लिए अंतर्विधात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना भी है।

ijh dj yh xb vuq l/kku ifj;kt uk,

1- fcDl bfM;k 2021 & Je cy e efgykvk dh Hkkxhnkjh ij b';w isij

2021 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तदनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2021 के दौरान रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में विचार–विमर्श के लिए चार विषयों की पहचान की गई, जो इस प्रकार हैं: ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिकरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकः श्रम बाजार में भूमिका। वीवीजीएनएलआई को इन विषयों पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

*^Je cy e efgykvk dh Hkkxhnkjh^* पर इश्यू पेपर ब्रिक्स देशों में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी की प्रवृत्तियों की एक संक्षिप्त समीक्षा प्रदान करता है। यह महिलाओं के काम को बढ़ावा देने के अवसरों एवं चुनौतियों की पहचान करने की कोशिश करता है और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी ब्रिक्स देशों में शुरू किए गए कुछ हालिया एवं अभिनव नीतिगत हस्तक्षेपों पर प्रकाश डालता है। इस इश्यू पेपर का उद्देश्य श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए बड़े नीतिगत मुद्दों में योगदान के लिए सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करना भी है।

v/;;u dk 'k# ,o iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2021 में शुरु, एवं अप्रैल 2021 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% MkW- ,yhuk lkeUrjk;] Qsyk½

2- efgykvk d loru vkj voSrfud dk;% le; mi;kx lo{k.k ¼Vh;w,l½ vkj dk;Zi.kkyh d eqnnk ls vrn`f"V

mn~ns';

- महिलाओं के लिए रोजगार के रुझान और सवेतन एवं अवैतनिक कार्य के बीच संबंधों को समझना
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, दोनों स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों में व्यतीत समय के विश्लेषण के माध्यम से महिलाओं के समय उपयोग पैटर्न का पता लगाना
- महिलाओं के समय वितरण पैटर्न और शिक्षा, वैवाहिक स्थिति एवं सामाजिक समूहों के साथ उनके प्रतिच्छेदन को समझना
- बहु–गतिविधि और एक साथ अनेक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और कल्याण पर इसके प्रभाव का पता लगाना
- समय उपयोग सर्वेक्षणों और सामंजस्य के मुद्दों से जुड़ी कार्यप्रणाली चुनौतियों को उजागर करना

- नीति में टीयूएस की भूमिका, विशेष रूप से यह समझना कि इस तरह के सर्वेक्षण महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार के लिए नीति को सूचित करने में कैसे मदद कर सकते हैं।

Ikfj.kke

- वर्तमान अध्ययन ने समय उपयोग सर्वेक्षण, 2019 से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके महिलाओं के सवेतन और अवैतनिक कार्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों – शैक्षिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति, व्यापक उद्योग रोजगार, रोजगार के प्रकार, और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में कैसे भाग लिया। लैंगिक असमानताओं को उजागर करके अध्ययन ने घरेलू सदस्यों और अवैतनिक देखभाल वाली सेवाओं के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में महिलाओं की उच्च भागीदारी दर और उनके द्वारा व्यतीत किए गए औसत समय का अनुमान लगाने का प्रयास किया।

- अधिकांश भारतीय राज्यों में, खासकर शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी कम रही है। भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, पुरुषों के सवेतन और एसएनए गतिविधियों में भाग लेने की अधिक संभावना है, जबकि महिलाएं अवैतनिक और गैर–एसएनए गतिविधियों में भाग लेने के लिए अधिक इच्छुक हैं।

- सामाजिक समूहों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की अपने स्वयं के उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन में अधिक भागीदारी थी, जो ज्यादातर वित्तीय आवश्यकता के कारण थी। उन्होंने परिवार के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं और उसी समय में अवैतनिक देखभाल देने वाली सेवाओं में भी भाग लिया।

- इसके अलावा, अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में महिला आकस्मिक मजदूरों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है; हालांकि, पिछले वर्षों की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए 2017–18 और 2018–19 के बीच नियमित वेतन या वेतनभोगी महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वनियोजित श्रमिकों के प्रतिशत में वृद्धि के बावजूद शहरी क्षेत्रों में कोई प्रगति नहीं हुई।

- इसके अलावा, पीएलएफएस के इकाई स्तर के आंकड़ों से पता चला है कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पर्याप्त पहुंच नहीं थी। दूसरी ओर, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की सामाजिक सुरक्षा तक अधिक पहुंच थी, जो महिलाओं के प्रति भेदभाव को रेखांकित करता है। इसके अलावा, अधिकांश महिलाओं के पास औपचारिक नौकरी अनुबंध नहीं थे, और कार्यबल में काफी बड़े अनुपात में महिलाएं अशिक्षित थीं।

- ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक श्रमिकों के रूप में काम करने वाली अविवाहित महिलाओं और हाल ही में विवाहित की संख्या में गिरावट आई है। जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है, उनके मामले में शहरी क्षेत्रों में स्व–रोजगार दरों में गिरावट देखी है, और नियमित श्रमिकों के रूप में काम करने वाली तलाकशुदा या अलग होने वाली महिलाओं की संख्या में भी गिरावट देखी गई है।

- समय उपयोग सर्वेक्षण, 2019 के इकाई स्तर के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में 92 प्रतिशत महिलाएं घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में अपना समय व्यतीत करती हैं, जबकि 63.2 प्रतिशत के बड़े अंतर के साथ केवल 28.8 प्रतिशत पुरुष ही उक्त गतिविधि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- अवैतनिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी रोजगार की स्थिति के बावजूद पितृसत्तात्मक मानदंडों और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण उच्च बनी रही। महिलाएं अपना अधिकांश समय अपने परिवारों के लिए भोजन तैयार और प्रबंधित करने के साथ–साथ अपने घरों और आसपास की सफाई एवं रख–रखाव में लगाती हैं।
- इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ज्यादातर अवैतनिक गतिविधियों में शामिल हैं, क्योंकि इन समुदायों की आय कम है। यह देखा गया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी एसएनए गतिविधियों में महिलाएं पिछड़ रही हैं, जबकि समान शैक्षणिक योग्यता वाले पुरुषों की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है।
- इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में घरेलू काम के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं के साथ–साथ घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल वाली सेवाओं में संलग्न पाया गया।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को 01 अक्तूबर 2021 को शुरु, एवं 31 मार्च 2022 को पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% M‚- ,yhuk lkeUrjk;] Qsyk½

3- Hkkjrh; —f"k esa efgykvksa dh v—';rk% mÙkj çns'k dk ,d ekeyk ¼uxj½

यह शोध अध्ययन नगर (बरेली वार्ड 46, फरीदपुर वार्ड 8, बारागांव और वाराणसी वार्ड 25) के विशेष संदर्भ में भेदभाव और लैंगिक असमानता के कारणों को समझने, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को कम करने और कृषि में समान अधिकार, भूमिका, रोजगार और वेतन प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित था। स्थानीय माहौल में लैंगिक भूमिका और गतिशीलता का पता लगाया गया और यह पाया गया कि कृषि क्षेत्र अधिकांश महिलाओं को रोजगार नहीं देता है। ऐसी समस्याओं से समाज में महिलाओं की अधीनता, गरीबी, विस्थापन और भुखमरी को बढ़ावा मिला है। शहरी कृषि में महिलाओं की भागीदारी प्रच्छन्न प्रकृति की है। ।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को नवंबर 2021 में शुरु, एवं मार्च 2022 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% M‚- ’kf’k cкyk] Qsyk½

4- —f"k esa fyax dk mHkjrk #>ku% mÙkj çns'k dk ,d ekeyk ¼xkao½

महिलाएं किसी भी विकसित समाज की रीढ़ होती हैं। किसी भी समाज में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका स्थिरता, प्रगति और राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करती है। अध्ययन ने गांव (टिसुआ, उरला

जागीर, धौरहरा और पिंडरा) के विशेष संदर्भ में विभिन्न आयामों से भेदभाव और लैंगिक असमानता के मूल कारणों का पता लगाने, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को कम करने और कृषि में समान अधिकार, भूमिका, रोजगार और वेतन प्राप्त करने के लिए कृषि में महिलाओं की भूमिका जांच की।

महिलाओं के केवल एक छोटे से हिस्से के पास जमीन है और उस पर उनका अधिकार है, और उससे भी कम लोगों के पास कृषि उद्देश्यों के लिए जमीन पट्टे पर है। दरांती एक उपकरण है जिसका उपयोग महिलाएं फसल काटने के लिए करती हैं। यह कहना सही होगा कि खेतों में काम करने वाली महिलाएं तकनीकी रूप से समय से पीछे हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अपनी जमीन पर मौजूद मिट्टी के प्रकारों के बारे में कम जानकारी होती है।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को नवंबर 2021 में शुरु, एवं मार्च 2022 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% M,- 'kf'k cky] Qyk½

5- Je lfgrk,i vkj yfxd lekurk d çfr lonu'khyrk c<kuk

ग्रामीणों के कौशल को मजबूत करने और श्रम संहिताओं पर जागरूकता प्रदान करने के लिए लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र के तहत एक ई–ग्रामीण शिविर आयोजित किया गया। कारकों के चयन के संबंध में सभी जानकारी कृषि संकट को समझनाः उत्पादन, रोजगार एवं उभरती चुनौतियों का अध्ययन से ली गई। इन क्षेत्रों में किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर अध्ययन क्षेत्र का चयन किया गया, स्थानीय प्रशासन जैसे सरपंच, श्रम अधिकारी आदि और स्थानीय प्रगणक ने प्रतिभागियों के एक बैच का चयन किया। श्रम शिविर में भाग लेने वालों के समूह में पुरुष और महिला दोनों (लगभग 6:4 के अनुपात में) शामिल थे। उनमें से अधिकांश बेरोजगार थे और उनकी शिक्षा प्राथमिक स्तर तक थी, जबकि अधिकांश महिला प्रतिभागी अशिक्षित थीं।

समस्या की पहचान ने ई–कैंप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। प्रतिभागियों की समस्याओं और चुनौतियों को दो तकनीकों का उपयोग करके देखा गया; i) समस्या पहचान प्रश्नावली और ii) समस्या पहचान सत्र, जो शिविर के तीन दिनों तक जारी रहे। रोजगार के अवसरों की कमी गांव में एक सतत समस्या थी। प्रतिभागियों को कार्य की दुनिया में नए अवसरों के साथ 'ई–श्रम' और राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल से परिचित कराया गया। शिविर में सरकार की विभिन्न योजनाओं का वर्णन करने वाले सत्र शामिल थे जो चुनौतियों पर काबू पाने में सहायक हैं जैसे गरीबों के लिए आवास के प्रावधान के लिए आवास योजना, व्यापारिक लैंगिक ग्रामीण शोषण के लिए तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास और पुनःएकीकरण के लिए उज्ज्वला योजना, बालिकाओं की कल्याण सेवाओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने और दक्षता में सुधार करने के लिए बेटी बचाओ–बेटी पढाओ योजना।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को नवंबर 2021 में शुरु, एवं मार्च 2022 में पूरा किया गया।

¼ifj;k tuk fun'kd% M,- 'kf'k ckyk] Qyk½

6- Hkkjr e Je lfgrkvk ,o tMj fjLi,fUlo ctfVx dk ifjp;

इस अध्ययन का उद्‌देश्य जेंडर और उत्पादक रोजगार/अर्थव्यवस्था में योगदान के साथ उसके अंतर्संबंधों, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानूनी ढांचे, कार्य की दुनिया में लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करने के लिए आवश्यक रणनीतियों, और भारत में श्रम संहिताओं एवं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को समझना था। महिलाएं अपना अधिकांश समय अवैतनिक गतिविधियों में व्यतीत करती हैं जबकि पुरुष अपना अधिकांश समय सवेतन गतिविधियों में व्यतीत करते हैं। शिविर में सरकार की विभिन्न योजनाओं का वर्णन करने वाले सत्र शामिल थे जो चुनौतियों पर काबू पाने में सहायक हैं जैसे गरीबों के लिए आवास के प्रावधान के लिए आवास योजना, वाणिज्यिक लैंगिक ग्रामीण शोषण के लिए तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास और पुनःएकीकरण के लिए उज्ज्वला योजना, बालिकाओं की कल्याण सेवाओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने और दक्षता में सुधार करने के लिए बेटी बचाओ–बेटी पढाओ योजना। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, उन्हें ग्राम प्रधान के सहयोग से आगे की पढ़ाई के लिए नेशनल ओपन स्कूल से जोड़ा गया।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को नवंबर 2021 में शुरु, एवं मार्च 2022 में पूरा किया गया।

¼ifj;k tuk fun'kd% M,- 'kf'k ckyk] Qyk½

Ekkeyk v/;;u

वर्क फ्रॉम होमः एक मामला अध्ययन – *डॉ. शशि बाला, फेलो*

çeq[k dk;Z'kkyk,¡@oscukj

- Je lafgrk,% ,d Ik;kZoyksdu

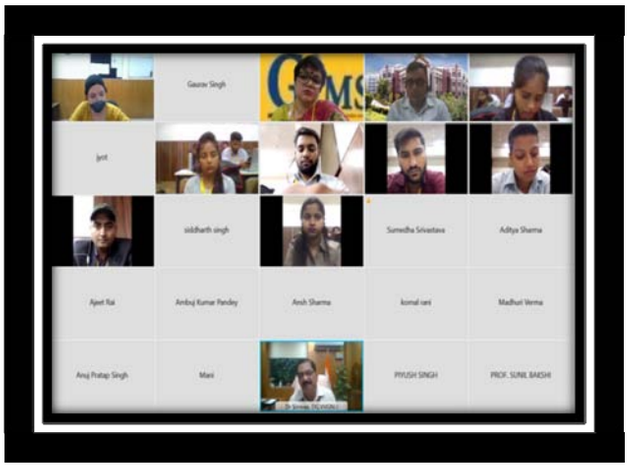

जीएनआईओटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ग्रेटर नौएडा के पीजीडीएम छात्रों के लिए 'श्रम संहिताएंः एक पर्यावलोकन' पर एक कार्यशाला 31 अगस्त 2021 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया और स्वागत भाषण डॉ. अरुण कुमार सिंह, निदेशक, जीएनआईओटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ग्रेटर नौएडा द्वारा दिया गया था। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य श्रम संहिताओं के बारे में जागरूकता प्रदान करना था। कार्यशाला में 28 छात्रों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

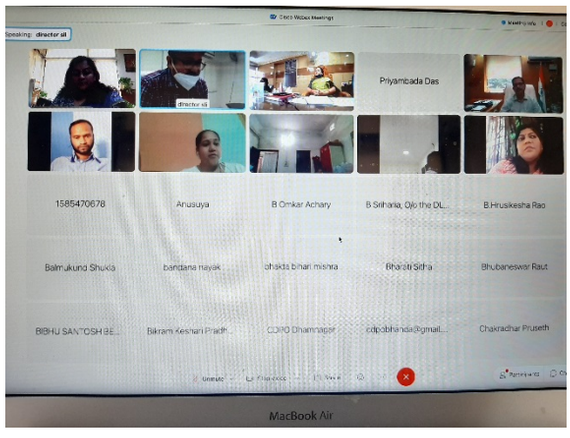

- dk;ZLFky ij efgykvksa ds mRihM+u dk lek/kku djuk% dkuwu vkSj uhfr ij ,d&fnolh; dk;Z'kkyk

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने राज्य श्रम संस्थान (एसएलआई), ओडिशा के सहयोग से 03 सितंबर 2021 को *'कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का समाधान करनाः कानून और नीति'* पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित वैचारिक मुद्दों को समझना और पीओएसएच अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करना; (ii) कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अच्छी प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों (सी 190) को समझना; (iii) कानून के कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों और सामाजिक भागीदारों की भूमिका को समझना; (iv) जांच प्रक्रियाओं, आंतरिक शिकायत समितियों, स्थानीय शिकायत समिति की भूमिका, आदि पर चर्चा करना; (v) हर स्तर पर कानूनी प्रावधानों को लागू करने और संबंधित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करना और आगे की राह पर चर्चा करना। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई, नौएडा ने किया। श्री अशोक कुमार पांडा, निदेशक, राज्य श्रम संस्थान, ओडिशा और डॉ. मिनाती बेहरा, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, ओडिशा ने कार्यशाला में विशेष भाषण दिया। डॉ. माला भंडारी, संस्थापक निदेशक, सद्रग, नई दिल्ली, डॉ. कस्तूरी महापात्रा, पूर्व. अध्यक्ष, ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (ओएससीपीसीआर), डॉ किंग्शुक

सरकार, संयुक्त श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार, सुश्री नंदिता प्रधान भट्ट, निदेशक, मार्था फैरेल फाउंडेशन, नई दिल्ली, डॉ देविका सिंह, एडवोकेट, सह–संस्थापक और कंट्री प्रैक्टिस हेड, कोहेयर कंसल्टेंट्स, नई दिल्ली, सुश्री अनुसूया राउत, विशेषज्ञ, प्रशिक्षण एसपीएमयू, महिला एवं बाल विकास विभाग, ओडिशा और डॉ. पौलोमी पाल, स्वतंत्र सलाहकार, नई दिल्ली ने इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। कार्यशाला में ओडिशा राज्य के सरकारी अधिकारियों, श्रमिकों, नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया।

- Jfed enn] Je lfgrk, vkj efgyk Jfedk l lcf/kr dkuu ij ofcukj

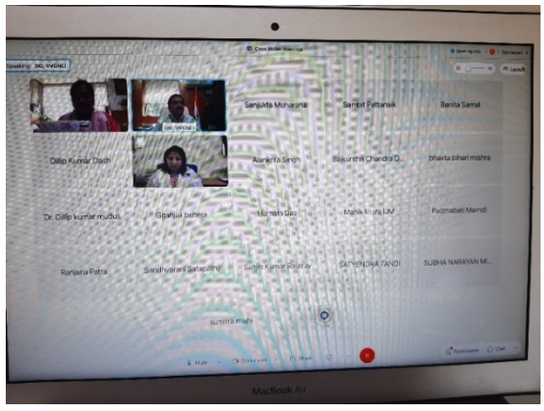

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने राज्य श्रम संस्थान (एसएलआई), ओडिशा के सहयोग से 20–21 अक्टूबर 2021 के दौरान ^Jfed enn] Je lfgrk, vkj efgyk Jfedk l lcf/kr dkuu^ पर दो– दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) लिंग और श्रम बाजार का पर्यावलोकन प्रदान करना, (ii) मजदूरी, कार्यदशाओं, रोजगार सुरक्षा आदि के संबंध में मौजूदा असमानताओं और कोविड–19 महामारी के कारण महिलाओं के लिए उभरती चुनौतियों का विश्लेषण करना, (iii) कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा कानूनी दस्तावेजों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना, (iv) भारत में श्रम कानूनों के समग्र ढांचे और श्रम कानून सुधार के संदर्भ पर चर्चा करना, और (v) भारत में नई श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं और महिला श्रमिकों के लिए प्रावधानों पर चर्चा करना। वेबिनार का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई, नौएडा ने किया। वेबिनार को चार पैनलों में विभाजित किया गया था; (i) श्रम बाजार में लिंग संबंधी चिंताएं और लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, (ii) संवैधानिक प्रावधान, श्रम संहिताएं और महिला श्रमिकों पर इसका प्रभाव, (iii) श्रम संहिताओं का कार्यान्वयनः चुनौतियां और संभावनाएं (iv) श्रम संहिताओं पर ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के दृष्टिकोण। पैनलिस्टों, सुश्री आया मत्सुरा, जेंडर स्पेशलिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ); डॉ रूमा घोष, फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान; डॉ एलीना सामंतराय, फेलो वीवीजीएनएलआई; डॉ. मोनिका बनर्जी, रिसर्च फेलो, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट (आईएसएसटी); डॉ संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई; श्री अंकुर दलाल, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ अनूप सत्पथी, फेलो, वीवीजीएनएलआई; श्री राजन वर्मा, पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ किंशुक सरकार, संयुक्त श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार; डॉ मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई; श्री राम कृष्ण पांडा, राष्ट्रीय सचिव, एटक; श्री अरविंद फ्रांसिस, तकनीकी सलाहकार, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (एआईओई) और श्री प्रशांत कुमार पाढ़ी,, एनएफआईटीयू, ओडिशा ने इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। वेबिनार में ओडिशा राज्य

के सरकारी अधिकारियों, श्रमिकों, नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वेबिनार का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने किया।

- **nf{k.k if'peh fnYyh efgyk l?k ¼,lMCY;wMhMCY;w,½ ubZ fnYyh ds lg;ksx ls vlaxfBr lsDVj dh efgyk dkexkjksa dk l'kfDrdj.k**

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के उपलक्ष्य में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली महिला संघ (एसडब्ल्यूडीडब्ल्यूए), नई दिल्ली ने 11 मार्च 2022 को 'असंगठित सैक्टर की महिला कामगारों का सशक्तिकरण' पर एक सहयोगात्मक कार्यशाला का आयोजन ऑडियो–वीडियो हॉल, आगा खाँ हॉल, भगवानदास रोड़, दिल्ली में किया। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से डॉ. एम. एम. रहमान और डॉ. मनोज जाटव ने इस कार्यशाला का समन्वय किया। इस कार्यक्रम में घरेलू कामगारों और निर्माण श्रमिकों सहित कुल 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

jk"Vªh; cky Je lalk/ku dsanz (,uvkjlhlh,y)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने हेतु उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के कार्य में सरकार,, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ, कामगार संगठनों, और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। यह केंद्र बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के कार्य में कानून–निर्माताओं, नीति–निर्माताओं, योजनाकारों तथा परियोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्यों का समर्थन करता है। केंद्र विभिन्न सरकारी विभागों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, शिक्षविदों, समाज कार्य एवं सामाजिक विज्ञान के छात्रों, सीएसआर कार्यपालकों सहित विकास सैक्टर एवं कारपोरेट सैक्टर के कार्मिकों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों, आरडब्ल्युए के पदाधिकारियों, एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा समूहों, पंचायती राज संस्थाओं तथा बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन की दिशा में कार्य करने वाले अन्य सामाजिक भागीदारों की क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करता रहा है।

एलआरसीसीएल की व्यापक गतिविधियों में शामिल हैः अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रभाव आकलन, मूल्यांकन, निष्पादन आकलन, प्रशिक्षण मैन्युअल/मॉड्यूल/पैकेज विकसित करना, पाठ्यचर्या विकास, पक्ष–समर्थन, तकनीकी सहायता/सलाहकार सेवाएं/परामर्श, दस्तावेजीकरण, प्रकाशन, प्रसार, नेटवर्किंग, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए अभिसरण को बढ़ावा देना तथा आबादी के विभिन्न समूहों के मध्य जागरूकता का सृजन करना जिससे जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सके। इन कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना है।

vuqla/kku

अनुसंधान एनआरसीसीएल की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और अनुसंधान अध्ययनों में निवारक उपाय विकसित करने के उद्देश्य से कामकाजी बच्चों के परिमाण, आयाम और बच्चों के श्रम शोषण के निर्धारक जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में तस्करी किए गए बच्चों एवं प्रवासी बाल श्रमिकों की कमजोरियों एवं असुरक्षिताओं पर फोकस किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बाल संरक्षण तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य, नीतिगत एवं विधायी रूपरेखा और उनके प्रवर्तन की स्थिति, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, रहने और काम करने की स्थिति, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि का मूल्यांकन भी किया जाता हैं। एनआरसीसीएल ने माइक्रो, मेसो और मैक्रो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों के आधार पर अनेक अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन अध्ययन पूरे किए हैं।

अनुसंधान परियोजनाओं में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है:

1. चुनिंदा खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर बेंचमार्क सूचना का सृजन करना।
2. बाल श्रम के वैचारिक और निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने और बाल श्रम के अपराध के लिए जिम्मेदार कारकों के सामाजिक–आर्थिक निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना।
3. प्रतिकृति के लिए सफल अनुभवों का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने की अवसर लागतों को प्रासंगिक बनाना।
4. श्रमिक शोषण में बच्चों के मुद्दे पर प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन एवं मूल्यांकन अध्ययन।
5. बाल श्रम की रोकथाम, पहचान, बचाव, रिहाई, प्रत्यावर्तन, पुनर्वास, पुनःएकीकरण, एकीकरण के बाद तथा ट्रैकिंग एवं निगरानी के लिए कार्यनीतियां विकसित करना।

iwjh dj yh xbZ vuqla/kku ifj;kstuk

1- dksfoM &19 egkekjh] mlds ckn ds yk‚dMkmu ,oa çfrykse çokl ds ennnutj cekku dh pqukSfr;ksa] vlqj{kkvksa ,oa detksfj;ksa dk irk yxkuk vkSj cekvksa etnjksa dh igpku] fjgkbZ ,oa iquokZl ds fy, ,Mokbtjh fodflr djuk

वीवीजीएनएलआई बंधुआ मजदूरी और संबंधित पहलुओं के मुद्दों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधुआ मजदूरों को तत्काल पुनर्वास का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अपने बंधुआ श्रमिकों का 'उपयुक्त पुनर्वास' करने के लिए संघ का कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है; और अनुच्छेद 23, जो ऋण बंधन एवं जबरन मजूदरी या गुलामी के अन्य रूपों के प्रचलन पर रोक लगाता है, के द्वारा भी आवश्यक है। भारत सरकार ने 1978 से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक समर्पित सरकारी योजना के माध्यम से बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए प्रावधान किया है। इस योजना में पिछले कुछ वर्षों में दो संशोधन हुए हैं। 2016 में, सरकार ने 'बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए नई केंद्रीय सैक्टर योजना' को अपनाया। इस योजना के माध्यम से सरकार ने रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए प्रारंभिक पुनर्वास नकद सहायता बढ़ाने की आवश्यकता को पहचाना। यह योजना नकद मुआवजा प्रदान करके बंधुआ मजदूरी में फंसे विभिन्न समूहों की जरूरतों का पता लगाती है। बीएलआर योजना के तहत पूर्ण पुनर्वास नकद सहायता अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के परिणाम से जुड़ी है।

इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बेहतर आर्थिक और रोजगार के अवसरों की तलाश करने वाले कारकों का पता लगाना था। उनके अलग–थलग कार्यस्थलों की स्थितियों में उनके बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच बनाने में आने वाली बाधाओं और उनके गंतव्य में सांस्कृतिक और भाषायी अंतर का पता

लगाने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य कोविड–19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण प्रतिलोम प्रवासन के मद्देनजर बुनियादी सामाजिक सेवाओं और आजीविका तक पहुँच बनाने में आने वाली चुनौतियों, असुरक्षाओं और कमजोरियों की पहचान करना भी था।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को सितंबर 2020 में शुरु, एवं जुलाई 2021 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gsyu vkj- lsdj] lhfu;j QSyks½

Ekkeyk v/;;u

कोविड–19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में सरकारी और गैर–सरकारी कार्यकर्ताओं की भूमिकाः पहल, हस्तक्षेप और सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने का मामला अध्ययन
– *डॉ. हेलन आर सेकर, सीनियर फेलो*

Tkkjh vuqla/kku ifj;kstuk

1- dkuwuksa ds çorZu vkSj caèkqvk etnwjksa@cky Jfedksa ds iquokZl dh fLFkfr

इस परियोजना में उत्तरदाताओं का ऑनलाइन सर्वेक्षण शामिल था जहां बंधुआ मजदूरों/बाल श्रमिकों के बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन के मुद्दों और उनकी स्थिति पर डेटा प्राप्त किया गया था। मात्रात्मक जानकारी हासिल करने के लिए प्रश्नावली तैयार की गई थी। इसके उद्देश्य इस प्रकार थेः मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के बीच संबंध को समझना; बंधुआ मजदूरी के नए रूपों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना; बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी की प्रथा और प्रणाली की पहचान, रोकथाम, उन्मूलन के लिए ज्ञान और कौशल को मजबूत करना; बचाव से पुनर्वास तक की महत्वपूर्ण संकट अवधि के दौरान प्रभावी और समय पर कार्रवाई के महत्व पर चर्चा करना; वैधानिक और कानून प्रवर्तन निकायों की भूमिका को समझने के लिए बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों की पहचान, रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर ज्ञान प्रदान करना; और अपराधियों के प्रभावी अभियोजन के लिए कौशल भी बढ़ाना। इस सर्वेक्षण में शामिल जिले और राज्य इस प्रकार हैंः आंध्र प्रदेश के विजयनगरम, धुबरी, कुरनूल, गुंटूर, अनंतपुरम, प्रकाशम, कृष्णा, चित्तूर, विजयवाड़ा, राजमुंदरी जिले; असम के कामरूप, नागांव जिले; गुजरात का जिला कच्छ; झारखंड के पाकुड़, हजारीबाग जिले; कर्नाटक के बागलकोट, रायचूर, बेल्लारी, कोलार, गडग, बैंगलोर जिले; मध्य प्रदेश के सतना, कटनी, बड़वानी, रीवा, सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिले; महाराष्ट्र के बीड, ठाणे जिले; ओडिशा के बोलनगीर, रायगड़ा जिले; पंजाब का जिला लुधियाना; राजस्थान के अलवर, अजमेर, जयपुर, प्रतापगढ़ जिले; तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुपत्तूर, चेन्नई, वेल्लोर, तिरुवरूर, इरोड, नमक्कल जिले; तेलंगाना के

नागरकुरनूल, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, हैदराबाद, खम्मम, महबूबनगर, आदिलाबाद, करीमनगर जिले; उत्तर प्रदेश का जिला गौतमबुद्ध नगर; पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना जिले।

v/;;u dk 'kq# ,o iwjk djus dh frfFk

परियोजना को जुलाई 2021 में शुरु किया गया, एवं नवंबर 2022 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gsyu vkj- lsdj] lhfu;j Qsyks ½

çeq[k dk;Z'kkyk,@osfcukj

- vkstkxh dk ve`r egksRlo – osyiqj eMy] ftyk futkekckn esa cky Je ds mUewyu ds fy, lQy gLr{ksi ds 20 o"kZ euku s vkSj Je lafgrkvksa ij tkx:drk dk l`tu djus ij dk;Z'kkyk

vkstknh dk ve`r egksRlo के एक भाग के रूप में वेलपुर मंडल, जिला निजामाबाद में ^cky Je ds mUewyu ds fy, lQy gLr{ksi ds 20 o"kZ euku^ और श्रम संहिताओं पर जागरूकता का सृजन करने पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 08 अक्तूबर 2021 को प्रगति हॉल, कलेक्टर कार्यालय, निजामाबाद में किया गया।

कार्यशाला से पहले वीवीजीएनएलआई द्वारा 05 अक्तूबर 2021 को तेलंगाना भवन, नई दिल्ली में एक शुरुआती कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. एच. श्रीनिवास, आईआरपीएस और महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने गर्मजोशी से स्वागत किया और सूचित किया कि बाल श्रम का मुद्दा वीवीजीएनएलआई के प्रशिक्षण, अनुसंधान और अन्य गतिविधियों के एजेंडे में एक प्रमुख स्थान रखता है एवं संस्थान विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करता है और विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के उनके कार्य में तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। डॉ. एच. श्रीनिवास ने बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में निजामाबाद जिले के तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री जी. अशोक कुमार के अथक प्रयासों की सराहना की। सुश्री एम. सत्यवती, सदस्य यूपीएससी और पूर्व सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार; श्री आनंद बोस, वन मैन कमीशन, सीएसीएलबी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, और पूर्व विशेष मुख्य सचिव, केरल सरकार; श्री के. एम. साहनी, तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि और पूर्व सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार; और डॉ. गौरव उप्पल, रेजिडेंट कमिश्नर, तेलंगाना भवन, नई दिल्ली ने श्री जी. अशोक कुमार द्वारा वेलपुर मंडल में 09 जुलाई 2001 को शुरू किए गए 90 दिनों के गहन अभियान की सराहना की। यह न केवल बाल श्रम को खत्म करने के लिए बल्कि भूख एवं कुपोषण को रोकने और बच्चों को स्कूलों में भर्ती करने के लिए लंबे समय से चली आ रही लड़ाई का शुरुआती बिंदु था। इस अभियान के द्वारा 5–15 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयुक्त स्कूलों में नामांकित किया गया। उन्हें पढ़ने के लिए किताबें, वर्दी और अन्य सुविधाएं दी गईं। 02 अक्टूबर 2001 को वेलपुर को बाल–श्रम मुक्त

मंडल के रूप में घोषित किया गया था और समुदाय के अपने कठिन कार्य के समन्वित प्रयासों के कारण दो दशकों से अधिक समय तक प्रयास जारी है।

'वेलपुर मंडल, जिला निजामाबाद में 'बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सफल हस्तक्षेपों के 20 वर्ष मनाने' और श्रम संहिताओं पर जागरूकता का सृजन करने पर कार्यशाला' का आयोजन 08 अक्टूबर 2021 को निजामाबाद में किया गया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने बाल श्रम के मुद्दे का समाधान करने और संबंधित कानून के प्रभावी प्रवर्तन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यशाला का संदर्भ निर्धारित किया। डॉ. एच. श्रीनिवास ने आगे उल्लेख किया कि वीवीजीएनएलआई बाल श्रम के मुद्दे पर विभिन्न लक्षित समूहों की क्षमताओं को विकसित करने और सभी चार श्रम संहिताओं के विभिन्न प्रावधानों पर जागरूकता सृजन करने की दिशा में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

माननीय सांसद (लोकसभा) निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र, श्री अरविंद धर्मापुरी ने कार्यशाला को संबोधित किया जहां उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कड़ी मेहनत के कारण मंडल देश के लिए एक आदर्श बन गया है। श्री बाजीरेड्डी गोवर्धन, पूर्व विधायक आर्मूर, विधायक (निजामाबाद ग्रामीण), अध्यक्ष टीएसआरटीसी ने भी इस विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया।

श्री के. श्रीनिवास, निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, और सुश्री रानी कुमुदिनी, विशेष मुख्य सचिव, श्रम विभाग, तेलंगाना सरकार, श्री नारायण रेड्डी, जिला कलेक्टर, निजामाबाद, डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। डॉ. महावीर जैन, सीनियर फेलो (सेवानिवृत्त), तत्कालीन सीएमओ श्री सुधाकर राव और निजामाबाद जिले के पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए।

इस कार्यशाला में एक तकनीकी सत्र निजामाबाद जिले के वेलपुर मंडल के स्कूलों में 'बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सफल हस्तक्षेप और स्कूलों में बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन और प्रतिधारणः अनुभव साझा करना' पर था जिसमें डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने परिचय और पृष्ठभूमि पर व्याख्यान दिया। श्री जी. अशोक कुमार, (पूर्व डीसी, निजामाबाद), अपर सचिव, एमजेएस, भारत सरकार ने अपने अनुभव साझा किये जिसमें उन्होंने कहा कि उस समय वेलपुर मंडल के 539 बाल मजदूरों को स्कूलों में भर्ती कराया गया था। यह कहते हुए कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में नामांकित किया जाना चाहिए और काम पर नहीं रखा जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि देश का विकास बच्चों के भविष्य पर निर्भर करता है और बच्चे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा घटनाक्रम है कि बीसी, अल्पसंख्यक, एससी और एसटी समुदायों के छात्रों के लाभ के लिए कई शैक्षणिक संस्थान शुरू किए गए हैं। श्री जी. अशोक कुमार ने यह भी बताया कि देश में बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए वेलपुर मंडल को 2001 में पहला मंडल घोषित किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि यह सरकारी प्रोत्साहन, अधिकारियों की प्रतिबद्धता, ग्राम विकास परिषदों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव हो पाया था। उन्होंने स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों, जिन्होंने 2001 में वेलपुर क्षेत्र में सेवा की थी, को सम्मानित किया।

गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए श्री नारायण रेड्डी, जिला कलेक्टर, निजामाबाद ने कार्यशाला आयोजित करने, संदर्भ स्थापित करने और कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करने के लिए डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का विशेष आभार व्यक्त किया। श्री नारायण रेड्डी ने समापन के दौरान निजामाबाद के लोगों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपना समर्थन जारी रखने के लिए कहा।

- Lora=rk laxzke ds nkSjku VªsM ;wfu;u usrkvksa dh Hkwfedk ij dk;Z'kkyk (vktknh dk ver egksRlo & ifrf'Br lIrkg ds ,d Hkkx ds :i esa] 16 fnlacj 2021½

आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, 'स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ट्रेड यूनियन नेताओं की भूमिका' पर एक कार्यशाला का आयोजन 16 दिसंबर 2021 को किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान ट्रेड यूनियन आंदोलन, ट्रेड यूनियन आंदोलन में राष्ट्रीय नेताओं की भागीदारी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ट्रेड यूनियन नेताओं की ऐतिहासिक भूमिका पर चर्चा करना था। इस कार्यशाला में शिक्षाविदों, सरकारी विभागों, राज्य महिला आयोगों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विद्वानों सहित ट्रेड यूनियन आंदोलनों और श्रमिक मुद्दों में काम करने वाले विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियन नेताओं और व्यावसायिकों ने भाग लिया।

- ^Jfed fodkl% ipk;rh jkt lLFkkvk dh Hkfedk^ ij ,d v,uykbu jk"Vh; dk;'kkyk] 09 ekp 2022] vktknh dk ver egkRlo^ d ,d Hkkx d :i e Áfrf"Br lIRkkg d nkjku

आज़ादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में, 'श्रमिक विकासः पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका' पर एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला 09 मार्च 2022 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थेः पंचायती राज संस्थाओं के विकास, आर्थिक विकास को मजबूत करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, उन 29 विषयों, जिन्हें संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1993 की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, सहित केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के कार्यान्वयन, श्रमिकों के विकास के लिए प्रभावी तंत्र के रूप में पीआरआई की संभावनाओं पर चर्चा करना। प्रतिभागियों में विशेषज्ञ, पंचायती राज संस्थाओं और जनजातीय परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधि, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, व्यावसायिक और अन्य लोग, जो पीआरआई और श्रम संबंधी मुद्दों पर काम कर रहे हैं, शामिल थे।

jk t xkj lc/k vkj fofu;eu dn

रोजगार संबंध और इनके विनियमन का मुद्दा श्रम के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रमुख वाद–विवाद करने योग्य एवं आकर्षक मुद्दा रहा है। रोजगार संबंधों में खासकर 1991 से तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने इस मुद्दे को यथोचित प्राथमिकता देते हुए इन परिवर्तनों और अन्य संबद्ध मामलों का अध्ययन करने हेतु काफी पहले, वर्ष 2001 में एक विशिष्ट केंद्र, नामतः रोजगार संबंध एवं विनियमन केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य बदलते रोजगार संबंधों का अवबोधन विकसित करना है ताकि उचित कानूनी विनियमन ढांचे का नियमन करने तथा उपयुक्त सामाजिक संरक्षण उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः ट्रेड यूनियनें तथा उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में उभरते रोजगार संबंध; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमा; न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन आदि। केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

i jh dh xb vu l /kku ifj;k t uk

1- Hkkjr e vk|kfxd lc/kk ij pfunk uhfr;k vkj ÁFkkvk dk nLrkot hdj.k

औद्योगिक संबंध प्रबंधन और उद्योग से जुड़े श्रमिकों के बीच के संबंध हैं। इन दोनों पक्षों के हित समान होने के साथ–साथ परस्पर विरोधी भी होते हैं। स्वस्थ औद्योगिक संबंध न केवल इन दोनों पक्षों के हित में हैं बल्कि अर्थव्यवस्था, समाज और राष्ट्र के हित में भी हैं। इसलिए, स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। औद्योगिक संबंधों के कुछ प्रमुख तत्वों में उद्योग और श्रमिकों से जुड़े विभिन्न पहलुओं से संबंधित परामर्श, सहयोग, प्रतिभागिता और साझेदारी शामिल हैं। न केवल सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में, बल्कि निजी क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के संगठन उपरोक्त विभिन्न पहलुओं यानी परामर्श, सहयोग, प्रतिभागिता और साझेदारी को लागू करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं। किसी भी संगठन में औद्योगिक संबंधों की समग्र स्थिरता उस सीमा तक निर्भर करती है जिस सीमा तक संगठन इन उपायों को लागू करने में सफल होता है। इसी संदर्भ में यह वर्तमान अध्ययन शुरू किया गया।

mn~ns';

1. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक संबंधों की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास का पता लगाना;
2. निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचलित औद्योगिक संबंधों, नीतियों और प्रथाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना;
3. सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना;
4. औद्योगिक संबंधों से जुड़े प्रमुख पहलुओं एवं कारकों और सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों के रखरखाव में उनकी भूमिका की पहचान करना;
5. स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निष्कर्ष निकालना।

{ks= vkSj nk;jk

यह अध्ययन मुख्य रूप से औद्योगिक संबंधों के महत्व, अवधारणा और प्रमुख कारकों पर चर्चा करता है और इसके लिए अनुकरणीय सबक लेने के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने की दृष्टि से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों से विनिर्माण, सेवाओं (वित्तीय सेवाओं सहित), बैंकिंग, स्टील, तेल, कोयला, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, रेलवे, ऑटोमोबाइल, आदि में लगे संगठनों में प्रचलित औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में चुनिंदा नीतियों और प्रथाओं को शामिल करता है। इस अध्ययन का मुख्य फोकस औद्योगिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं जैसे संचार, सामूहिक सौदेबाजी, कर्मचारियों के कार्य, कल्याणकारी उपायों और योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण से संबंधित नीतियों और प्रथाओं पर है।

dk;Ziz.kkyh

यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 से अधिक संगठनों की नीतियों, कार्यक्रमों और प्रथाओं की समीक्षा पर आधारित है। इसके अलावा, कार्यप्रणाली में सामान्य रूप से औद्योगिक संबंधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की बेहतर एवं स्पष्ट समझ रखने के लिए और विशेष रूप से औद्योगिक संबंधों से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों एवं प्रथाओं पर विभिन्न सामाजिक भागीदारों के साथ चर्चा करना शामिल रहा है।

fu'd"kZ

- हाल के दिनों में कई संगठनों में औद्योगिक अशांति और संघर्ष की कुछ अप्रिय घटनाओं के बाद, औद्योगिक संबंधों का उचित प्रबंधन और स्थिति के किसी भी अप्रिय मोड़ पर पहुंचने से पहले सभी संबंधितों द्वारा समय पर हस्तक्षेप भारत के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गया है।

- इन घटनाओं के एक संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि इस तरह की स्थिति के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारकों में मुख्य रूप से ये शामिल हैंः अंतर और आंतर–यूनियन प्रतिद्वंद्विता, अनुचित साधनों को अपनाना, ट्रेड यूनियनों को मान्यता न देना, अनुबंध श्रमिकों की ओर से स्थायी नौकरी की मांग, संविदा और स्थायी कर्मचारियों के बीच असमानता, वेतन में ठहराव, लंबे समय तक हड़ताल के मामलों में समझौता नहीं होने के कारण नियोक्ताओं और श्रमिकों में निराशा, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग, समय–समय पर वेतन वृद्धि के लिए प्रबंधन की ओर से सहमत नहीं होना, ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के प्रतिस्थापित नहीं होने के निहित स्वार्थ, राजनीतिक हित और आंतरिक/बाहरी ट्रेड यूनियन नेताओं के स्वार्थ आदि।

- इसके विपरीत, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों का माहौल बनाने में सहायक उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल हैंः प्रबंधन और श्रमिकों के बीच संचार के चैनल, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, सामूहिक सौदेबाजी, शिकायत निवारण के लिए तंत्र, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं।

- हितधारकों के बीच उचित lapkj का अभाव और संवाद का अभाव अविश्वास को जन्म देता है। इसके विपरीत, उपक्रम के सामान्य हित के क्षेत्रों और परस्पर विरोधी हितों पर कुशल समायोजन या बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हुए संचार का एक व्यवहार्य, मजबूत, प्रभावी और भरोसेमंद चैनल अच्छे औद्योगिक संबंध प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

- सामान्य हितों के मुद्दों से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों के साथ अच्छी तरह से सूचित कार्यबल स्थिर औद्योगिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परामर्श के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में मदद करता है जो अंततः सहयोग को बढ़ावा देता है और इसके परिणामस्वरूप नियोक्ता एवं कर्मचारियों, दोनों के लिए जीत की स्थिति होती है।

- कुछ इकाइयों ने यूनिट स्तर पर नियमित रूप से f}i{kh; cSBdsa आयोजित करने की अच्छी प्रथाओं को विकसित किया है जिसमें इन मासिक/त्रैमासिक बैठकों में श्रमिकों के संघ (संघों) और कुछ प्रमुख श्रमिकों को आमंत्रित किया जाता है। इन बैठकों में सामान्य हितों के मुद्दों और इकाई के वर्तमान लक्ष्यों, भविष्य के दृष्टिकोण और इकाई के वित्तीय स्वास्थ्य जैसी तात्कालिक चिंताओं पर चर्चा की जाती है।

- प्रभावी संचार और संवाद की दिशा में इस तरह के प्रयासों के इकाई में सामंजस्यपूर्ण कामकाज को स्थिर करने में निश्चित सकारात्मक परिणाम आते हैं। इस तरह की उपलब्ध अंतर्निमित संरचना का एक और सकारात्मक परिणाम यह है कि संकट के समय में, यूनिट स्तर पर यह तंत्र कई मामलों में हर मामले में मध्यस्थता के लिए तीसरे पक्ष के पास जाने की आवश्यकता के बिना मुद्दों को हल करने में सफल होता है। द्विपक्षीयता किसी भी समय एक बेहतर विकल्प होता है।

- çcaèku@m|ksx esa Jfedksa dh Hkkxhnkjh औद्योगिक संबंधों की समग्र योजना में सर्वोपरि महत्व रखती है क्योंकि यह श्रमिकों के बीच संगठन के साथ अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद करती है और इस प्रकार उद्योग एवं उत्पादकता के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करती है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी मोटे तौर पर तीन स्तरों पर हो सकती

है अर्थात शॉप फ्लोर स्तर, विभागीय स्तर और शीर्ष स्तर पर और श्रमिकों द्वारा संगठन की जिम्मेदारी को साझा करने के लिए प्रबंधन की इच्छा की मांग करती है।

- किसी भी कार्यस्थल में शिकायतें होना लाजमी है, जिन्हें यथासंभव कम से कम करने और जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। शिकायतों के प्रमुख रूपों में अन्य बातों के साथ–साथ वेतन, छुट्टी, ओवरटाइम, करियर योजना, काम करने की स्थिति, पारस्परिक मुद्दे, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य, अवास्तविक लक्ष्य और अनुशासन के कड़े नियम आदि शामिल हैं।
- इन शिकायतों का यदि प्रभावी तरीके से समाधान नहीं किया गया तो इसका उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, किसी भी संगठन में सामंजस्यपूर्ण श्रम संबंधों को बनाए रखने के लिए f'kdk;rk dk fuokj.k के लिए एक व्यवस्थित और प्रभावी तंत्र सर्वोपरि है।
- lkefgd lkSnckth नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच रोजगार के समग्र नियमों और शर्तों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। यह प्रक्रिया आम तौर पर श्रमिकों के प्रतिनिधियों/ट्रेड यूनियनों द्वारा 'मांगों के चार्टर' से शुरू होती है, जिसके बाद उठाई गई मांगों पर बातचीत और चर्चा होती है। कभी–कभी, यह नियोक्ता द्वारा स्व–प्रेरणा से भी शुरू किया जा सकता है। बातचीत और विचार–विमर्श का समापन पारस्परिक रूप से सहमत समझौते की शर्तों में होता है।
- इस प्रकार, 'सामूहिक सौदेबाजी' परिहार्य संघर्ष की संभावना को कम करती है और सौहार्दपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करती है। भारत में कई क्षेत्रों और संगठनों में सामूहिक सौदेबाजी की एक लंबी परंपरा रही है और इसके लिए काफी अच्छी तरह से विकसित प्रणालियां हैं। डब्ल्युपीएम से उद्योग और श्रमिकों के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में श्रमिकों की समग्र भागीदारी की होती है।
- उत्पादकता और दक्षता काफी हद तक एक कर्मचारी के कौशल के स्तर से जुड़ी होती है और dk'ky dk mUu;u के लिए हमेशा गुंजाइश होती है। जबकि औपचारिक शिक्षा की निश्चित रूप से कौशल के अधिग्रहण में एक भूमिका होती है, उसी को आगे बढ़ाने में प्रशिक्षण की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कौशल का उच्च स्तर भी रोजगार की संभावना को बढ़ाता है।
- कर्मचारी, उद्योग और समग्र रूप से समाज, सभी को कुशल कार्यबल से लाभ मिलता है। इसलिए, इस संबंध में सभी की भूमिका है और इस संदर्भ में उद्योग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तदनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों के कौशल विकास और प्रशिक्षण की इस भूमिका को पूरा करने के लिए विभिन्न पहल की जाती हैं।
- यदि उद्योग को रोजगार की कठोरता के बोझ से बचना है, जैसा कि अक्सर आरोप लगाया जाता है, निश्चित अवधि के रोजगार में बेहतर विकल्प मिल सकते हैं, जो कार्यकाल की कठोरता से रहित हैं, लेकिन ये मामले में लागू होने वाले सभी परिणामी कानूनी लाभों के साथ ही मिल सकते हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि श्रम कानूनों के तहत अनुपालन से संबंधित लागत उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली वास्तविक लागत से काफी कम है।

- lkekftd lqj{kk vkSj Jfed dY;k.k mik; सौहार्दपूर्ण रोजगार संबंधों के अभिन्न पहलू हैं। इन उपायों का एक बहुत व्यापक दायरा है जो अन्य कर्मचारी कल्याण उपायों के साथ–साथ एक संतुष्ट श्रम शक्ति और अंततः संगठन के समग्र स्वास्थ्य एवं समृद्धि की ओर ले जाता है।
- इन उपायों पर निवेश स्वस्थ औद्योगिक संबंधों की रीढ़ है। इसे स्वीकार करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के संगठन और प्रतिष्ठान अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इन पहलुओं को कवर करते हुए ऐसे कई वैधानिक और गैर–सांविधिक उपाय अपनाते हैं।
- वैधानिक न्यूनतम मजदूरी या तयशुदा मजदूरी को लागू करने जैसे श्रम कानूनों की बुनियादी बातों का सख्ती से पालन करना; अनधिकृत कटौती के बिना मजदूरी का समय पर भुगतान; वेतन पर्ची; पहचान पत्र; ईपीएफ और ईएसआई प्रावधानों का अनुपालन; वैधानिक दायित्वों और समझौतों एवं अधिनिर्णय से उत्पन्न होने वाले दायित्वों के प्रवर्तन स्वस्थ, अनुकूल और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सफल होते हैं।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को दिसंबर 2019 में शुरु, एवं मार्च 2022 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd : MkW- lat; mik/;k;] lhfu;j QSyks½

ekeyk vè;;u

प्रभावी सुलह में धैर्य और दृढ़ता की भूमिका – *डॉ संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो*

, dhd`r Je bfrgkl vu|l/kku dk;Øe (vkbl,y,pvkjih)

, dhd`r Je bfrgkl vu|l/kku dk;Øe% ifjp;

- आईएलएचआरपी एक विशेष अनुसंधान कार्यक्रम है जिसे वीवीजीएनएलआई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना तथा संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड का परिरक्षण करना है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान का समसामयिक नीति–निर्माण के साथ एकीकरण करना भी है।

dk;Øe dh lajpuk

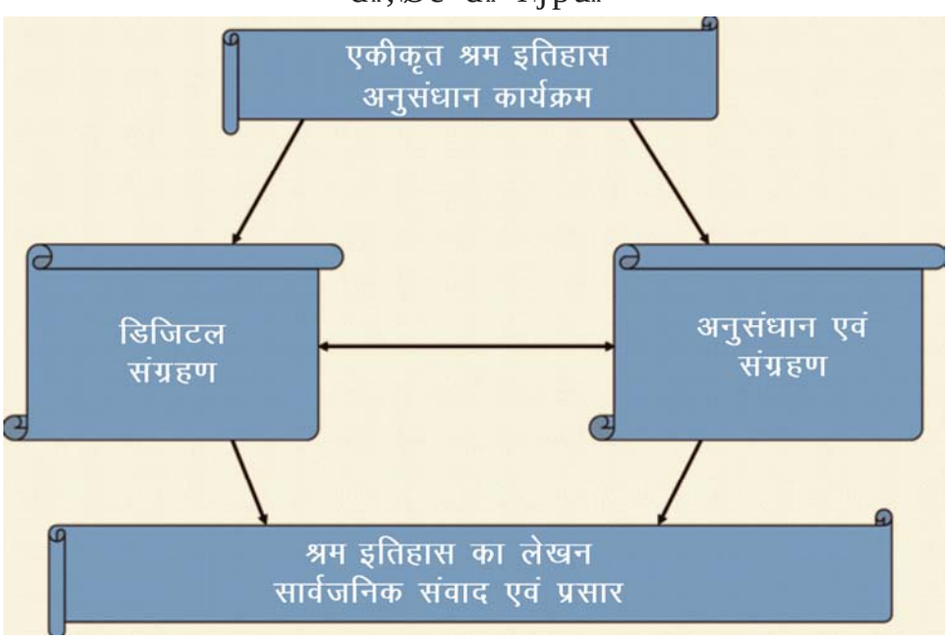

भारतीय श्रमिकों के डिजिटल अभिलेखागार की विशेषताएं

- पूर्णतया डिजिटल संरचना
- एकीकृत मल्टीमीडिया भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली
- संवर्धित उपयोगकर्ता पहुंच
- ऐतिहासिक एवं समसामयिक रिकॉर्ड का एकीकरण
- असंगठित सैक्टर के श्रमिकों के रिकॉर्ड पर फोकस

çe[k dk;'kkyk

- Je bfrgkl ij 13oka vrjk'Vh; lEeyu ¼v,uykbu½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस के सहयोग से 11–16 नवंबर 2021 के दौरान श्रम इतिहास पर 13वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ऑनलाइन) आयोजित किया। सम्मेलन के व्यापक विषय, *श्रमिकों के जीवन का मानचित्रण* ने उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण किया, जिन्होंने पिछली सदी में संस्थागत कामकाजी जीवन के प्रिज्म के माध्यम से कार्य की दुनिया को प्रभावित किया है। सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे श्रमिकों ने अपने संसार को असंख्य तरीकों से पुनर्गठित करके अतीत में चुनौतियों का जवाब दिया है और पिछली शताब्दी में संस्थानों एवं संगठनों ने कैसा प्रदर्शन किया है।

इस सम्मेलन में çk- deyk 'kdju] çk- jfo vkgtk] çk- eklly oku Mj fyMu] çk- fy;ku fQd] çk- tku ydklu] çk- ,fM;kl ,dV] vkj çk- cckdj Q,y जैसे कुछ प्रसिद्ध श्रम इतिहासकारों और श्रम अध्ययन के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में श्रम इतिहास और श्रम अध्ययन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े लगभग 100 शोधकर्ताओं और व्यावसायिकों ने भाग लिया।

iwoksZŸkj Hkkjr dsanz

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2011–12)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर, प्रवास भी एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतःप्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुख अनुसंधान करने, कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर भारत केंद्र (सीएनई) की स्थापना की।

dsanz ds izeq[k vuqla/kku fo"k;%

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं रोजगार
- प्रवासन एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका नीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल–अंतर अध्ययन
- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिकों एवं कामगारों के आंदोलन का समाजशास्त्र

dsn dk çe[k çf'k{k.k fo"k;

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में श्रम अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के महिला कामगार एवं प्रतिनिधि, एनजीओ/सिविल सोसायटी, विश्वविद्यालय के छात्र एवं अनुसंधानकर्ता हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैंः

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व
- महिला कामगारों से संबंधित श्रमिक मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

çe[k dk;Z'kkyk

संस्थान द्वारा 30 मार्च 2022 को 'पूर्वोत्तर भारत में श्रम और रोजगार के मुद्दों का मानचित्रण' पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में कार्य की दुनिया में समकालीन मुद्दों को प्रासंगिक बनाना था। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थेः पूर्वोत्तर में कार्य की दुनिया में समकालीन मुद्दों को उजागर करना और प्रासंगिक बनाना; प्रतिभागियों को श्रम पर वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों से परिचित कराना; हाल के श्रम सुधारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना; और प्रतिभागियों को उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कार्यों में योगदान करने में सक्षम बनाना। इस कार्यशाला में पूर्वोत्तर के संस्थानों और विश्वविद्यालयों में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई कर रहे सामाजिक विज्ञान के छात्रों और शोध विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और उद्घाटन भाषण दिया। प्रोफेसर एल. एल. सिंह, कुलपति, बोडोलैंड विश्वविद्यालय, कोकराझार, असम ने मुख्य भाषण दिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो ने किया।

Je ,oa LokLF; v/;;u dsanz

स्वास्थ्य प्रणालियों की वह मात्रा, जो विभिन्न सामाजिक समूहों की जरूरतों को पूरा करती है, दुनियाभर में चिंता का विषय है। यह चिंता उन देशों में और भी अधिक है जो तेजी से आर्थिक विकास एवं संस्थागत बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य लाभों के साथ–साथ स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में क्षैतिज समानता उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य प्रावधानों और कार्य की दुनिया के साथ इसकी अंतर–संबद्धता के प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में कामगारों के सामने उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्र के प्रमुख अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

dsUnz ds eq[; vuqla/kku {ks=

- रोजगार के नए रूप और सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में उभरते जोखिम
- श्रम बाजार परिवर्तन और सामाजिक/स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां
- सार्वजनिक सामाजिक/स्वास्थ्य सहायता वितरण प्रणाली और बिना किसी सामाजिक/स्वास्थ्य सुरक्षा के श्रमिकों द्वारा इसका उपयोग
- सुरक्षा प्रदान करने में विभिन्न सामाजिक/स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों की भूमिका

iwjh dh xbZ vuqla/kku ifj;kstuk,a

1- fczDl ns'kksa ds chp lkekftd lqj{kk le>kSrksa dk c<+kok nsuk

2021 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तदनुसार, श्रम और एवं रोजगार मंत्रालय ने 2021 के दौरान रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में विचार–विमर्श के लिए चार विषयों की पहचान की गई, जो इस प्रकार हैं: ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिकरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक: श्रम बाजार में भूमिका। वीवीजीएनएलआई को इन विषयों पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

'fczDl ns'kksa ds chp lkekftd lqj{kk le>kSrksa dk c<+kok nsuk' पर इश्यू पेपर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रवासन का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है और ब्रिक्स देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रवासन के कुछ अनुमान प्रस्तुत करता है। यह सामाजिक सुरक्षा लाभों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और इन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी चर्चा करता है। यह पेपर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों के रूप में ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू किए गए कुछ कदमों की जांच करता है। यह

पेपर उन मुद्दों और चुनौतियों पर भी चर्चा करता है जिन पर इन द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। पेपर का अंतिम खंड चर्चा के लिए कुछ प्रमुख मुद्दों को प्रस्तुत करता है।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2021 में शुरु, एवं अप्रैल 2021 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd : MkW- :ek ?kks"k] QSyks½

2- vlaxfBr {ks= esa dkexkjksa ds fy, isa'ku ;kstukvksa & ,ihokbZ] ih,e&,lokbZ,e vkSj O;kikfj;ksa ,oa Lo&fu;ksftr O;fDr;ksa ds fy, ,uih,l dk rqyukRed v/;;u

भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा का मुद्दा आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की आबादी में अपेक्षित वृद्धि और उनके बीच गरीबी और भेद्यता की समस्याओं को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए गरीब असंगठित श्रमिकों से उनकी वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए योगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाली योजनाओं को सरकार द्वारा 2010 से बढ़ावा दिया गया है। वर्तमान अनुसंधान देश की तीन प्रमुख अंशदायी पेंशन योजनाओं – अटल पेंशन योजना (वित्त मंत्रालय), प्रधान मंत्री श्रम योगी मान–धन योजना (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय), व्यापारियों एवं स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) कम आय वाले श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने में उनकी ताकत और सीमाओं के संदर्भ में किया गया। इस अध्ययन ने कुछ नीतिगत रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला, जिन्हें इस क्षेत्र में कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर चुनौतियों का समाधान करने के लिए दोहराया जा सकता है।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को दिसंबर 2021 में शुरु, एवं फरवरी 2022 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd : MkW- :ek ?kks"k] QSyks ,oa
MkW- /kU;k ,e- ch- ,lksfl,V QSyks½

Tkkjh vuqla/kku ifj;kstuk

1- lHkh ds fy, lkekftd lqj{kk & vkxs dh jkg ij vuqla/kku v/;;u

इस परियोजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के प्रभावी प्रवर्तन के प्रमुख पहलुओं का अध्ययन करना है। यहां कार्यान्वयन का मुद्दा महत्वपूर्ण है और 'सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा – आगे की राह' शीर्षक वाली यह परियोजना असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएसए), 2008 के कार्यान्वयन (राज्य असंगठित श्रमिक बोर्ड और जिला स्तरीय सुविधा

केंद्रों के माध्यम से) में मुद्दों, इसके समर्थकारी कारकों और प्रमुख बाधाओं को समझने का प्रयास है और इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आगे की राह का सुझाव देती है।

vè;;u dk mn~ns';%

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यः इस प्रकार हैंः

- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के विभिन्न प्रावधानों का विस्तार से अध्ययन करना
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन में समस्या, यदि कोई है, की पहचान करना
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन में विभिन्न सामाजिक भागीदारों की भूमिका को समझना
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुभव और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को लागू करने के लिए आगे की राह

यह अध्ययन दो राज्यों, गुजरात और मध्य प्रदेश से उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों और प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। यह अध्ययन दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को जुलाई 2021 में शुरु किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% MkW- :ek ?kks"k] Qsyks½

çeq[k dk;Z'kkyk,a@osfcukj

- ^Ukbl Je lafgrk,a* ij vkuykbu dk;Z'kkyk

इस कार्यशाला का आयोजन 24–25 जनवरी 2022 के दौरान वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और स्वर्गीय नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, (एलएनएमएल एमआईएलएस) ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) श्रम सुधारों की पृष्ठभूमि को समझना; (ii) प्रमुख परिवर्तनों; विभिन्न श्रम संहिताओं – मजदूरी संहिता, 2019; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020; के प्रमुख उद्देश्यों और

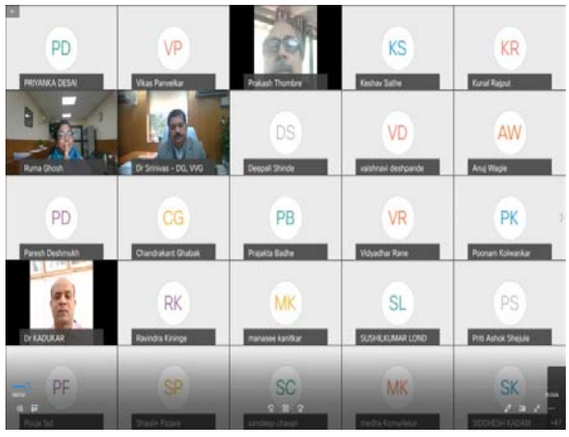

विशेषताओं को समझना; (iii) प्रावधानों और दंडों को प्रशासित करने के लिए विभिन्न संगठनों/निकायों की भूमिका पर चर्चा करना; और (iv) इस बात पर चर्चा करना कि सुधार कैसे श्रमिकों के मुद्दों का समाधान करेंगे और नियोक्ताओं एवं उनके व्यवसायों को प्रभावित करेंगे। इस कार्यशाला में महाराष्ट्र राज्य के राज्य श्रम विभागों के अधिकारियों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ रूमा घोष, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. पी. एम. पाडुकर, लेक्चरर, एलएनएमएल एमआईएलएस ने संयुक्त रूप से किया।

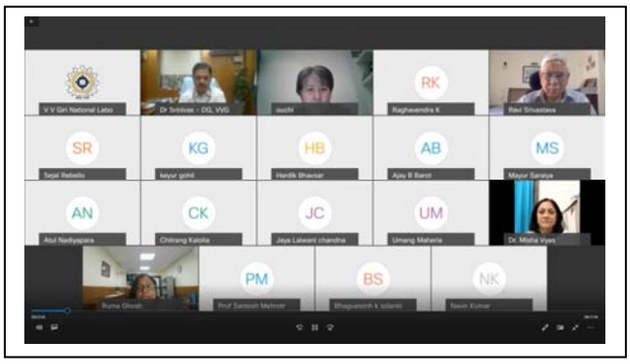

- dk;Z dk Hkfo"; vkSj dk;Z ds u, :iksa ds lanHkZ esa lkekftd lqj{kk dks le>uk ij ofcukj

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने महात्मा गांधी श्रम संस्थान, गुजरात के सहयोग से 31 मार्च 2022 को ^कार्य के भविष्य और कार्य के नए रूपों के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा को समझना' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का व्यापक उद्देश्य श्रम बाजार में परिवर्तन एवं श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में इसके निहितार्थ को समझना और अभिनव नीति प्रतिक्रियाओं का पता लगाना था। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, पूर्व प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने मुख्य भाषण दिया। कार्यशाला का आयोजन दो पैनल सत्रों में किया गया। रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के सामाजिक संरक्षण पर पहले पैनल चर्चा के पैनलिस्टों में प्रो. संतोष मेहरोत्रा, पूर्व प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; सुश्री मारिको ओची, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा तकनीकी विशेषज्ञ, आईएलओ, आईएलओ डीडब्ल्यूटी साउथ एशिया एंड इंडिया; और डॉ रूमा घोष, फेलो, वीवीजीएनएलआई शामिल थे। कार्य के नए रूपों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नीतिगत उपायों पर दूसरे पैनल चर्चा के पैनलिस्टों में श्री विरजेश उपाध्याय, महासचिव, भारतीय मजदूर संघ और महानिदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन; डॉ प्रवीण सिन्हा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रम कानून संघ और महासचिव, सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और श्री माइकल डायस, सचिव, नियोक्ता संघ, दिल्ली शामिल थे। श्री राजन वर्मा, पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कार्य के भविष्य पर नई श्रम संहिताओं के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए वेबिनार का सार प्रस्तुत किया। इस वेबिनार में तीस प्रतिभागियों ने भाग लिया और bl dk leUo; M,- :ek ?kks"k] Qsyks] ohohth,u,yvkbZ ,oa M,- fe'kk 0;kl] vflLVsaV çksQslj] ,eth,yvkbZ ने किया।

- Hkkjr esa Je ij uhfr vuqla/kku ij dk;Z'kkyk

संस्थान द्वारा श्रम के क्षेत्र में काम करने वाले शोधार्थियों और शिक्षाविदों के लिए 25 फरवरी 2022 को हाइब्रिड मोड में *'भारत में श्रम पर नीति अनुसंधान''* पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस के प्रोफेसर और संस्थापक निदेशक प्रो. बिश्वजीत दास ने उद्घाटन भाषण दिया और संस्थान के महानिदेशक डॉ एच. श्रीनिवास ने इस अवसर पर समापन भाषण दिया। प्रो. प्रभु महापात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष सत्र लिया गया। कार्यशाला का समापन

वीवीजीएनएलआई के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास द्वारा प्रमाण पत्र सौंपने के साथ हुआ। bl dk;Øe dk leUo; M‚- :ek ?kks"k] Qsyks us fd;kA

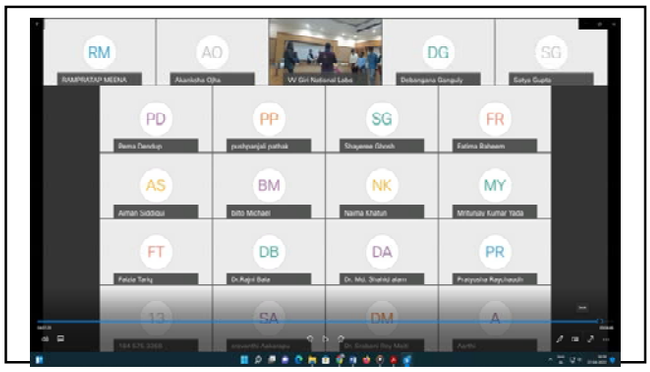

t yok;q ifjorZu rFkk Je dsUnz

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक सरोकार है और भारत, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं तथा अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी विकट है। इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नीति–उन्मुख अनुसंधान करना और इसका संबंध श्रम तथा आजीविका से स्थापित करना है। केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

dsUn ds eq[; vuqla/kku {ks=

- जलवायु परिवर्तन, श्रम और आजीविका के बीच अन्तः संबंधों को समझना।
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियां तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण।
- आजीविका अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तनशीलता के शमन की रणनीतियों, और मैक्रो, मेसो तथा माइक्रो स्तर पर हो रहे परिवर्तन का मूल्यांकन।
- जलवायु परिवर्तन और प्रवासन पर इसका प्रभाव।
- प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों तथा जनसाधारण पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

fof'k"V vuqla/kkuh; eqnnks esa fuEufyf[kr 'kkfey gSa:

- ऐसे असुरक्षित श्रमिकों की जीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जो निर्वाह योग्य खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन सेक्टर, समुद्र तटीय मछली पालन/नमक/खेती में लगे हैं तथा जो जंगलों पर निर्भर स्थानीय अनुसूचित जनजातियों से हैं।
- उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने, नौकरी खोने पर संरक्षण देने तथा जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए माइक्रो नीतियों को नई दिशा देने में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका।
- सूखे, बाढ़ तथा अति-अनिश्चित मानसून के कारण कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी के साथ संबंधन के द्वारा खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।
- आजीविका सुरक्षा के बचाव के लिए और जलवायु परिवर्तन को अंगीकृत करने में मनरेगा की भूमिका।
- जलवायु परिवर्तन और लिंगीय मुद्दे।
- जलवायु परिवर्तन एवं तेज होती प्रवास प्रक्रिया पर इसका प्रभाव।
- जलवायु परिवर्तन की स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय नियंत्रणकारी क्षमताओं तथा मौजूदा अंगीकरण रणनीतियों को समझना।
- विभिन्न हितधारकों के लिए जलवायु परिवर्तन विज्ञान, इसके संभावित प्रभाव और विभिन्न अंगीकरण एवं शमन रणनीतियों के संबंध में क्षमता निर्माण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

ijh dj yh xbl vu/l/kku ifj;k tuk

1- fcDl bfM;k 2021 & Je ckt kjk d vkipkfjdj.k ij b’;q iij ¼Hkkjr dh v/;{krk] 2021 d rgr vk;kftr fcDl Je ,o jkstxkj ef=;k dh cBd d fy, r;kj fd;k x;k½

2021 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तदनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2021 के दौरान रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रिस्तरीय बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में विचार–विमर्श के लिए चार विषयों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार हैंः ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिकरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकः श्रम बाजार में भूमिका। वीवीजीएनएलआई को इन विषयों पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

ब्रिक्स और कार्य की दुनियाः श्रम बाजार के औपचारिकरण पर इश्यू पेपर ब्रिक्स सदस्य देशों में से प्रत्येक के भीतर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है और अनौपचारिकता के कई संचालकों पर भी चर्चा करता है। इसके अलावा, कोविड–19 संकट ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वालों की अत्यधिक भेद्यता को उजागर किया है। यह संकट अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण को राष्ट्रीय नीति एजेंडे में एक प्राथमिकता क्षेत्र बनाने और मौजूदा हस्तक्षेपों को बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की याद दिलाता है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ने अतीत में अपनी–अपनी अर्थव्यवस्थाओं के औपचारिकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जो इस इश्यू पेपर में दर्ज किए गए हैं। इस संकट के दौरान भी सदस्य देशों ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों की आजीविका के नुकसान की रक्षा के लिए और छोटी आर्थिक इकाइयों के पतन को रोकने के लिए कई हस्तक्षेप किए, जिससे अनौपचारिकता के अधिक जोखिम को कम किया जा सका। इसलिए, अब समय आ गया है कि की गई प्रगति को समेकित किया जाए, सीखे गए सबकों को समझा जाए, संभावित अंतरालों की पहचान की जाए और एलईएमएम घोषणा के संदर्भ में तीव्र औपचारिकता की दिशा में भविष्य की एक रणनीति विकसित की जाए। अंत में, इन मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए संभावित प्रश्नों का एक सेट तैयार किया गया है जिसे सदस्य देशों के बीच समझौते के बाद अंतिम रूप दिया जा सकता है।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2021 में शुरु, एवं अप्रैल 2021 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% M,- vuq lRkiFkh] Qyk½

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केन्द्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को ऐसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ व्यावसायिक सहयोग स्थापित करने के अधिकृत किया गया है, जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने पिछले कई वर्षों से समय–समय पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई), अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम), श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान, यूएन वीमेन, आईजीके वर्क एंड ह्यूमन लाइफसाइकिल इन ग्लोबल हिस्ट्री, हम्बोत यूनिवर्सिटी, जर्मनी, सेंटर फॉर मॉडर्न स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी और तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी–आईएलओ), ट्यूरिन, आदि जैसे संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किये हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, कार्य की दुनिया में लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम इतिहास, उत्कृष्ट श्रम, कार्य का भविष्य तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। अब तक, इस योजना के तहत लगभग 102 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 133 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 2299 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वर्ष 2021–2022 के दौरान आईटीईसी के तहत दो ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 10 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन, इटली के मध्य व्यावसायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पांच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किये गये। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

- आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) के बोर्ड का 84वां सत्र 24 मई 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था और इसमें मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने पर महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने भाग लिया था।

- वीवीजीएनएलआई और आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन के बीच समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन और आईएलओ, जिनेवा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित *'अनौपचारिकता पर ब्रिक्स ज्ञान श्रृंखला'* के एक भाग के रूप में *'ब्रिक्स–अनौपचारिकता और साउथ*

साउथ–कोऑपरेशन' विषय पर चर्चा करने के लिए महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई को निदेशक (प्रशिक्षण), आईटीसी–आईएलओ और प्रमुख, आईएलओ कार्यालय, रूस के साथ एक पैनल सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे ब्रिक्स नीति केंद्र; आरआईएस; आईबीएसए फंड; साउथ सेंटर; ब्राजील–अफ्रीका संस्थान; आईएलओ और अन्य ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 19 अगस्त 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था।

⇨ श्री स्नेहल बी. सोनजी, प्रमुख, रोजगार और नीति विश्लेषण कार्यक्रम, आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन, इटली ने संस्थान द्वारा 22–24 सितंबर 2021 के दौरान आयोजित श्रम संहिताओं और नियमों पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में *'कार्य की दुनिया में सामाजिक संवाद और प्रौद्योगिकी का महत्व'* विषय पर एक व्याख्यान दिया।

⇨ वीवीजीएनएलआई के दो संकाय सदस्यों ने 06 से 08 अक्टूबर 2021 के दौरान आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन द्वारा आयोजित *'नाजुक, संघर्ष प्रभावित और आपातकालीन स्थितियों में कमजोर समूहों के आजीविका और रोजगार के अवसरों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी'* नामक एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

⇨ 11–15 अक्टूबर 2021 के दौरान *'ग्लोबल साउथ–साउथ कोऑपरेशन फोरमः आजीविका, रोजगार और कमजोर समूहों के लिए समावेशन* पर एक ऑनलाइन सहयोगात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

⇨ वीवीजीएनएलआई के एक संकाय सदस्य ने 02 नवंबर – 09 दिसंबर 2021 के दौरान *'सीआईएस में औपचारिकता के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर एसएसटीसी ज्ञान–साझाकरणः एक ब्रिक्स–सीआईएस संवाद'* पर वेबिनार में भाग लिया और समापन समारोह में पैनल चर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में भी शामिल हुए।

⇨ वीवीजीएनएलआई के एक संकाय सदस्य ने 08 नवंबर – 10 दिसंबर 2021 के दौरान सामाजिक संवाद और औद्योगिक संबंधों पर ई–अकादमी पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को भारत सरकार द्वारा ब्रिक्स देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, वीवीजीएनएलआई, चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में आयोजित ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में गठित Je vuqla/kku lLFkkuksa dk fcDl uVod का भी एक सहभागी है। इस नेटवर्क के अन्य सदस्य संस्थान हैं: नेशनल लेबर मार्केट ऑब्जर्वेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्राजील, ब्राजील; ऑल रशियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर ऑफ दि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ रशियन फेडरेशन, रूस; चाइनीज़ एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, चीन; और यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका।

इस नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य श्रम से संबंधित समकालीन सरोकारों पर अनुसंधान अध्ययन करना और मजबूत, टिकाऊ एवं समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान करना है। तदनुसार, श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क ने 2021–2022 के दौरान *'कोविड–19 संकट के संदर्भ में रोजगार और आय का समर्थन'* पर एक अनुसंधान अध्ययन किया। भारत के संदर्भ में यह शोध अध्ययन निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के साथ किया गया था: (i) वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर कोविड–19 के प्रसार को समझना; (ii) भारत की अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव का विश्लेषण करना; (iii) श्रम और रोजगार पर महामारी के प्रभाव की जांच करना; (iv) संकट से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख नीतिगत उपायों को चित्रित करना; और (v) महामारी से प्राप्त प्रमुख नीतिगत सबक को उजागर करना और श्रम–केंद्रित पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा की पहचान करना।

भारत ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) और श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक (एलईएमएम) का आयोजन किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इश्यू पेपर तैयार करने के लिए चार विषयों नामतः (i) ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; (ii) श्रम बाजारों का औपचारिकरण; (iii) श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और (iv) गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकः श्रम बाजार में भूमिका का चयन किया गया। तदनुसार, संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा और डीसेंट वर्क टेक्नीकल टीम सपोर्ट (डीडब्ल्युटी) फॉर साउथ एशिया के परामर्श से चार इश्यू पेपर तैयार किए और 11–12 मई 2021 के दौरान आयोजित ईडब्ल्यूजी में प्रस्तुत किए।

çf'k{k.k vkj f'k{kk ¼2021&22½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों से लगातार प्राप्त फीडबैक का प्रयोग प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के साथ–साथ प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के लिए किया जाता है।

संस्थान के शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन के संभावित साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास तथा ज्ञान की वृद्धि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य–श्रव्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, मामला अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैं:

- केंद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से संबद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2021–22 के दौरान संस्थान ने 164 ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 17 वेबिनार/कार्यशालाओं का आयोजन किया जिनमें क्रमशः 5309 और 1242 कार्मिकों ने भाग लिया।

Je ç'kklu dk;Øe

इन कार्यक्रमों को केंद्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन, अर्धन्यायिक भूमिका, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 26 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 915 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

vk|ksfxd lac/k dk;Øe

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार-विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 13 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 206 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

{kerk fuek.k dk;Øe

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों के श्रमिकों और संगठनकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 75 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 2101 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

cky Je dk;Øe

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। ऐसे 07 ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 619 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

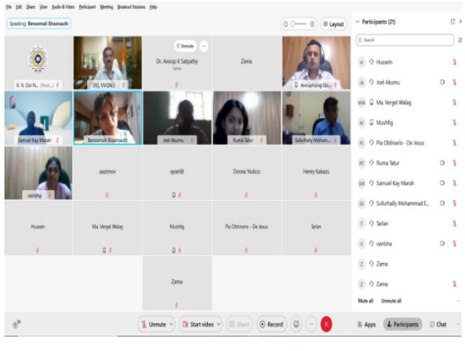

vUrjk"Vªh; çf'k{k.k dk;Øe

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने आईटीईसी कार्यक्रम के तहत विभिन्न विषयों पर 02 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे कि कार्य का भविष्यः प्रभावी रूप से परिवर्तन को नेविगेट करना और प्रभावी वेतन नीतियों को डिजाइन एवं कार्यान्वित करना। इन कार्यक्रमों में कुल 39 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

iwokZŸkj jkT;ksa ds fy, dk;Øe

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपरोक्त विषयों पर 10 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 203 कार्मिकों ने भाग लिया।

vuqla/kku i)fr dk;Øe

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के साथ-साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 05 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 190 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

lg;ksxkRed çf'k{k.k dk;Øe

संस्थान ने राज्य श्रम संस्थानों तथा समान उद्देश्य वाले संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान मुबंई; महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात; राज्य श्रम संस्थान, ओडिशा; गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु; केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान, केरल; तेजपुर विश्वविद्यालय, असम; सामाजिक

विकास परिषद, हैदराबाद; जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली; और राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश के सहयोग से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 22 ऑनलाइन कार्यक्रमों और 01 ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिनमें 901 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

vkrfjd dk;Øe

संस्थान ने विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने टीएचडीसी, दामोदर घाटी निगम, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के लिए कुल मिलाकर 04 आंतरिक ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 135 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की।

vkWuykbu @vkWQykbu çf'k{k.k dk;Øe] ¼01-04-2021 & 31-03-2022½

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
Je ç'kklu dk;Øe ¼,y,ih½				
1.	गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की दिशा में: चुनौतियां एवं विकल्प; 05 – 09 अप्रैल 2021	05	69	एस. के. शशिकुमार
2.	सुलह को प्रभावी बनाना 12 – 16 अप्रैल 2021	05	17	मनोज जाटव
3.	कार्य का भविष्य: परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करना; 19 – 22 अप्रैल 2021	04	22	एस. के. शशिकुमार
4.	महिलाओं की समानता एवं सशक्तिकरण से संबंधित कानून 03 – 07 मई 2021	05	18	शशि बाला
5.	श्रम संहिताओं पर जागरूकता को सुदृढ़ बनाना 17–20 मई 2021	04	15	संजय उपाध्याय
6.	नई श्रम संहिताओं एवं नियमों को समझना 01 – 04 जून 2021	04	58	संजय उपाध्याय
7.	सामाजिक सुरक्षा संहिता पर अभिविन्यास कार्यक्रम 01 – 04 जून 2021	04	20	रूमा घोष
8.	श्रम संहिताओं एवं नियमों पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम, दक्षिणी राज्यों के लिए; 05 – 07 जुलाई 2021	03	40	संजय उपाध्याय
9.	कार्यस्थल में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना; 05 – 09 जुलाई 2021	05	15	रूमा घोष
10.	श्रम संहिताओं एवं नियमों पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम, उत्तरी राज्यों के लिए; 12 – 14 जुलाई 2021	03	39	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
11.	श्रम संहिताओं एवं नियमों पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पूर्वी राज्यों के लिए; 19 – 21 जुलाई 2021	03	25	शशि बाला
12.	श्रम संहिताओं एवं नियमों पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पश्चिमी राज्यों के लिए; 26 – 28 जुलाई 2021	03	40	मनोज जाटव
13.	कार्य का भविष्य और श्रमिकों का सामाजिक संरक्षण 23 – 27 अगस्त 2021	05	29	रूमा घोष
14.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी: भूमिका एवं कार्य 06 – 09 सितम्बर 2021	04	22	संजय उपाध्याय
15.	श्रम संहिताएं एवं नियम (ऑफलाइन) 22 – 24 सितम्बर 2021	03	10	अनूप सतपथी
16.	भारत में श्रम कानूनों के संहिताकरण की दिशा में हाल की पहल; 04 – 07 अक्तूबर 2022	04	49	संजय उपाध्याय
17.	प्रौद्योगिकी और रोजगार के नए रूप 04 – 07 अक्तूबर 2022	04	62	एस. के. शशिकुमार

Øe la-	dk;ZØe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
18.	श्रम संहिताएं एवं नियम, श्रम अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियनों नेताओं के लिए; 08 – 10 नवम्बर 2021	03	45	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
19.	श्रम संहिताएं एवं नियम, नियोक्ता संघों के लिए 10 – 12 नवम्बर 2021	03	21	एलीना सामंतराय
20.	श्रम संहिताएं एवं नियम (ऑफलाइन) 22 – 24 नवम्बर 2021	03	27	संजय उपाध्याय मनोज जाटव
21.	श्रम संहिताएं एवं नियम, श्रम अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियनों नेताओं के लिए (ऑफलाइन); 20 – 23 दिसम्बर 2021	04	28	शशि बाला
22.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 03 – 07 जनवरी 2022	05	21	संजय उपाध्याय
23.	श्रम प्रशासन एवं श्रम निरीक्षण के माध्यम से सुशासन 24 – 28 जनवरी 2022	05	39	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
24.	नई श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 09 – 10 मार्च 2022	02	48	रूमा घोष
25.	नई श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 29 – 30 मार्च 2022	02	32	संजय उपाध्याय
26.	नई श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 29 – 30 मार्च 2022	02	91	मनोज जाटव
	mi ;ksx & 26	97	915	
vkS|kfxd laca/k dk;ZØe ¼vkbZvkjih½				
27.	कार्य दक्षता बढ़ाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 14 – 18 जून 2021	05	06	शशि बाला
28.	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण 12 – 16 जुलाई 2021	05	04	रम्य रंजन पटेल
29.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 19 – 22 जुलाई 2021	04	29	संजय उपाध्याय
30.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 16 – 19 अगस्त 2021	04	06	रम्य रंजन पटेल
31.	आंतरिक जाँचः सिद्धांत एवं प्रथा 23 – 27 अगस्त 2021	05	16	मनोज जाटव
32.	महिला अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 22 – 24 सितम्बर 2021	03	13	धन्या एम. बी.
33.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की क्षमता को बढ़ाना, 27 – 30 सितम्बर 2021	04	09	शशि बाला
34.	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाना; 04 – 08 अक्तूबर 2022	05	15	रूमा घोष
35.	नई श्रम संहिताएंः मुद्दे और परिप्रेक्ष्य 18 – 21 अक्तूबर 2021	04	20	संजय उपाध्याय
36.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम (ऑफलाइन) 08 – 12 नवम्बर 2021	05	24	शशि बाला

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuka dh l[;k	çfrHkkfx;ka dh l[;k	ikB;Øe funs'kd
37.	भारत में श्रम एवं रोजगार के संबंध में कानूनों पर जागरूकता निर्माणः नई श्रम संहिताओं और श्रम नियमों पर विशेष फोकस; 16 – 18 नवम्बर 2021	03	28	धन्या एम. बी.
38.	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना; 17 – 21 जनवरी 2022	05	15	शशि बाला
39.	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण; 07 – 11 मार्च 2022	05	21	शशि बाला
	mi ;kx & 13	57	206	
{kerk fuekZ.k dk;Øe ¼lhchih½				
40.	लैंगिक एवं श्रमिक मुद्दे 12 – 16 अप्रैल 2021	05	25	एलीना सामंतराय
41.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 – 16 अप्रैल 2021	05	86	रम्य रंजन पटेल
42.	श्रम एवं वैश्वीकरण पर अभिविन्यास कार्यक्रम 19 – 23 अप्रैल 2021	05	44	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
43.	उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए संगठनात्मक संस्कृति में सुधार करना; 19 – 23 अप्रैल 2021	05	11	शशि बाला
44.	रोजगार अवसरों का सृजनः अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीखना; 07 – 11 जून 2021	05	22	रम्य रंजन पटेल
45.	अनौपचारिकता, कार्य के नए रूप और सामाजिक संरक्षण 28 – 30 जून 2021	03	14	रूमा घोष
46.	जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 जून – 02 जुलाई 2021	05	14	शशि बाला
47.	युवा रोजगार कौशल की क्षमता बढ़ाने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम; 28 जून – 02 जुलाई 2021	05	30	धन्या एम. बी.
48.	प्रवासन, कौशल और पुनःएकीकरणः मुद्दे और परिप्रेक्ष्य 05 – 08 जुलाई 2021	04	62	एस. के. शशिकुमार
49.	लिंग, गरीबी और रोजगार 12 – 16 जुलाई 2021	05	34	शशि बाला
50.	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता 14 – 16 जुलाई 2021	03	56	एलीना सामंतराय
51.	मजूदरी नीति और न्यूनतम मजदूरी 19 – 21 जुलाई 2021	03	20	अनूप सतपथी
52.	लिंग, उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक संरक्षण 19 – 23 जुलाई 2021	05	10	रूमा घोष
53.	श्रम संहिताओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाना 17 – 19 अगस्त 2021	03	65	शशि बाला
54.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां विकसित करना 23 – 27 अगस्त 2021	05	26	शशि बाला

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
55.	श्रम संहिताएं और महिला श्रमबल के नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ बनाना; 01 – 03 सितम्बर 2021	03	53	शशि बाला
56.	श्रम संहिताएं और लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना; 07 – 09 सितम्बर 2021	03	61	शशि बाला
57.	घरेलू कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (ऑफलाइन); 13 – 17 सितम्बर 2021	05	28	शशि बाला
58.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व कौशल बढ़ाना (ऑफलाइन); 13 – 17 सितम्बर 2021	05	30	रम्य रंजन पटेल
59.	श्रम संहिताओं एवं नियमों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 17 – 18 सितम्बर 2021	02	16	स्ंजय उपाध्याय
60.	श्रम संहिताएं और भारत में जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग 21 – 23 सितम्बर 2021	03	56	शशि बाला
61.	लिंग, श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिप्रेक्ष्य; 27 सितम्बर – 01 अक्तूबर 2021	05	38	एलीना सामंतराय
62.	माथाडी कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (ऑफलाइन); 28 सितम्बर – 01 अक्तूबर 2021	04	38	मनोज जाटव
63.	लिंग और सामाजिक संरक्षण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 04 – 08 अक्तूबर 2021	05	36	शशि बाला
64.	ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (ऑफलाइन); 04 – 08 अक्तूबर 2021	05	30	धन्या एम. बी.
65.	मत्स्य कामगारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ऑफलाइन); 11 – 15 अक्तूबर 2021	05	08	रम्य रंजन पटेल
66.	क्रियाशील श्रम बाजार नीतियों का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन, (ऑफलाइन); 18 – 21 अक्तूबर 2021	04	11	अनूप सतपथी
67.	विधि संकाय सदस्यों एवं छात्रों के लिए श्रम संहिताएं एवं नियम; 15 – 17 नवम्बर 2021	03	22	संजय उपाध्याय
68.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑफलाइन); 15 – 19 नवम्बर 2021	05	21	शशि बाला
69.	कमजोर और सीमांत श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; (ऑफलाइन); 22 – 26 नवम्बर 2021	05	40	रम्य रंजन पटेल
70.	बीड़ी कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (ऑफलाइन); 29 नवम्बर – 03 दिसम्बर 2021	05	10	मनोज जाटव
71.	रोजगार में लैंगिक मुद्दों को मुख्यधारा में लाना (ऑफलाइन); 06 – 10 दिसम्बर 2021	05	22	शशि बाला
72.	श्रमिक मुद्दे और श्रम संहिताएं (ऑफलाइन) 06 – 10 दिसम्बर 2021	05	22	मनोज जाटव
73.	अनौपचारिकता से औपचारिकता में संक्रमण (ऑफलाइन) 13 – 17 दिसम्बर 2021	05	12	अनूप सतपथी
74.	पुलिसकर्मियों के लिए लैंगिक संवेदनशील वातावरण को सुगम बनानाः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण 13 – 17 दिसम्बर 2021	05	24	शशि बाला

Øe la-	dk;ZØe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
75.	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा (ऑफलाइन); 13 – 17 दिसम्बर 2021	05	16	धन्या एम. बी.
76.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (ऑफलाइन); 27 – 30 दिसम्बर 2021	04	08	रम्य रंजन पटेल
77.	श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समता और समानता से संबंधित सकारात्मक नीतियां 24 – 28 जनवरी 2022	05	48	शशि बाला
78.	ग्रामीण सैक्टर में रोजगार के नए अवसर 24 – 28 जनवरी 2022	05	10	रम्य रंजन पटेल
79.	सार्वजनिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए श्रम बाजार की जानकारी; 07 – 11 फरवरी 2022	05	45	धन्या एम. बी.
80.	प्रवासन एवं विकासः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य 08 – 11 फरवरी 2022	04	31	एस. के. शशिकुमार
81.	नेतृत्व विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 08 – 11 फरवरी 2022	04	12	रम्य रंजन पटेल
82.	सामाजिक सुरक्षा और मनरेगा पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम; 14 – 15 फरवरी 2022	02	76	मनोज जाटव
83.	नेतृत्व विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 16 – 17 फरवरी 2022	02	18	शशि बाला
84.	सामाजिक सुरक्षा पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 16 – 17 फरवरी 2022	02	21	शशि बाला
85.	असंगठित कामगारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 21 – 22 फरवरी 2021	02	25	शशि बाला
86.	कौशल एवं उद्यमिता विकास 21 – 25 फरवरी 2022	05	14	अनूप सतपथी
87.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; 22 – 23 फरवरी 2022	02	30	शशि बाला
88.	सामाजिक सुरक्षा पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 24 – 25 फरवरी 2022	02	30	शशि बाला
89.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ऑफलाइन); 24 – 25 फरवरी 2022	02	18	शशि बाला
90.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए ऑनलाइन नेतृत्व विकास कार्यक्रम; 28 फरवरी 2022	01	23	शशि बाला
91.	नेतृत्व विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ऑफलाइन); 28 फरवरी – 03 मार्च 2022	04	22	शशि बाला
92.	सामाजिक सुरक्षा और श्रम संहिताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑफलाइन); 28 फरवरी – 03 मार्च 2022	04	12	शशि बाला
93.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ऑफलाइन); 28 फरवरी – 03 मार्च 2022	04	12	शशि बाला
94.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम; 02 – 03 मार्च 2022	02	20	शशि बाला

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
95.	असंगठित कामगारों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम; 03 – 04 मार्च 2022	02	27	शशि बाला
96.	नेतृत्व विकास पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम 03 – 04 मार्च 2022	02	18	शशि बाला
97.	श्रम संहिताओं के संदर्भ में नेतृत्व कौशल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ऑफलाइन); 07 – 09 मार्च 2022	03	28	शशि बाला परामर्शदाता (कार्यक्रम)
98.	सामाजिक सुरक्षा पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमः व्यवहारवादी दृष्टिकोण के साथ (ऑफलाइन); 07 – 09 मार्च 2022	03	24	शशि बाला परामर्शदाता (कार्यक्रम)
99.	ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व कौशल बढ़ाना (बीएमएस) (ऑफलाइन); 07 – 10 मार्च 2022	04	28	मनोज जाटव
100	महिला श्रमिकों के संदर्भ में नई श्रम संहिताओं को समझने पर दो दिवसीय ऑनलाइन संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला; 08–09 मार्च 2022	02	56	एलीना सामंतराय
101	ग्रामीण / असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम; 10 – 11 मार्च 2022	02	20	शशि बाला
102	श्रम में लैंगिक मुद्दे 14 – 15 मार्च 2022	02	17	शशि बाला
103	परिवहन श्रमिकों के नेतृत्व कौशल बढ़ाना (ऑफलाइन) 14 – 16 मार्च 2022	03	16	शशि बाला
104	ग्रामीण / असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम; 14 – 16 मार्च 2022	03	09	शशि बाला
105	ग्रामीण / असंगठित क्षेत्र के कामगारों / संगठनकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; 15 – 16 मार्च 2022	02	24	शशि बाला
106	मजदूरी संहिता, 2019 पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 21 – 23 मार्च 2022	03	15	अनूप सतपथी
107	घरेलू कामगारों के लिए प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम (ऑफलाइन); 21 – 24 मार्च 2022	04	33	शशि बाला
108	फुटपाथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए प्रभावी नेतृत्व कार्यक्रम (ऑफलाइन); 21 – 24 मार्च 2022	04	26	शशि बाला
109	ग्रामीण / असंगठित क्षेत्र के कामगारों / संगठनकर्ताओं के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम 24 – 25 मार्च 2022	02	27	शशि बाला
110	ग्रामीण / असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 24 – 25 मार्च 2022	02	27	शशि बाला
111	सामाजिक सुरक्षा पर नेतृत्व विकास कार्यक्रम 28 – 29 मार्च 2022	02	30	शशि बाला
112	हथकरघा कामगारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ऑफलाइन); 28 – 31 मार्च 2022	04	41	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
113	मत्स्य श्रमिकों के नेतृत्व कौशल बढ़ाना (ऑफलाइन) 28 – 31 मार्च 2022	04	29	रम्य रंजन पटेल

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh l[;k	çfrHkkfx;ksa dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
114	नेतृत्व विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ऑफलाइन) 29 – 30 मार्च 2022	02	23	धन्या एम. बी.
	mi ;ksx & 75	274	2101	
Ckky Je dk;Øe ¼lh,yh½				
115	बचाए गए/मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम; 22 – 24 जून 2021	03	81	हेलन आर. सेकर
116	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के पहचान, बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर अभिविन्यास कार्यक्रम; 28 – 30 जुलाई 2021	03	111	हेलन आर. सेकर
117	बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए अभिसरण पर संवेदीकरण प्रशिक्षण 27 – 27 अगस्त 2021	03	81	हेलन आर. सेकर
118	श्रमिकों के संकट प्रवासन, तस्करी के लिए स्रोत राज्यों की भेद्यता का समाधान करने, बाल मजूदरी एवं बंधुआ मजूदरी पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 01 – 03 सितम्बर 2021	03	94	हेलन आर. सेकर
119	कानूनी सेवाएं सुनिश्चित करने और बचाये गये बाल श्रमिकों/बंधुआ मजदूरों/तस्करी वाले मजदूरों के प्रभावी पुनर्वास पर अभिविन्यास कार्यक्रम 24 – 26 नवम्बर 2021	03	43	हेलन आर. सेकर
120	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के पहचान, बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम; 23 – 25 फरवरी 2022	03	138	हेलन आर. सेकर
121	बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन पर संवेदीकरण कार्यक्रम, 29 – 31 मार्च 2022	03	212	हेलन आर. सेकर
	mi ;ksx & 07	21	619	
mÙkj&iwohZ jkT;ksa ds fy, dk;Øe ¼,ubih½				
122	श्रम में लैंगिक मुद्दे: एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण (ऑफलाइन); 05 – 09 अप्रैल 2021	05	32	शशि बाला
123	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व 23 – 25 जून 2021	03	17	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
124	लिंग, कार्य और सामाजिक संरक्षण 07 – 10 जून 2021	04	35	एलीना सामंतराय
125	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा 19 – 23 जुलाई 2021	05	14	धन्या एम. बी.
126	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 26 – 30 जुलाई 2021	05	12	शशि बाला

Øe l-	dk;ZØe dk uke	fnuksa dh l[;k	çfrHkkfx;ksa dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
127	श्रम बाजार और रोजगार अवसरों को समझना (एमआईसीएस के लिए वीवीजीएनएलआई में) 26 – 30 जुलाई 2021	05	16	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
128	नई श्रम संहिताओं एवं नियमों को समझना 09 – 13 अगस्त 2021	05	17	संजय उपाध्याय
129	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए श्रम बाजार और रोजगार अवसरों को समझना (ऑफलाइन); 25 – 29 अक्तूबर 2021	05	43	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
130	नेतृत्व विकास कार्यक्रम (ऑफलाइन) 20 – 24 दिसम्बर 2021	05	12	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
131	सामाजिक संरक्षण के साधन के तौर पर विकास योजनाएं (एनईपी); 10 – 14 जनवरी 2022	05	05	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
	mi ;kx & 10	47	203	
lg;kxkRed çf'k{k.k dk;ZØe ¼lhVhih½				
132	लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान पद्धतियां, अविनाशीलिंगम विश्वविद्यालय के सहयोग से 16 –18 जून 2021	03	81	धन्या एम. बी.
133	भारत में रोजगार चुनौतियों एवं कार्यनीतियों पर कार्यशालाः कोविड–19 के बाद का परिदृश्य (केरल विश्वविद्यालय); 23 – 24 जून 2021	02	57	धन्या एम. बी.
134	मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एसएलआई, पश्चिम बंगाल); 06 – 09 जुलाई 2021	04	15	अनूप सतपथी
135	नई श्रम संहिताओं को समझना (एसएलआई ओडिशा) 07 – 09 जुलाई 2021	03	27	एलीना सामंतराय
136	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व (एमआईएलएस, मुंबई) 18 – 19 अगस्त 2021	02	29	संजय उपाध्याय
137	मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एमजीएलआई, गुजरात); 03 – 06 अगस्त 2021	04	76	अनूप सतपथी
138	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एसएलआई ओडिशा), 13 – 15 सितम्बर 2021	03	37	मनोज जाटव
139	श्रम पर चरम जलवायु घटनाओं के प्रभावः चुनौतियाँ और शमन (सीएसडी, हैदराबाद); 27 – 30 सितम्बर 2021	04	22	मनोज जाटव
140	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व (एमजीएलआई, गुजरात) 08 – 10 नवम्बर 2021	03	18	संजय उपाध्याय
141	उभरते श्रम बाजार मुद्दे और कार्यनीतिक अनुक्रियाएं 22 – 24 नवम्बर 2021	03	24	धन्या एम. बी.
142	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एसएलआई ओडिशा के सहयोग से; 23 नवम्बर 2021	01	27	रूमा घोष
143	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 07 दिसम्बर 2021	01	29	हेलन आर. सेकर

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh l[;k	çfrHkkfx;ksa dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
144	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एसएलआई ओडिशा), 27 – 29 दिसम्बर 2021	03	14	मनोज जाटव
145	श्रम बाजार और रोजगार बाजार सूचना पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनआईसीएस); 16 – 18 फरवरी 2022	03	16	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
146	सामाजिक विज्ञान एवं श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियों पर ऑनलाइन अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (जेएमआई, दिल्ली); 22 – 25 फरवरी 2022	04	89	रूमा घोष
147	श्रम बाजार और रोजगार बाजार सूचना पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनआईसीएस); 23 – 25 फरवरी 2022	03	19	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
148	ट्रेड यूनियन नेताओं के कौशल विकास पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम; 23 – 25 फरवरी 2022	03	25	शशि बाला
149	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन (एसएलआई ओडिशा), 07 – 09 मार्च 2022	03	35	संजय उपाध्याय
150	श्रम अनुसंधान में मात्रात्मक डेटा विश्लेषण पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम, सीएसडी हैदराबाद के सहयोग से; 14 – 16 मार्च 2022	03	59	मनोज जाटव
151	खनन श्रमिकों के नेतृत्व कौशल को बढ़ाना (ऑफलाइन), संबलपुर (एसएलआई, ओडिशा); 07 – 09 मार्च 2022	03	50	रम्य रंजन पटेल
152	औद्योगिक संबंधों एवं नई श्रम संहिताओं पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, सिक्किम विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) के साथ; 24 –26 मार्च 2022	03	69	शशि बाला
153	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां, त्रिपुरा विश्वविद्यालय के सहयोग से; 29 – 31 मार्च 2022	03	90	एलीना सामंतराय
	mi ;kx & 22	64	901	
vuqla/kku i)fr dk;Øe ¼vkj,eih½				
154	लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान पद्धतियां, 18 – 22 अक्तूबर 2021	05	18	धन्या एम. बी.
155	शोधकर्ताओं एवं व्यावसायिकों के लिए श्रम बाजार विश्लेषण, 25 – 29 अक्तूबर 2021	05	61	एस. के. शशिकुमार
156	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियाँ पर पाठ्यक्रम 13 – 17 दिसम्बर 2021	05	14	रूमा घोष
157	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियाँ 17 – 22 जनवरी 2022	05	73	अनूप सतपथी
158	श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियाँ 07 – 11 फरवरी 2022	05	25	एलीना सामंतराय
	mi ;kx & 05	25	190	

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
vUrjk"Vªh; Áf'k{k.k dk;Øe ¼vkbZVhih½				
159	कार्य का भविष्यः परिवर्तन को प्रभावी रूप से नेविगेट करना; 11 – 29 अक्तूबर 2021	19	18	एस. के. शशिकुमार
160	प्रभावी वेतन नीतियों को डिजाइन एवं कार्यान्वित करने की दिशा में; 08 – 28 नवम्बर 2021	19	21	अनूप सतपथी
	mi ;ksx & 02	38	39	
vkrfjd dk;Øe ¼vkbZ,pih½				
161	अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए नई श्रम संहिताएं; 20 – 21 जनवरी 2022	02	24	एलीना सांतमराय
162	टीएचडीसी के कार्यपालकों के लिए ठेका श्रम पर फोकस के साथ श्रम संहिताएं और मुद्दे 03 – 04 फरवरी 2022	02	23	अनूप सतपथी
163	व्यवासायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक (डीवीसी); 14 – 16 फरवरी 2022	03	38	शशि बाला
164	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के लिए श्रम कानून और अनुपालन; 18 फरवरी 2022	01	50	रूमा घोष
	mi ;ksx & 04	08	135	
	;ksx	631	5309	

foÙk o"kZ 2021&22 ds nkSjku vk;ksftr fd, x, vkWuykbu@vkWQykbu çf'k{k.k dk;ZØe

Øe la-	dk;ZØe dk uke	dk;ZØeksa dh la[;k	dk;ZØe ds fnuksa dh la-	lgHkkfx;ksa dh la[;k
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)	26	97	915
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)	13	57	206
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)	75	274	2101
4.	अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)	05	25	190
5.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईटीपी)	02	38	39
6.	बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलबीपी)	07	21	619
7.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी)	10	47	203
8.	सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीटीपी)	22	64	901
9.	आंतरिक कार्यक्रम (आईएचटीपी)	04	08	135
	tksM+	164	631	5309

çf'k{k.k dk;ZØeksa dk forj.k

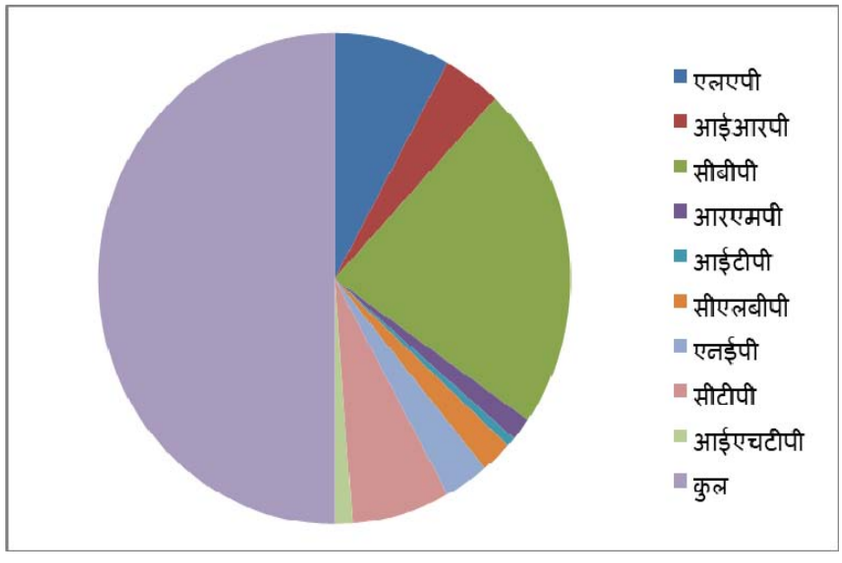

jkT;okj Jfedk dh çfrHkkfxrk ¼2021&22½

jkT;	ifrHkkfx;k dh l[;k	jkT;	ifrHkkfx;k dh l[;k
आंध्र प्रदेश	07	तेलंगाना	61
बिहार	13	तमिलनाडु	26
छत्तीसगढ़	09	उत्तर प्रदेश	86
गुजरात	118	उत्तराखंड	18
हरियाणा	37	पश्चिम बंगाल	235
हिमाचल प्रदेश	17	मणिपुर	21
झारखंड	11	मेघालय	04
कर्नाटक	14	मिजोरम	03
केरल	08	सिक्किम	01
मध्य प्रदेश	23	त्रिपुरा	19
महाराष्ट्र	42		
ओडिशा	28		
राजस्थान	205	Dn ’kkflr in’k	
		अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	52
		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	23
	dy ;kx		1107

o"kl 2021&22 d nkjku vk;kftr dk;l'kkykvk@ofcukj dh lph

Øe l-	dk;l'kkyk@0kfcukj	fnuk dh l-	ifrHkkfx;k dh l[;k	leUod
1.	भारत में रोजगार चुनौतियां और रणनीतियां: कोविड–19 के बाद का परिदृश्य, केरल विश्वविद्यालय के साथ; 23 – 24 जून 2021	02	57	धन्या एम. बी.
2.	श्रम संहिताएं: एक पर्यावलोकन, जीआईएमएस, ग्रेटर नौएडा के सहयोग से; 31 अगस्त 2021	01	28	शशि बाला
3.	कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का समाधान करना: कानून और नीति, एसएलआई, ओडिशा के सहयोग से; 03 सितंबर 2021	01	108	एलीना सामंतराय
4.	वेलपुर मंडल, जिला निजामाबाद में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सफल हस्तक्षेपों के 20 वर्ष मनाने और श्रम संहिताओं पर जागरूकता का सृजन करने पर कार्यशाला; 08 अक्तूबर 2021	01	150	हेलन आर. सेकर
5.	श्रमिक मुद्दे, श्रम संहिताएं और महिला श्रमिकों से संबंधित कानून, एसएलआई, ओडिशा के सहयोग से; 20–21 अक्टूबर 2021	02	39	एलीना सामंतराय
6.	भारत में सीमांत ग्रामीण श्रम की चुनौतियां: समावेश की आवश्यकता, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के सहयोग से; 20–22 अक्तूबर 2021	03	20	शशि बाला
7.	आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास: चुनौतियां और अवसर पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला, मिजोरम विश्वविद्यालय के सहयोग से 24–26 नवंबर 2021	03	18	शशि बाला
8.	आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ट्रेड यूनियन नेताओं की भूमिका पर कार्यशाला; 16 दिसंबर 2021	01	79	हेलन आर. सेकर/ रम्य रंजन पटेल
9.	ई–गवर्नेंस पर कार्यशाला, एनआईएसजी के सहयोग से; 28 दिसंबर 2021	01	38	धन्या एम. बी.
10.	नई श्रम संहिताएं पर कार्यशाला, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान के सहयोग से: 24 – 25 जनवरी 2022	02	75	रूमा घोष
11.	भारत में श्रम पर नीति अनुसंधान पर एक कार्यशाला; 25 फरवरी, 2022	01	09	रूमा घोष

Øe l-	dk;Z'kkyk@osfcukj	fnuksa dh l-	izfrHkkfx;ksa dh la[;k	leUo;d
12.	श्रमिक विकासः पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर कार्यशाला; 09 मार्च 2022	01	285	हेलन आर. सेकर
13.	ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ में गिग और प्लेटफॉर्म कार्यचालन के संदर्भ में रोजगार के नए रूप पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार (वीवीजीएनएलआई द्वारा आईएलओ, ब्रिक्स श्रम अनुसंधान संस्थान नेटवर्क और आईटीसी – आईएलओ के सहयोग से; 09 मार्च 2022	01	100	अनूप सतपथी
14.	स्वतंत्रता आंदोलन और श्रमिक आंदोलन पर राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम 11 मार्च 2022	01	66	हेलन आर. सेकर
15.	असंगठित सैक्टर की महिला कामगारों का सशक्तिकरण' पर कार्यशाला, एसडब्ल्यूईडीडब्ल्यूए, नई दिल्ली के सहयोग से; 11 मार्च 2022	01	100	मनोज जाटव
16.	पूर्वोत्तर भारत में श्रम और रोजगार के मुद्दों का मानचित्रण पर ऑनलाइन कार्यशाला 30 मार्च 2022	01	41	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
17.	कार्य के भविष्य और कार्य के नए रूपों के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा को समझना पर ऑनलाइन कार्यशाला; 31 मार्च 2022	01	30	रूमा घोष
		54	1242	

,u- vkj- Mh Je lpuk lalk/ku dsUnz
(,uvkjMhvkjlh,yvkbZ)

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यंत विख्यात पुस्तकालय-सह-प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

1- Hkkfrd lEink

iLrdsa: अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान पुस्तकालय में 97 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र-पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 65]641 तक पहुंच गई। इस अवधि के दौरान पुस्तकालय ने नियमित रूप से 111 व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और समाचार पत्रों का मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक रूपों में अभिदान किया। यह ज्ञान केंद्र उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: सूचना का चयनात्मक प्रसार (एसडीआई); वर्तमान जागरूकता सेवा; ग्रंथ विज्ञान सेवा; ऑनलाइन खोज; पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण; समाचार पत्र कतरन सेवा; माइक्रो–फिच सर्च और मुद्रण; रेप्रोग्राफिक सेवा; सीडी–रोम सर्च; दृश्य–श्रव्य सेवा; वर्तमान विषय-वस्तु सेवा; आर्टिकल अलर्ट सेवा; लेंडिंग सेवा; और अंतर–पुस्तकालय ऋण सेवा।

2- mRikn

पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो 120 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिन: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- आर्टिकल अलर्ट: साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें अभिदत्त पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- वर्तमान विषय-वस्तु सेवा: यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय-वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल अलर्ट सेवा - यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- ई–न्यूजपेपर क्लिपिंग सर्विस – श्रम और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी प्रमुख समाचारों की स्कैन कॉपी की एक साप्ताहिक सेवा।

3- fof'k"Vh—r lalk/ku dsanz dk j[kj[kko

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित दो विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

jkt Hkk"kk uhfr dk dk;kZUo;u

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए हिन्दी प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

jkt Hkk"kk dk;kZUo;u lfefr

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 23.06.2021, 28.09.2021, 30.12.2021 और 23.03.2022 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्तवपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

fgUnh dk;Z'kkyk

संस्थान ने अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिंदी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये कार्यशालाएं 23.06.2021, 27.08.2021, 23.12.2021 और 11.03.2022 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

frekgh fjikVZ

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2021, 30 जून 2021, 30 सितम्बर 2021 और 31 दिसम्बर 2021 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

fgUnh i[kokM+k

संस्थान में हिंदी पखवाड़ा 14 – 29 सितम्बर 2021 के दौरान आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख, टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी टंकण एवं वर्ग पहेली, हिंदी काव्य पाठ, त्वरित भाषण, और राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते।

29.09.2021 को समापन सत्र को संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने पुरस्कार वितरित किए।

jktHkk"kk laxks"Bh

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्वावधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों/प्रभारियों के लिए बुधवार, 24 नवम्बर 2021 को 'राजभाषा संगोष्ठी' का आयोजन किया गया। संस्थान की ओर से श्री हर्ष सिंह रावत, प्रशासनिक अधिकारी ने मंचासीन अतिथियों सर्वश्री राकेश कुमार, निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री अरविन्द कुमार, सदस्य सचिव, नराकास, नौएडा और सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए संस्थान द्वारा राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की संक्षेप में जानकारी दी। तत्पश्चात, नराकास, नौएडा के सदस्य सचिव श्री अरविन्द कुमार ने नराकास, नौएडा के विभिन्न कार्यकलापों के साथ–साथ इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान तक की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया।

राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान नराकास, नौएडा के तत्वावधान में आयोजित किए गए कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देने के बाद श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अतिथि वक्ता श्री राकेश कुमार से आगे की कार्यवाही शुरु करने का अनुरोध किया। श्री राकेश कुमार द्वारा इस संगोष्ठी को सहभागितापूर्ण बनाते हुए संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया। इस संगोष्ठी में नराकास, नौएडा के 20 सदस्य कार्यालयों से 32 राजभाषा अधिकारियों/प्रभारियों ने भाग लिया।

jktHkk"kk dks c<+kok nsus ds fy, iqjLdkj &

- ⇨ वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसायटी श्रेणी के तहत 'क' क्षेत्र में *द्वितीय पुरस्कार* से सम्मानित किया गया।

- ⇨ ये पुरस्कार हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर 14 सितंबर 2021 को वितरित किए गए क्योंकि देश में जारी कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण वर्ष 2020 में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका था।

çdk'ku

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार-प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, सामयिक प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

tuZy@i=&if=dk,¡

ycj ,.M Moyiesa V

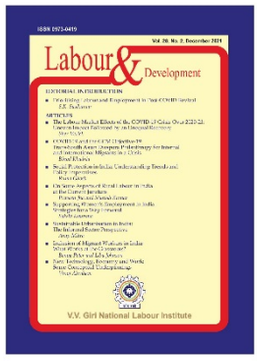

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर जोर देने के साथ श्रम एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च अकादमिक स्तर के लेख और विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान नोट एवं पुस्तक समीक्षा प्रकाशित किए जाते हैं। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

vokM~lZ Mkbtsa LV

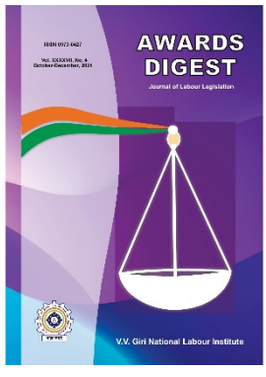

अवाड़र्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

Je fo/kku

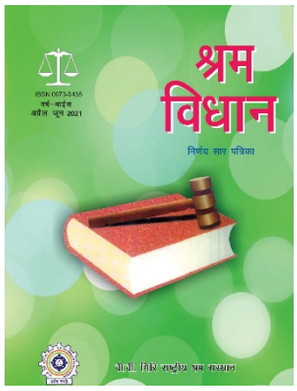

श्रम विधान एक तिमाही हिंदी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

bUnz/kuq"k

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।

इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही महानिदेशक और अधिकारियों संकाय सदस्यों की पेशेवर व्यस्तताओं पर भी प्रकाश डाला जाता है।

pkbYM gksi

चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

Je laxe

श्रम संगम एक छमाही राजभाषा पत्रिका है जिसका प्रकाशन हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कर्मचारियों को उन्मुख करने तथा इसके प्रसार में उनकी सृजनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कर्मचारियों द्वारा रचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलकूद आदि से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक लेखों और महापुरुषों/साहित्यकारों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

,u-,y-vkbZ- vuqla/kku v/;;u Ja`[kyk

संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 146 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। 2021–22 में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन में निम्न शामिल हैं:

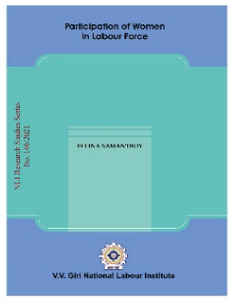

145/2021 ब्रिक्स एंड दि वर्ल्ड ऑफ वर्क: फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्किट – *डॉ. अनूप सतपथी .*

146/2021 पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन लेबर फोर्स – *डॉ. एलीना सामंतराय*

Okhoh th,u,yvkbZ ikWfylh ilZisfDVot

वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिवज़ में सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों और श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभाव तथा उन कार्यनीतियों/नीतिगत पहलों, जिन्हें भविष्य में श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अपनाया जा सकता हैं, पर फोकस किया जाता है।

1. नई श्रम संहिताएंः भारत के उच्च विकास पथ के महत्वपूर्ण माध्यम – डॉ. एच. श्रीनिवास
2. प्रमोटिंग इन्क्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया – एन ओवरव्यू ऑफ दि लेबर रिफॉर्म्स एंड लेबर वेलफेयर स्कीम्स – डॉ. एच. श्रीनिवास
3. भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देना..........श्रम सुधार और श्रम कल्याण योजनाओं का पर्यावलोकन – डॉ. एच. श्रीनिवास

ohohth,u,yvkbZ ekeyk v/;;u J`a[kyk

मामला अध्ययन प्रशिक्षण के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हैं। संस्थान अपने प्रशिक्षण हस्तक्षेपों में मामला अध्ययनों का उपयोग करता है ताकि प्रतिभागियों को कार्य की दुनिया में परिवर्तनों का विश्लेषण और अनुक्रिया करने के लिए संज्ञानात्मक एवं समस्या समाधान कौशल के मिश्रण से लैस किया जा सके। तदनुसार, संस्थान के संकाय सदस्य अपनी अनुसंधान रुचियों और कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता के आधार पर मामला अध्ययन तैयार करने में शामिल हैं। संस्थान में विकसित मामला अध्ययन का पहला संकलन, वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला 2020 में प्रकाशित किया गया। इस संग्रह में श्रम और संबंधित मुद्दों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मामला अध्ययन शामिल हैं। इसका हिंदी संस्करण 2021–2022 में प्रकाशित किया गया।

• अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन शासन पर अच्छी प्रथाएंः भारत के ई–माइग्रेट का मामला अध्ययन – *डॉ. एस. के. शशिकुमार*
• सामान्य रूप से और कोविड–19 महामारी आपदा के संदर्भ में बाल श्रम का समाधान करनाः घरेलू बालिका सहायक का मामला अध्ययन – *डॉ. हेलन आर. सेकर*
• औद्योगिक विवादों के प्रभावी निराकरण में तथ्यों के समुचित मूल्यांकन और सुलह अधिकारी की साख की भूमिका – *डॉ. संजय उपाध्याय*
• अनौपचारिक रोजगार में कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर अच्छी प्रथाएं – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मामला अध्ययन – *डॉ. रूमा घोष*
• व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना की अच्छी प्रथाएं एवं इनसे सीखे गए सबक – *डॉ. अनूप के. सतपथी*
• मातृत्व सुरक्षाः एक मामला अध्ययन – *डॉ. शशि बाला*
• एक्सपोजर संवाद कार्यक्रम (ईडीपी) – *डॉ. एलीना सामंतराय*

• असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशनः प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन (पीएम–एसवाईएम) का मामला अध्ययन – *डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम*
• रोजगार और आजीविका संवर्धन के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं का कौशल प्रशिक्षणः फील्ड इटरैक्शंस से मामले – *श्री पी. अमिताभ खुंटिआ*
• सेवा और कुडंबश्री के अनुभवः सामाजिक सुरक्षा आधार – *डॉ. धन्या एम. बी.*
• गाँधी के एक नेता के रूप में उभरने पर मामला अध्ययन – *डॉ. रम्य रंजन पटेल*
• असंरक्षित की रक्षा करनाः असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए माथाडी मॉडल का एक मामला अध्ययन – *डॉ. मनोज जाटव*

lelkef;d çdk'ku

- इंटरिम रिपोर्ट – इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ दि लेबर रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाइ दि स्टेट्स
- रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट

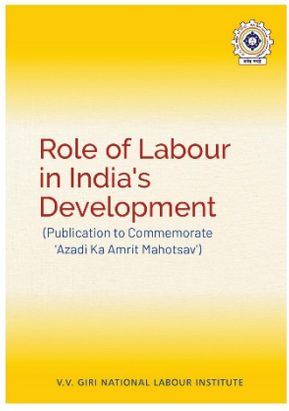

अधिक जानकारी तथा ब्यौरे के लिए कृपया संपर्क करें :

Ádk'ku ¼ÁHkkjh½
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201301
टेलीफोन : 0120–2411533

i{k leFkZu vkSj çlkj

वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करने हेतु शुरु किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक सूचना का पक्ष समर्थन और प्रसार करने को प्रमुख कार्यनीति समझा जाता है। ऐसे पक्ष समर्थन एवं प्रसार कार्यकलापों का हिस्सा बनने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय एवं संगठन समय–समय पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से अनुरोध करते हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान संस्थान ने लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए हाल की नवीन सरकारी योजनाओं और हस्तक्षेपों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए निम्नलिखित मेगा आयोजनों में भाग लिया: 'मेक इन उत्तराखंड 2021', रामनगर, उत्तराखंड, 16–17 सितम्बर 2021; 'डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश 2021', सोलन, हिमाचल प्रदेश, 28–30 सितम्बर 2021; 'राइज़ इन उत्तर प्रदेश 2021', गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 22–24 दिसम्बर 2021; और 'उज्ज्वल उत्तर प्रदेश 2021, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, 24–26 दिसम्बर 2021।

इस तरह के कार्यकलापों में भाग लेते हुए संस्थान मुख्य रूप से लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हाल की नवीन सरकारी स्कीमों एवं हस्तक्षेपों के प्रसार और अपने प्रशिक्षण एवं अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करता है तथा श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे कि रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम, बाल श्रम, लिंग एवं कार्य, ग्रामीण एवं कृषि श्रमिक आदि पर तकनीकी जानकारी भी प्रदान करता है। संस्थान इस तरह के आयोजनों में अपने सभी प्रमुख प्रकाशनों को भी प्रदर्शित करता है।

- esd bu mÙkjk[kaM 2021

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने सरकार की योजनाओं, नीतियों और पहलों और विभिन्न क्षेत्रों मे कौशल विकास और प्रशिक्षण की भूमिका के बारे में जागरूकता का सृजन करने के लिए 16–17 सितंबर 2021 के दौरान परिचित फाउंडेशन द्वारा रामनगर, उत्तराखंड में आयोजित 'मेक इन उत्तराखंड 2021' में भाग लिया। वीवीजीएनएलआई ने इस प्रदर्शनी में संस्थान की गतिविधियों अर्थात अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन आदि और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जानकारी के प्रसार करने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भाग लिया। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के लगभग 30 मंत्रालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भाग लिया। माननीय संसद सदस्य (लोकसभा), श्री तीरथ सिंह रावत ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और वीवीजीएनएलआई स्टॉल का दौरा किया। संस्थान के स्टॉल पर आने वाले विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों सहित लगभग 5000 लोगों को राष्ट्रीय करियर सर्विस पोर्टल के बारे में जागरूक किया गया। इस प्रदर्शनी में संस्थान के कुछ नवीनतम

प्रकाशनों को भी प्रदर्शित किया गया। oh- oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku dks f}rh; iqjLdkj ls lEekfur fd;k x;kA श्री हर्ष सिंह रावत, प्रशासनिक अधिकारी; श्री राजेश कर्ण, स्टेनो सहायक ग्रेड II और श्री सतीश कुमार, एमटीएस ने प्रदर्शनी में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया और संस्थान की गतिविधियों को आगंतुकों के साथ साझा किया।

- MsfLVus'ku fgekpy izns'k 2021] lksyu] fgekpy izns'k

संस्थान ने 28–30 सितंबर 2021 के दौरान सोलन, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 'डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश 2021' में भाग लिया। यह एक मेगा कार्यक्रम था जिसमें सामान्य रूप से श्रमिकों और विशेष रूप से समाज के गरीब और वंचित वर्ग के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में छात्रों सहित लगभग तीन हजार प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई स्टॉलों का प्रदर्शन किया गया। oholhth,u,yvkbZ dks lcls lk>k djus ds fy, loZJs"B iqjLdkj feykA M,- jE; jatu iVsy] एसोसिएट फेलो, कार्यक्रम के समन्वयक थे।

- jkbt bu mÙkj izns'k] 2021 ¼22 & 24 fnlEcj 2021½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने 22–24 दिसंबर 2021 के दौरान गाजियाबाद में आयोजित 'राइज इन उत्तर प्रदेश 2021' कार्यक्रम में भाग लिया। संस्थान ने विभिन्न सरकारी सामाजिक योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों, संस्थान के प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों, आदि पर कई पोस्टर, बैनर, फोटो, प्रकाशन आदि प्रदर्शित किए थे। आगंतुकों को संस्थान की गतिविधियों अर्थात अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रकाशन आदि और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहलों के बारे में अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों/प्रोफेसरों, कर्मचारियों, श्रमिकों, आम जनता सहित लगभग 10,000 व्यक्तियों ने दौरा किया।

श्री पुरुषोत्तम रूपाली जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; श्री भगवंत खुबा, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय तथा डॉ अनिल अग्रवाल, माननीय राज्य सभा सांसद ने वीवीजीएनएलआई स्टॉल का दौरा किया और संस्थान की गतिविधियों की सराहना की। 50 çfrHkkxh ljdkjh foHkkxk] lkoZtfud miØe vkj e=ky;k d chp lLFkku dk loJ"B LVky ¼f}rh; mi fotrk½ dk iqjLdkj feyk। इस कार्यक्रम में श्री एस. के. वर्मा, श्री विकेश कुमार और श्री सतीश कुमार ने संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

- mTToy mÙkj izn'k 2021

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने सरकार की योजनाओं, नीतियों और पहल के बारे में युवाओं और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आविष्कार प्रदर्शनी एवं संवर्धन प्रा. लिमिटेड द्वारा 24–26 दिसंबर 2021 के दौरान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रदर्शनी 'उज्ज्वल उत्तर प्रदेश 2021' में भाग लिया। Jh jfo fd'ku 'kDyk, माननीय सांसद, लोकसभा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और

वीवीजीएनएलआई स्टॉल का दौरा किया। संस्थान की गतिविधियों अर्थात अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं प्रकाशन और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहलों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में लगभग पैंतीस केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भाग लिया। lLFkku dk çn'ku vkj tkx:drk d fy, loJ"B iqjLdkj feykA डॉ. रम्य रंजन पटेल, एसोसिएट फेलो; श्री राजेश कुमार कर्ण, स्टेनो सहायक ग्रेड II और श्री राजबीर सिंह, एमटीएस, वीवीजीएनएलआई ने प्रदर्शनी में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

laLFkku ds bZ&xousZal ,oa fMftVy volajpuk dk mUu;u

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) तथा डिजिटल इंडिया की अवसंरचना को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार संस्थान ने अपने ई–गवर्नेंस तथा डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन एवं स्थायीकरण के लिए कई कदम उठाये हैं। इस संबंध में उठाये गये प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

1- **bZ&vkWfQl ç.kkyh dk lapkyu ,oa LFkk;hdj.k%** कार्यकारी कुशलता में सुधार तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थान ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन शुरु करके 'कम कागज प्रयोगकर्ता कार्यालय' बनने की ओर उन्मुख हुआ। एनआईसी के सहयोग से प्रयोगकर्ताओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके इस प्रणाली का स्थायीकरण किया गया तथा इसे टिकाऊ बनाया गया। ऐसा करने से संकाय सदस्यों, अधिकारियों तथा स्टाफ में स्वामित्व की भावना का संचार हुआ तथा अपने दैनिक कार्यों को इस प्रणाली में करने हेतु उनका विश्वास बढ़ा। ई–ऑफिस प्रणाली के अलावा, संस्थान ने ई–ऑफिस प्रणाली के तहत डाक के इलैक्ट्रोनिक प्रबंधन एवं ई–मेल को डायरीकृत करने के लिए स्वचालित केंद्रीय रजिस्ट्री यूनिट (सीआरयू) को भी सफलतापूर्वक स्थायीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, ई–ऑफिस प्रणाली में ई–सर्विस बुक मॉड्यूल शुरु करने के लिए संस्थान को मंत्रालय से अनुमति मिल गई है और संस्थान ने वैयक्तिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीआईएमएस) में अंतरण एवं एकीकरण के लिए अपेक्षित कर्मचारी मास्टर डाटा (ईएमडी) एनआईसी एवं मंत्रालय के आईटी प्रकोष्ठ को भेज दिया है।

2- **ubZ osclkbV dk 'kqHkkjaHk ,oa lqn`<hdj.k%** संस्थान ने नई द्विभाषी वेबसाइट http://www.vvgnli.gov.in/ का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट विशिष्ट है, इसमें कई नई सुविधाएं हैं और यह उपयोगकर्ताओं के बेहद अनुकूल है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में नये फीचर्स जोड़े गये हैं जिनमें विशेषकर महापरिषद एवं कार्यपरिषद के अध्यक्षों के परिचयपत्र हैं, सुरक्षा फीचर्स को मजबूत किया गया है तथा कैप्शन की गई तस्वीरों एवं दृश्यों को अपलोड करके संस्थान के कार्यकलापों के व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है।

3- **ifjlj esa okbZ&QkbZ ,oa fuxjkuh ç.kkyh dk 'kqHkkjaHk%** राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, अतिथि विद्वानों एवं स्टाफ को परिसर में चौबीसों घंटे व्यापक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा परिसर के अंदर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थान ने वाई–फाई एवं निगरानी परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, सहज एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय एरिया नेटवर्क (लैन), वायरलेस लैन, एडेप्टर, नेटवर्क केंद्र एवं निगरानी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन के साथ संस्थान ने कार्यपरिषद (ईसी) द्वारा दिए गए आदेश को पूरा कर लिया है।

Computer Room in Hostel

deZpkfj;ksa dh la[;k

¼31-03-2021 dks½

Lkewg	lLohd`r in	inLFk
महानिदेशक	01	01
संकाय सदस्य	15	11
समूह क	05	03
समूह ख	13	10
समूह ग	24	07
समूह घ	25	17
;ksx	83	49

QSdYVh

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

डॉ. एच. श्रीनिवास, बी.एससी (ऑनर्स), एम.एससी., पीजीडीएम (एमडीआई), पीएच.डी., आईआरपीएस महानिदेशक

lLFkku dh QSdYVh

1.	डॉ. हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	सीनियर फेलो
2.	डॉ. संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी	सीनियर फेलो
3.	डॉ. रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	फेलो
4.	डॉ. अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
5.	डॉ. शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
6.	डॉ. एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी	फेलो
7.	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल.	फेलो
8.	श्री प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
9.	डॉ. एम. बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
10.	डॉ. आर. आर. पटेल, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
11.	डॉ. मनोज जाटव, एम.ए., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो

vf/kdkjh

1.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए., एफसीएमए	प्रशासन अधिकारी
2.	वी. के. शर्मा, बी.ए.	सहायक प्रशासन अधिकारी
3.	शैलेश कुमार, एम. कॉम	लेखा अधिकारी

LVkQ

Lkeg [k

1.	एस. के. वर्मा	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
2.	बी. एस. रावत	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
3.	ए. के. श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक
4.	एस. पी. तिवाड़ी	पर्यवेक्षक
5.	मोनिका गुप्ता	आशुलिपिक ग्रेड – I
6.	पिंकी कालड़ा	आशुलिपिक ग्रेड – I
7.	सुधा वोहरा	आशुलिपिक ग्रेड – I
8.	गीता अरोड़ा	आशुलिपिक ग्रेड – I
9.	सुधा गणेश	आशुलिपिक ग्रेड – I
10.	वलसम्मा बी. नायर	आशुलिपिक ग्रेड – I

Lkeg x

1.	सुरेन्द्र कुमार	सहायक ग्रेड – I
2.	नरेश कुमार	सहायक ग्रेड – I
3	रंजना भारद्वाज	सहायक ग्रेड – I
4.	राजेश कुमार कर्ण	आशुलिपिक ग्रेड – II
5.	राम किशन	आशुलिपिक ग्रेड – II
6.	प्रांजल गुप्ता	सहायक ग्रेड – II
7.	सत्यवान	सहायक ग्रेड – III

y{kk ijh{kk fjiksVZ
vkSj
y{kkijhf{kr okÆ"kd y{kk
2021&2022

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में संस्थान का जवाब

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	संस्थान का जवाब
(क)	**तुलन पत्रः** 'स्टाफ को परिक्रामी एचबीए अग्रिम' और 'परिक्रामी कंप्यूटर अग्रिम' की रु. 8.29 लाख की राशि को 'चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम' (अनुसूची–7) के बजाय 'निवेश' (अनुसूची–6) के तहत दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'निवेश' (अनुसूची–6) में रु. 8.29 लाख का अतियुक्ति और 'चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम' (अनुसूची–7) में रु. 8.29 लाख की न्यूनोक्ति पायी गयी।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।
(ख)	**सहायता अनुदानः** संस्थान को रु.1155.00 लाख का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ तथा रु.120.09 लाख की आंतरिक प्राप्तियां सृजित कीं। इसमें रु.143.77 लाख का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि रु.1418.86 लाख हुई। संस्थान ने रु.1414.85 लाख का उपयोग किया तथा रु.4.01 लाख का अंत शेष रहा।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

संस्थान के उपरोक्त स्पष्टीकरण को देखते हुए उठायी गयी आपत्तियों को छोड़ देने का अनुरोध है।

oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk

vuqc/k

Øe la-	fVIi.kh	Tkokc
1.	vkrfjd ys[kkijh{kk ç.kkyh dh i;kIrrk संस्थान का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। हालांकि, वर्ष 2021–22 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की गई।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
2.	vkrfjd fu;=.k ç.kkyh dh i;kIrrk आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त प्रतीत होती है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
3.	vpy ifjlifÙk;ksa dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh वर्ष 2021–22 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
4.	oLrq&lwph dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh वर्ष 2021–22 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
5.	lkafof/kd ns;rkvksa dk Hkqxrku esa fu;ferrk संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

Speed Post

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ,
शाखा कार्यालय - प्रयागराज

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Director of Audit (Central) Lucknow,
Branch Office - Prayagraj

पत्र संख्याः प्र0नि0ले0प0 (केन्द्रीय)/पृ.ले.प.–08/2022–23/ दिनांक : 12. .09.2022

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली -110001

विषयः वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021–22 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021–22 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) अग्रसारित किया जा रहा है।

2. कृपया सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित लेखे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत हुए।

3. कृपया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अन्तिम रूप–से प्रस्तुत करने की तिथि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ–साथ इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

पत्र संख्याः प्र0नि0ले0प0 (केन्द्रीय)/पृ.ले.प.–08/2022–23/100 दिनांक :12..09.2022

निदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,सेक्टर 24, गौतम बुद्ध नगर,नोएडा–201301 को संस्थान के वर्ष 2021–22 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे, तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता हैं। परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अंकित होना चाहिए: '

'प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।''

हिन्दी अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

उप निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

मुख्यालयः तृतीय तल, ऑडिट भवन, टी.सी.-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.) दूरभाषः 0522-2970789, फैक्सः 0522-2970780 (प्र.नि.)
Headquarter: 3rd Floor, Audit Bhawan, T.C.-35-V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Ph: 0522-2970789 Fax: 0522-2970780 (P.D.)
शाखा कार्यालयः चतुर्थ तल, 15 अ सत्यनिष्ठा भवन, दयानंद मार्ग, प्रयागराज-211001 (उ.प्र.) दूरभाष/फैक्सः 0532-2420783
Branch Office: 4th Floor, 15 A Satyanistha Bhawan, Dayanand Marg, Prayagraj-211001 (U.P.) Ph/Fax- 0532-2420783

31 ekpZ 2022 dks lekIr o"kZ ds fy, oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] uks,Mk ds ys[kk ij Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk-ijh{kd dh iFkd ys[kkijh{kk fjiksVZ

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (संस्थान) के संलग्न तुलन पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। यह लेखा-परीक्षा 2022–23 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य-निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाये गये लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की, एक परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रपत्र पर बनाये गये हैं;

iii. हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की हमारी जांच से पता चलता है, और जैसे कि संस्थान के संगम ज्ञापन तथा नियम और विनियम के अनुच्छेद XVI के तहत आवश्यक हैं, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपने लेखों की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

iv. हम आगे सूचित करते हैं कि:

r|yu i=

'स्टाफ को परिक्रामी एचबीए अग्रिम' और 'परिक्रामी कंप्यूटर अग्रिम' की रु. 8.29 लाख की राशि को 'चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम' (अनुसूची–7) के बजाय 'निवेश' (अनुसूची–6) के तहत दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'निवेश' (अनुसूची–6) में रु. 8.29 लाख का अतियुक्ति और 'चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम' (अनुसूची–7) में रु. 8.29 लाख की न्यूनोक्ति पायी गयी।

lgk;rk vuqnku

संस्थान को रु.1155.00 लाख का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ तथा रु.120.09 लाख की आंतरिक प्राप्तियां सृजित कीं। इसमें रु.143.77 लाख का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि रु.1418.86 लाख हुई। संस्थान ने रु.1414.85 लाख का उपयोग किया तथा रु.4.01 लाख का अंत शेष रहा।

v. पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

अ. जहां तक यह 31 मार्च 2022 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्य के तुलन पत्र से संबंधित है; और

ब. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'घाटे' के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh vksj ls

LFkku: y[kuÅ
fnukad :
(lUVªy)

g-@
çèkku ys[kkijh{kk funs'kd

vuqc/k

1- vkUrfjd y[kk ijh{kk dh i;kIrrk

संस्थान का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। हालांकि, वर्ष 2021–22 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की गई ।

2- vkUrfjd fu;a=.k ç.kkyh dh i;kIrrk

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्तता प्रतीत होती है।

3- vpy ifjlEifÙk;ksa dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh

वर्ष 2021–22 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

4- oLrq-lwph dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh

वर्ष 2021–22 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

5- lkfof/kd nk;rkvksa dk Hkqxrku esa fu;fer rk

संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।

ह./

उप निदेशक (सी ई)

d- d- pukuh ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार
सी–145, एलजीएफ, लाजपत नगर–प्प्ए नई दिल्ली – 110024
मोबाइलः 9830044507, 7688000444

सेवा में,
महानिदेशक,
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

vkarfjd ys[kkijh{kk fjiksVZ ¼foÙkh; o"kZ 2021&22½

हमने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (संस्थान) के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2022 को यथा स्थिति तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा शामिल हैं, की आंतरिक लेखा परीक्षा की है।

foÙkh; fooj.kksa gsrq çca/ku dh ftEesnkjh

इन वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरणों के संगत हों और निष्पादन की सही एवं उचित तस्वीर पेश करते हों तथा सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करना, लागू करना एवं उसका अनुरक्षण करना है।

ys[kkijh{kd dh ftEesnkjh

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

gekjh jk;

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं।

क) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2022 को यथास्थिति संस्थान के कार्य के तुलन-पत्र से संबंधित है और,
ख) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2022 को को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय–व्यय खाते के मामले में संस्थान के घाटे से संबंधित है और,
ग) जहां तक यह, 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने कानूनी रूप से जरूरी लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।

हमारी राय में इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

,Qlh, d".k dqekj pukuh
साझेदार के. के. चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 322232 ई
सदस्यता सं. 056045
स्थान: नई दिल्ली
दिनांकः 16 मई 2022

oh- oh- fxfj jk"Vh; Je laLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2022 dks ;FkkfLFkfr rqyui=

nkf;Ro	vuq-	31-03-2022 dks vuqlkj vkadMs	31-03-2021 dks vuqlkj vkadMs
पूँजीगत निधि	1	112,599,976.90	121,715,072.31
विकास निधि	2	186,547,729.50	162,370,051.57
उद्दिष्ट निधि	3	16,341,145.07	36,618,512.97
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	77,993,409.00	68,435,169.00
;ksx		**393,482,260.47**	**389,138,805.85**
ifjlaifÙk;ka			
अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक)	5	138,927,856.00	131,397,805.00
निवेशः उद्दिष्ट निधि	6	195,595,946.73	171,042,737.80
चालू परिसंपत्तियाँः ऋण एवं अग्रिम	7	58,958,457.74	86,698,263.05
;ksx		**393,482,260.47**	**389,138,805.85**
egRoiw.kZ ys[kk uhfr;ka	17		
vkdfLed nkf;Ro ,oa ys[kks dh fVIif.k;ka	18		

le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lac/k esa gLrk{kfjr
d`rs ds- ds- pkuuk ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkdkj (,Qvkj,u 322232bZ)

	g-@	g-@	g-@
,Qlh, d".k dqekj pkuuk lnL;rk la- 056045	'kSys'k dqekj ys[kk vf/kdkjh	g"kZ flag jkor ç'kklu vf/kdkjh	Mk- ,p- Jhfuokl egkfuns'kd

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 16 मई 2022
यूडीआईएनः 22056045एजेवाईएक्सआईसी7304

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je laLFkku] uks,Mk

31 ekpZ 2022 dks lekIr o"kZ ds fy, vk; ,oa O;; ys[kk

C;kjs	vuq-	31-03-2022 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2021 dks vuqlkj vkdMs
vk;			
सहायता अनुदान	8	114941476.00	101,503,707.00
फीस एवं अंशदान	9	2561775.00	6,657,487.00
अर्जित ब्याज	10	2151972.00	1,958,779.00
अन्य आय	11	7295542.50	5,423,648.00
पूर्व अवधि आय	12	-	-
tksM+ ¼d½		**126950765.50**	**115,543,621.00**
O;;			
स्थापना व्यय	13	77636517.00	61,146,551.00
प्रशासनिक व्यय	14	10619432.98	10,133,752.54
पूर्व अवधि व्यय	15	0.00	35,588.00
योजनागत अनुदान एवं सहायिकियों पर व्यय	16	38293756.00	29,850,507.53
tksM+ ¼[k½		**126,549,705.98**	**101,166,399.07**
मूल्यह्रास से पूर्व व्यय से आय की अधिकता ¼d&[k½		401,059.52	14,377,221.93
घटायः			
मूल्यह्रास	5	16,190,242.00	15,802,633.00
शेष, जिसे घाटे के कारण पूंजी निधि में ले जाया गया		**(15,789,182.48)**	**(1,425,411.07)**
egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k¡	17		
vkdfLed ns;rk,a ,oa ys[kk dh fVIif.k;k¡	18		

le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lac/k esa gLrk{kfjr
d`rs ds- ds- pukuh ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkdkj (,QvkjMu 322232bZ)

	g-@	g-@	g-@
,Q lh, d".k dekj pukuh	'kSys'k dekj	g"kZ flag jkor	Mk- ,p- Jhfuokl
lnL;rk la- 056045	ys[kk vf/kdkjh	ç'kklu vf/kdkjh	egkfuns'kd

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 मई 2022
यूडीआइएनः 22056045एजेवाइएक्सआइसी7304

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk

31 ekpZ 2022 dks lekIr o"kZ dh çkfIr;ka ,oa Hkqxrku ys[kk

fiNys o"kZ 31.03.2021	çkfIr;ka	jkf'k ¼#i;s½ 31.03.2022	fiNys o"kZ 31.03.2021	Hkqxrku	jkf'k ¼#i;s½ 31.03.2022
	vkfn 'k"k			0;;	
4,083.95	हस्तगत रोकड़	8,116.95	63,576,840.00	स्थापना व्यय	67,961,995.00
	बैंक में शेष		17,473,934.10	प्रशासनिक व्यय	9,829,763.62
20,388,176.42	चालू खाता	8,527,859.50	50,546,082.53	योजनागत अनुदान का उपयोग	38,230,145.00
2,176,225.10	बचत खाता परियोजना	166,430.74			
336,272.55	बचत खाता – आईओबी	347,259.01			
103,171.27	बचत खाता–कॉर्पोरेशन बैंक	108,606.27	1,775,933.00	अचल परिसंपत्तयाँ	1,426,472.00
141,831,197.88	खाते में जमा–विकास निधि	162,370,051.57			
13,548,113.47	ग्रेच्युटी खाता–1130025	13,522,563.77	3,176,000.00	विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यय	165,227.90
11,565,615.28	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	11,989,475.58	6,641,310.00	अन्य एजेंसियां – व्यय	819,724.00
29,163.00	हस्तगत डाक टिकट	64,450.00			
3,538,315.63	ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति 1150006	3,710,416.03			
894,504.51	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	7,921,211.34	178,719.00	LVkQ dks vfxze	28,960.00
42,073.00	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00			
2,500,000.00	जेम (जीईएम) पूल खाता	-			
	भारतीय स्टेट बैंक	12,797.00			
	çkIr vuqnku		374,936.00	विभागीय अग्रिम	416,471.00
122,260,624.00	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	115,500,000.00			
4,153,929.00	अन्य एजेंसियों से	356,165.00	1,424,003.00	सेवा कर अग्रिम जमा	
-	अन्य परियोजनाओं से	-	25,000.00	जमा प्रतिभूति की वापसी	-
	çkIr C;kt				
20,538,853.69	विकास निधि	9,401,294.00		vUr 'k"k	
-	उद्दिष्ट निधि	-			
8,719.00	वाहन अग्रिम	2,105.00	8,116.95	gLrxr jksdM	30,410.95
1,695,431.00	बचत खाता	1,952,376.00		cSad esa 'k"k	
43,570.00	ब्याजः परियोजना खाता	5,114.00	8,527,859.50	चालू खाता आईओबी – 1131	5,624,697.70
4,411,629.64	Qhl@vfHknku	1,252,584.64	347,259.01	सी.पी.एफ. आईओबी बचत खाता – 2636	-
1,823,648.00	vU; vk;	7,295,542.50	108,606.27	सी.पी.एफ. यूनियन बैंक बचत खाता – 1055662	-
-	iwoZ vof/k vk;	-	13,522,563.77	ग्रेच्युटी यूनियन बैंक खाता – 1056278	15,873,283.97
427,913.00	विभागीय अग्रिम	347,779.00	11,989,475.58	छुट्टी का नकदीकरण यूनियन बैंक – 1056286	12,723,607.78
	vfxzeksa dh olwyh		64,450.00	हस्तगत डाक टिकट	64,033.00
15,123.00	स्टाफ से	327,127.00	162,370,051.57	जमाः विकास निधि	186,547,729.50
	vU; çkfIr;k		166,430.74	बचत खाता – परियोजना	6,316.84
1,647,716.00	आयकर वापसी	3,080,080.00	3,710,416.03	ईएमडी और जमा प्रतिभूति यूनियन बैंक – 1056863	3,860,467.23
			7,921,211.34	यूनियन बैंक फ्लेक्सी बचत खाता 520141001056979	4,711,593.41
	प्राप्त जमा प्रतिभूति	64,640.00	42,073.00	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00
			-	जेम (जीईएम) पूल खाता	-
			12,797.00	भारतीय स्टेट बैंक – 39675453455	13,146.00
353,984,068.39	**TOTAL**	**348,376,117.90**	**353,984,068.39**	**TOTAL**	**348,376,117.90**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है।

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;ka] 17
vkdfLed nkf;Ro ,oa ys[kks dh fVIif.k;k 18

le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lac/k esa gLrk{kfjr
d`rs d- d- pukuh ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkdkj (,Qvkj,u 322232b)

g-@	g-@	g-@
d".k dqekj pukuh lnL;rk la- 056045	'kSys'k dqekj ys[kk vf/kdkjh	g"kZ flag jkor ç'kklu vf/kdkjh	Mk- ,p- Jhfuokl egkfun'kd

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 16 मई 2022

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

			31.03.2022 के अनुसार आंकड़े		31.03.2021 के अनुसार आंकड़े
अनुसूची 1 – पूँजीगत निधि					
वर्ष के आरम्भ में शेष			12,17,15,072.31		10,43,68,017.97
जोड़ें: विकास निधि में अंतरण			(1,43,77,221.93)		(1,19,88,990.59)
जोड़ें: पूंजीगत निधि में अंशदान					
योजनागत अनुदानों से		2,10,51,309.00		3,07,61,456.00	
घटाएं: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट निधि					
			2,10,51,309.00	-	3,07,61,456.00
व्यय से आय की अधिकता			(1,57,89,182.48)		(14,25,411.07)
	जोड़		**11,25,99,976.90**		**12,17,15,072.31**
अनुसूची 2 – विकास निधि					
वर्ष के आरम्भ में शेष			16,23,70,051.57		14,18,31,197.88
जोड़ें: मूल्यह्रास आरक्षित निधि			1,43,77,221.93		1,19,88,990.59
जोड़ें: बैंक एफडीआर पर ब्याज			98,00,456.00		85,49,863.10
	जोड़		**18,65,47,729.50**		**16,23,70,051.57**
अनुसूची 3 – उद्दिष्ट निधि					
(क) परिक्रामी एचबीए निधि					
वर्ष के आरम्भ में शेष			80,58,829.93		**76,59,825.93**
जोड़ें: बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज			3,34,980.00		3,72,761.00
जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज			20,083.00		26,243.00
	जोड़ (क)		**84,13,892.93**		**80,58,829.93**
(ख) परिक्रामी कंप्यूटर निधि					
वर्ष के आरम्भ में शेष			6,13,856.30		**5,91,521.30**
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज			17,334.00		17,694.00
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज			3,134.00		4,641.00
	जोड़ (ख)		**6,34,324.30**		**6,13,856.30**
(ग) परियोजना निधि					
वर्ष के आरम्भ में शेष			1,66,430.74		21,76,225.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त			-		-
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज			5,114.00		43,570.00
घटाएं: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो			(1,65,227.90)		(20,53,364.36)
	जोड़ (ग)		**6,316.84**		**1,66,430.74**
घ. चल रहा कार्य					
वर्ष के आरम्भ में शेष			2,77,79,396.00		4,89,49,506.00
जोड़ें: ढांचागत कार्य के लिए योजनागत अनुदान (आगे ले जाया गया)			-		1,91,60,627.00
घटाएं: मंत्रालय को लौटाया गया अप्रयुक्त सहायता अनुदान (कें.लो.नि.वि.)					(1,11,65,571.00)
घटाएं: वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीकृत) की राशि			(2,04,92,785.00)		(2,91,65,166.00)
जोड़ें: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट			-		-
	जोड़ (घ)		**72,86,611.00**		**2,77,79,396.00**
	जोड़ (क+ख+ग+घ)		**1,63,41,145.07**		**3,66,18,512.97**
अनुसूची 4 – चालू देयताएं एवं प्रावधान					
क – चालू देयताएं					
ईएमडी और जमा प्रतिभूति			24,18,618.00		23,53,978.00
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं			41,73,526.00		32,96,507.00
जीएसटी आउटपुट			1,11,936.00		2,30,220.00
बाहरी एजेंसियों की विविध परियोजनाएं			-		80,887.00
	जोड़ (क)		**67,04,080.00**		**59,61,592.00**
ख – प्रावधान					
सेवानिवृत्ति पर देय सांविधिक देयताएं			7,12,89,329.00		6,24,73,577.00
	जोड़ (ख)		**7,12,89,329.00**		**6,24,73,577.00**
	जोड़ (क+ख)		**7,79,93,409.00**		**6,84,35,169.00**

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2022 dks lekIr o"kZ ds fy, ys[kk dh vuqlwph;k

vuqlwph 5 & vpy ifjlaifÙk;k¡

fooj.k	eY;gkl dh nj	ldy Cykd					eY;gkl				fuoy Cykd	
		o"kZ dh 'kq#vkr esa 01-04-2021 dks ykxr@eY;kdu	o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu 03-10-2021 rd	o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu 03-10-2021 ds ckn	o"kZ ds nkSjku dVkSrh	o"kZ ds var esa 31-03-2022 dks ykxr@eY;kdu	o"kZ dh 'kq#vkr esa	o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu ij	o"kZ ds nkSjku dVkSrh ij	o"kZ ds var rd ;ksx	orZeku o"kZ ds var rd fLFkfr	fiNys o"kZ ds var rd fLFkfr
भूमि*	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	10%	107,561,254		19,828,298	-	127,389,552	10,756,125	991,415		11,747,540	115,642,012	107,561,254
फर्नीचर व फिटिंग्स	10%	2,397,508			-	2,397,508	239,751	-		239,751	2,157,757	2,397,508
उपकरण	15%	17,422,965		1,666,298	-	19,089,263	2,613,445	124,972		2,738,416	16,350,847	17,422,965
वाहन	15%	194,245			-	194,245	29,137	-		29,137	165,108	194,245
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	394,893		42,808	-	437,701	157,957	8,562		166,519	271,182	394,893
कंप्यूटर	40%	913,100		30,888	-	943,988	365,240	6,178		371,418	572,570	913,100
सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां)	25%	2,513,840		2,152,001	-	4,665,841	628,460	269,000		897,460	3,768,381	2,513,840
योग		**131,397,805**	-	**23,720,293**	-	**155,118,098**	**14,790,115**	**1,400,127**	-	**16,190,241**	**138,927,857**	**131,397,805**

* भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केंद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2022 के अनुसार आंकड़े	31.03.2021 के अनुसार आंकड़े
अनुसूची 6 – निवेश : उद्दिष्ट निधियाँ		
क. विकास निधि		
सावधि जमा खाते	18,15,45,887.52	15,30,13,143.59
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	49,84,431.63	93,40,017.63
इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता – 10355	17,410.35	16,890.35
जोड़ (क)	**18,65,47,729.50**	**16,23,70,051.57**
ख. परिक्रामी एचबीए निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एफडीआर	55,64,773.00	53,08,475.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	61,419.00	34,463.00
इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता – 2637	19,61,289.93	15,95,223.93
स्टाफ को एचबीए अग्रिम	8,26,411.00	11,20,668.00
जोड़ (ख)	**84,13,892.93**	**80,58,829.93**
ग. परिक्रामी कंप्यूटर निधि		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	6,31,386.30	5,50,992.30
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम	2,938.00	62,864.00
जोड़ (ग)	**6,34,324.30**	**6,13,856.30**
जोड (क+ख+ग)	**19,55,95,946.73**	**17,10,42,737.80**

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम		
अ. चालू परिसंपत्तियाँ		
क. नकदी एवं बैंक में शेष		
हस्तगत नकदी	30,410.95	8,116.95
बैंक में शेषः		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खातों में	56,24,697.70	85,27,859.50
यूनियन बैंकः एसबी फ्लेक्सी खाता सं. 1056979	47,11,593.41	79,21,211.34
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	-	3,47,259.01
सी.पी.एफ. यूनियन बैंक बचत खाता – 1055662	-	1,08,606.27
ग्रेच्युटी यूनियन बैंक खाता – 1056278	1,58,73,283.97	1,35,22,563.77
छुट्टी का नकदीकरण यूनियन बैंक – 1056286	1,27,23,607.78	1,19,89,475.58
ईएमडी और जमा प्रतिभूति यूनियन बैंक – 1056863	38,60,467.23	37,10,416.03
डाक टिकट खाता	64,033.00	64,450.00
आईजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00	42,073.00
वीवीजीएनएलआई जेम (जीईएम) पूल खाता	-	-
भारतीय स्टेट बैंकः एसबी खाता – 3455	13,146.00	12,797.00
जोड (क) -	**4,29,43,313.04**	**4,62,54,828.45**

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (जारी....)

ख. परियोजना निधि

	31.03.2021 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	बैंक ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय	बैंक प्रभार	31.03.2022 के अनुसार आंकड़े
इंडियन ओवरसीज बैंक में एसबी खाता में						
एफसीएनआर खाता–10500	1,60,300.90	-	4,927.00	1,65,133.50	94.40	(0.00)
यूनीसेफ बाल श्रम पर अनुक्रिया–50722	4,673.84		143.00			4,816.84
एसबी खाता: यूनियन बैंक						
वीवीजीएनएलआई कर्मचारी कल्याण निधि 4098	1,456.00	-	44.00			1,500.00
जोड़ (ख)	**1,66,430.74**	**-**	**5,114.00**	**1,65,133.50**	**94.40**	**6,316.84**
जोड़(अ) (क+ख)	**4,64,21,259.19**					**4,29,49,629.88**

ब. ऋण एवं अग्रिम

	31.03.2021 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम	वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन		31.03.2022 के अनुसार आंकड़े
क. स्टाफ को					
कार अग्रिम	1,28,513.00	1,725.00	1,30,238.00		-
स्कूटर अग्रिम	-				-
एलटीसी अग्रिम	39,654.00	27,235.00	66,889.00		-
त्योहार अग्रिम	1,30,000.00		1,30,000.00		-
जोड़ (क)	**2,98,167.00**	**28,960.00**	**3,27,127.00**	**-**	**-**
ख. अन्य ऐजेंसियों को					
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2017–18	23,14,502.00	-	22,25,404.00		89,098.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2016–17	6,64,487.00	-	6,64,487.00		-
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2018–19	36,39,780.00	-			36,39,780.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2018–19	19,712.00	-	19,712.00		-
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2020–21	25,37,121.00		19,62,593.00		5,74,528.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2020–21	2,11,60,627.00		1,76,02,894.00		35,57,733.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2021–22	-	4,57,830.00			4,57,830.00
जोड़ (ख)	**3,03,36,229.00**	**4,57,830.00**	**2,24,75,090.00**	**-**	**83,18,969.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (जारी....)

	31.03.2022 के अनुसार आंकड़े	31.03.2021 के अनुसार आंकड़े
ग. अन्य अग्रिम		
बाहरी एजेंसियों को अग्रिम	2,55,416.00	1,69,017.00
	36,134.00	36,134.00
व्यय (प्राप्ति): विविध बाहरी एजेंसियों की परियोजनाएं		
स्रोत पर कर की कटौती	41,52,604.50	57,09,891.50
टीडीएस पर जीएसटी	75,354.00	75,084.00
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)	21,448.00	292.00
विभागीय अग्रिम (पी.)	66,390.00	18,854.00
पूर्वदत्त खर्चे	6,50,610.00	10,20,127.00
विविध देनदार	10,07,899.36	11,89,205.36
सेवा कर विभाग	14,24,003.00	14,24,003.00
जोड़ (ग)	**76,89,858.86**	**96,42,607.86**
जोड़ (अ+ब+स)	**5,89,58,457.74**	**8,66,98,263.05**

अनुसूची 8 – सहायता अनुदान

भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से सहायता अनुदान	11,55,00,000.00	13,03,00,000.00
जोड़	**11,55,00,000.00**	**13,03,00,000.00**
जोड़ें: केंलो.नि.वि. से प्राप्त अप्रयुक्त सहायता अनुदान		1,11,65,571.00
घटाएं: अवसंरचना के लिए उद्दिष्ट सहायता अनुदान	-	1,91,60,627.00
घटाएं: पूंजीकृत सहायता अनुदान	5,58,524.00	15,96,290.00
घटाएं: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को लौटाया गया सहायता अनुदान		1,92,04,947.00
	(5,58,524.00)	**(2,87,96,293.00)**
आय और व्यय खातों में दर्शायी गयीं राशियाँ	**11,49,41,476.00**	**10,15,03,707.00**

अनुसूची 9 – फीस एवं अभिदान

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	25,39,350.00	66,46,737.00
अवार्ड्स डाइजेस्ट का अभिदान	5,310.00	3,490.00
लेबर एंड डेवलपमेंट का अभिदान	9,005.00	4,040.00
श्रम कानून-शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियाँ	3,500.00	2,000.00
श्रम विधान अभिदान	4,610.00	1,220.00
	25,61,775.00	**66,57,487.00**

अनुसूची 10 – अर्जित ब्याज

स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज	2,105.00	8,719.00
प्राप्त ब्याज	21,49,867.00	19,50,060.00
	21,51,972.00	**19,58,779.00**

अनुसूची 11 – अन्य आय

गैर–योजनागत आय	21,30,733.00	5,72,233.00
हॉस्टल के उपयोग से आय	45,67,500.00	36,00,000.00
फोटोस्टेट से आय	393.00	71,696.00
स्टाफ क्वार्टरों से किराया-लाइसेंस शुल्क	1,09,540.00	1,80,365.00
बाहरी परियाजनाओं से आय	2,46,020.50	9,57,397.00
फैकल्टी परामर्श प्रभार		1,800.00
अन्य प्राप्तियों से आय	2,100.00	1,393.00
टीडीएस वापसी पर ब्याज	2,39,256.00	38,764.00
जोड़	**72,95,542.50**	**54,23,648.00**

अनुसूची 12 – पूर्व अवधि आय

पूर्व अवधि आय	-	-
	-	-

अनुसूची 13 – स्थापना व्यय

स्टाफ को वेतन	5,65,98,641.00	5,06,15,782.00
भत्ते	32,14,059.00	29,43,646.00
एनपीएस में अंशदान	45,05,940.00	40,68,197.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ पर व्यय	1,26,55,343.00	27,28,186.00
प्रतिनियुक्ति स्टाफ का छुट्टी वेतन एवं पेंशन	6,62,534.00	7,90,740.00
जोड़	**7,76,36,517.00**	**6,11,46,551.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2022 के अनुसार आंकड़े	31.03.2021 के अनुसार आंकड़े
अनुसूची 14 – प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन एवं प्रचार	73,191.00	1,63,512.00
भवन मरम्मत और उन्नयन	3,39,655.00	3,73,862.00
विद्युत एवं पॉवर प्रभार	50,88,389.00	49,19,700.00
हिंदी प्रोत्साहन व्यय	1,96,836.00	1,58,609.00
बीमा	80,570.00	69,895.00
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	2,26,363.00	2,80,200.00
विविध व्यय	1,50,574.98	77,571.54
सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	2,34,873.00	4,54,565.00
फोटोस्टेट व्यय	34,739.00	30,524.00
डाक टिकट, तार और संचार प्रभार	42,953.00	74,890.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	2,01,726.00	2,21,318.00
नई परिसंपत्तियों की खरीद	8,37,060.00	1,79,643.00
मरम्मत एवं रखरखाव		
क. कंप्यूटर	4,51,686.00	4,32,500.00
ख. कूलर/ए.सी	8,64,792.00	4,24,564.00
ग. कार्यालय भवन और संबद्ध	3,93,758.00	96,583.00
स्टाफ कल्याण व्यय	2,67,741.00	1,80,721.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	3,17,379.00	4,22,966.00
यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे	3,15,715.00	5,61,109.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे	5,34,504.00	4,71,519.00
जल प्रभार	8,34,876.00	7,19,144.00
जोड़	**1,14,87,380.98**	**1,03,13,395.54**
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	8,67,948.00	1,79,643.00
आय और व्यय लेखों में अंतरित धनराशियां	**1,06,19,432.98**	**1,01,33,752.54**
अनुसूची 15 – पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय		35,588.00
	-	**35,588.00**
अनुसूची 16 – योजनागत अनुदानों पर व्यय		
क. अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण		
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	49,76,002.00	28,78,594.00
शिक्षण कार्यक्रम	94,13,376.00	34,39,959.53
ग्रामीण कार्यक्रम	10,86,911.00	-
सूचना प्रौद्योगिकी	14,94,921.00	30,94,367.00
परिसर सेवाएं	1,84,29,275.00	1,89,07,363.00
जोड़ (क)	**3,54,00,485.00**	**2,83,20,283.53**
ख. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएं		
शिक्षण कार्यक्रम	24,05,256.00	3,95,318.00
परियोजनाएं (जिनमें कार्यशाला, सूचना प्रौद्योगिकी/अवसंरचना/प्रकाशन शामिल हैं)		9,70,222.00
जोड़ (ख)	**24,05,256.00**	**13,65,540.00**
ग. पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाना		
पत्र/पत्रिकाओं के लिए अभिदान	10,03,731.00	17,53,908.00
पुस्तकालय की पुस्तकें	42,808.00	-
पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण		7,066.00
जोड़ (ग)	**10,46,539.00**	**17,60,974.00**
घ. अवसंरचना		
प्रशासनिक खंड : नवीकरण एवं उन्नयन		
अवसंरचना विकास		1,91,60,627.00
जोड़ (घ)	**-**	**1,91,60,627.00**
योजनागत अनुदानों पर कुल व्यय (क से घ)	**3,88,52,280.00**	**5,06,07,424.53**
उद्दिष्ट निधि में अंतरित राशि	-	1,91,60,627.00
घटाएं: पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	5,58,524.00	15,96,290.00
	5,58,524.00	2,07,56,917.00
आय और व्यय लेखों में अंतरित धनराशियां	**3,82,93,756.00**	**2,98,50,507.53**

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je laLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2022 dks lekIr o"kZ ds fy, ys[kk dh vuqlwfp;k¡

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k¡ ,oa ys[kk ij fVIif.k;k¡

vuqlwph la- **17 :** egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k¡

1- foÙkh; vkfpR; ds ekud

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसी स्वायत्त संस्थाओं के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।

2- foÙkh; fooj.k

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा और तुलनपत्र शामिल हैं।

3- vpy ifjlEifÙk;k¡

अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4- eY;gkl

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत निर्धारित निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है।

ifjlEifÙk;ksa dh Js.kh	मूल्यह्रास की दर
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	15%
वाहन	15%
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%
कंप्यूटर एवं सहायक यंत्र	40%
सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां)	25%

5- iwathxr oLrqvksa ij buiqV dj ØsfMV ¼th,lVh½

धारा 2 (19) के अनुसार 'पूँजीगत वस्तुओं' का आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका मूल्य इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले व्यक्तियों के खाता बहियों में पूँजीकृत किया जाता है तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है अथवा उपयोग किया जा सकता है। संस्थान ने क्रय की गयी पूँजीगत वस्तुओं के संदर्भ में किसी आईटीसी का दावा नहीं किया है तथा धनराशि को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पूरी तरह पूँजीकृत किया गया है।

6- iwoZ vof/k lek;kstu

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

7- oLrq lwfp;k¡

वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

8- deZpkjh fgrykHk

संस्थान ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

9- fodkl fuf/k

संस्थान ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पत्र सं. जी–26035ध1ध2002–ईएसए (एनएलआई) दनांक 02.04.2002 के माध्यम से जारी निदेशों के अनुसार विकास निधि सृजित की थी जिसमें व्यय से अधिक आय को प्रत्येक वर्ष के अंत में हस्तांतरित किया जा रहा था। सीएबी के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार मूल्यह्रास की अवधारणा की शुरूआत के बाद, संस्थान विकास निधि में मूल्यह्रास चार्ज करने से पहले अधिशेष स्थानांतरित करता है क्योंकि मूल्यह्रासं निधि का बहिर्वाह नहीं है।

vuqlwph la- **18 :** ys[kk ij fVIif.k;k

1- ys[kkdu dk vk/kkj

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर-लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और इनमें निम्न को छोड़कर तदुनसार प्रावधान किए गए हैं:

क. केद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को देय वेतनों एवं भत्तों को प्रदत्त आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. खरीदी गई लेखन सामग्री एवं अन्य मदों को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2- fuos'k uhfr

संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम की धारा XIV (ii) के अनुसार निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया जा रहा है।

3- lgk;rk vuqnku

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान प्राप्त करता है और उपयोग प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

4- iwathxr ,oa jktLo ys[kk

पूंजीगत स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

5- fofo/k nsunkj vkSj fofo/k ysunkj

संस्थान, ऐसे व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और इन पर व्यय ऐसी एजेंसियों की ओर से करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्ति अथवा भुगतान-बाहरी कार्यक्रम अथवा एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

6- vpy ifjlEifŸk;ka ,oa ewY;gzkl

क. अचल परिसम्पत्तियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों (उपरोक्त) के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित मूल्यह्रास प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद अथवा डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 10,000 रुपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों (पुस्तकालय की पुस्तकों के अलावा) को राजस्व लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7- ifjlEifŸk;ksa dk izR;{k lR;kiu

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

8- ljdkjh /ku dk #duk

संस्थान द्वारा अवसरंचना संबंधी कार्य आम तौर पर सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई के माध्यम से किए गए। विभिन्न सिविल एवं इलैक्ट्रिकल आदि कार्यों के निर्माण/नवीनीकरण/आईटी अवसंरचना के लिए इन सरकारी एजेंसियों को अग्रिम दिया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान इन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर 2,24,75,090/– रुपए का समायोजन किया गया और 83,18,,969/– रुपए की शेष राशि के लिए सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई से उपयोग प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है।

9- संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2022 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया है।

fooj.k	31-03-2022 rd çko/kku	31-03-2021 rd çko/kku
minku	40,321,519.00	36,106,148.00
vftr vodk'k	30,967,810.00	26,367,429.00
	71,289,329,00	62,473,577,00

10- vk;dj fooj.kh
संस्थान ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी। संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

11- vkx y tk;k x;k vf/k'k"k
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए उद्दिष्ट निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

12- vkdfLed n;rk,
वर्तमान में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

13- vkjf{kr ,o vf/k'k"k vulph
लेखा परीक्षा के निदेशानुसार एचबीए, कंप्यूटर एवं बाहरी परियोजना निधि को उद्दिष्ट निधि में शामिल किया गया है

14- पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

vulfp;k 1 l 18 gLrk{kfjr

d`r% d- d- pukuh ,M ,lkfl,V l
lunh y[kkdkj (,Qvkj,u 322232 b)

d`r% oh oh fxfj jk"Vh; Je lLFkku

,Qlh, d".k dekj pukuh
सदस्यता सं. 056045
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 मई 2022
यूआईडीएनः 22056045एजेवाईएक्सआईसी7304

'kyS'k dekj
y[kk vf/kdkjh

g"k fl g jkor
ç'kklu vf/kdkjh

Mk- ,p- Jhfuokl
egkfun'kd

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in